मंगलवार,
१६ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जापान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक से ऋण

*११८९. **श्री एस० एन० दास:** (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में खनिज पदार्थों के विकास के लिये जापान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को आवेदन पत्र भेजे गये हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो जिन ऋणों के लिये आवेदन किये गये हैं वे किस प्रकार के हैं ?

(ग) वह कौन सी योजना है जिसके लिये ये ऋण मांगे गये है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग) तक। [सरकार को भारत में खनिज पदार्थों के विकास के लिये जापान के एक्सपोट इम्पोर्ट बैंक को भारत की सरकार अथवा गैर-सरकारी किसी भी एजेन्सी द्वारा ऋण के लिये भेजे गये किन्हीं आभ्यावेदनों के विषय में पता नहीं है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में जापान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के साथ कोई बातचीत की गई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख: हमें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी बात-चीत किये जाने के बारे में मालूम नहीं है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रयोजन के लिये किसी अन्य स्थान से ऋण मांग गये थे ?

श्री सी० डी० देशमुख: किस के द्वारा ?

श्री एस० एन० दास : सरकार द्वारा अथवा किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा ?

श्री सी० डी० देशमुख: सरकार ने कोई ऋण नहीं मांगे हैं और जहां तक हमें पता है किसी भी भारतीय पार्टी ने ऋण नहीं मांगे हैं। ऐसे दो मामले हैं जिनमें मशीनरी तथा उपकरण उधार लेने के लिये भारतीय कम्पनियों ने जापानी कम्पनियों के साथ करार किया है । ये बात-चीत फुरूकावा इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड तथा टोकियो टैक्या कोग्यो काबूशिकी कैलशा के साथ चल रही हैं ; किन्तु इन कम्पनियों नें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक से ऋण मांगा है या नहीं हमें यह मालूम नहीं ।

बीकानेर में नदी घाटियों का अनुसन्धान कार्य

*११९०. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में नदी घाटी के पुरातत्व विभाग के अनुसन्धान कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ख) क्या इस वर्ष अथवा अगले वर्ष के लिये कोई और अनुसन्धान कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० माललीय): (क) पाकिस्तान सीमान्त तथा सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के मध्य की नदी के ७० मील और सूरतगढ़ तथा भद्रा के बीच द्रिशदवती घाटी के ८० मील के टुकड़ों का अनुसन्धान कार्य किया गया है ।

(ख) इस कार्य को इस वर्ष तथा अगले वर्ष करने का विचार है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस या और दूसरे अनुसन्धानों पर नेशनल म्यूज़ियम से कोई डाइरेक्टरी प्रकाशित हुई है या होने वाली है ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी कोई डाईरेक्टरी प्रकाशित नहीं हुई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिये बजट में कोई रक्म मंजूर की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : आम तौर पर ऐसे अन्वेषणों के लिये बजट में रक्म रखी जाती है और उसी में से तमाम ऐसे अन्वेषण किये जाते हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राचीन वस्तु सम्बन्धी विभाग की कोई पंच वर्षीय योजना है ? अगर है तो नदी घाटी पर अनुसन्धान उस में शामिल है या नहीं ?

श्री के० डी० मालबीय : डिपार्टमेंट आफ आर्कियोलोजी के अन्तर्गत ये तमाम प्राचीन वस्तु सम्बन्धी अनुसन्धान किये जाते हैं ; और इसके लिये पंच वर्षीय योजना में विशेष तौर पर अलग अलग से कोई रक्म नहीं रखी गई है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि जिन भागों में यह कार्य किया जा रहा है क्या वहां ऐतिहासिक स्थान पाये गये है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन नदियों की सूखी घाटियों तथा पुरानी सरस्वती नदी की सूखी घाटी में लगभग ७० ऐतिहासिक स्थान मिले हैं। इन में ऐतिहासिक महत्व के स्थान समूहों में मिले हैं । इन स्थानों का सबसे पुराना समूह उसी युग का है जिसके कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ों के खण्डहर हैं ।

"प्रत्यक्ष" तथा "अप्रत्यक्ष" व्यय

*११९१. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि "प्रत्यक्ष" तथा "अप्रत्यक्ष" व्यय उसी प्रकार के अन्य मामलों के अन्तर्गत मदों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा अनुसरित प्रक्रिया में समानता लाने के लिये विशेष अनुदेश जारी किये गये थे ?

(ख) यदि ऐसा है तो राज्य सरकारों द्वारा इन अनुदेशों का कहां तक पालन किया गया है ?

(ग) जिन अधिकारियों को शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित तथा संकलन करने का काम सौंपा गया है उनके लाभार्थ शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों के संक्षेप अध्ययन (कोर्स) कब आयोजित किये गये थे ?

(घ) इस समय शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किये जाते हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) "प्रत्यक्ष" तथा "अप्रत्यक्ष" मदों के अन्तर्गत व्यय के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अनुदेशों का १९५२–५३ का हिसाब बनाने में पालन किया जायागा ।

(ग) जून, १९५० में। मार्च १९५१ तथा सितम्बर, १९५२।

(घ) शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा दिये गये निर्धारित फार्मों में इकट्ठे किये जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि दिल्ली डाइरेक्टोरेट की सहायता से सामाजिक शिक्षा के बारे में कोई संख्यात्मक विवरण इकट्ठा किया गया है? अगर किया गया है तो यह क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस संख्यात्मक विवरण के लिये हमारा विभाग समय समय पर आदेश स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनीवर्सिटीज को और सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन्स को दिया करता है और इस सम्बन्ध में उन के तमाम मुलाज़िमों को भी शार्ट टर्म कोर्सेज़ में शिक्षा देता है ताकि वह मुनासिब तौर पर तमाम डाटा हमारे पास भेजा करें। उसमें जिस शाखा का वर्णन माननीय सदस्य ने किया है वह भी शामिल है।

श्री एस० सी० सामन्त : भारत, लन्दन, कोलम्बो और विदेशों में प्रदर्शिनि में दिखाने के लिये कितने नक्शे, चार्ट्स, और ग्राफ़्स तैयार हुए थे ?

श्री के० डी० मालवीय : इसकी विशेष सूचना तो मैं इस समय माननीय सदस्य को नहीं दे सकता।

श्री एस० सी० सामन्त : सन् १९५२–५३ में कितने संख्यात्मक प्रकाशन हुए हैं, और कितने होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : तादाद तो मैं नहीं बतला सकता मगर समय समय पर ऐसे प्रकाशन हुआ करते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : कितने अफ़सर अब तक संक्षेप अध्ययन क्रम में शिक्षा पा चुके है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसकी संख्या तो मैं नहीं बतला सकता। मगर तीन बार ऐसे शिक्षण हो चुके हैं। पहली बार तो सन् १९५० में हुआ था, दूसरी बार फिर सन् १९५१ में हुआ और अब तीसरी बार सन् १९५२ के सितम्बर में ऐसा शिक्षण हुआ। इसमें आगरा, दिल्ली, नागपुर उस्मानिया और राजपूताना यूनीवर्सिटीज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

शरणार्थी स्वयंसेवक दल, त्रिपुरा

*११९३. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में शरणार्थी स्वयं-सेवक दल नामक एक दल है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह संस्था राज्य के व्यक्तियों पर करारोपण करती है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि जब लोग कर देने से मना कर देते हैं तो उस राज्य के लोगों के मकानों की तलाशी ली जाती है और त्रिपुरा राज्य के न्यायालयों और थानों में धान, पशु, पटसन आदि के जबरदस्ती छीन लिये जाने की रिपोर्टें की गई हैं ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सरकार को त्रिपुरा के शरणार्थी स्वयं-सेवक दल नाम की किसी संस्था का पता नहीं है।

(ख) से (घ) तक। ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को यह मालूम है कि त्रिपुरा के एक साप्ताहिक समाचार पत्र "तंग कलन" में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि इस शरणार्थी स्वयं-

सेवकदल ने अगरतल्ला में एक सभा की और उस सभा में मुख्य आयुक्त ने भी एक भाषण दिया था और उस संस्था को कुछ सहायता दी थी ?

डा० काटजू : मुझे नहीं मालूम ।

पाकिस्तान से आये हुए स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारी

*११९४. **श्री गिडवानी** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान १० अप्रैल, १९५० को श्री कामत के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में स्वर्गीय सरदार पटेल द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान से आये हुए स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें अस्थायी रूप से ले लिया गया है, किसी परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा ?

(ख) क्या सरकार ने इस नीति का जो वक्तव्य दिया था उससे वह अब भी वचन-बद्ध हैं ?

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सिन्ध तथा उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त से आये हुए सभी स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रश्न का सम्बन्ध सचिवालय में असिस्टेंटों की नियुक्ति की परीक्षा से है । स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा में चतुर्थ श्रेणी में स्थायी किये जाने के अधिकारी है जिसके लिये उन्हें ऐसी किसी परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं । वे स्थायी होने के लिये इन परीक्षाओं में बैठने के लिये अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने के भी अधिकारी थे ।

(ख) सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(ग) स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये चतुर्थ श्रेणी के बनाये जाने पर प्राप्त रिक्त स्थानों की कुल संख्या निर्धारित कर दी गई है । जब स्थायी किये जाने से पूर्व आवश्यक कुछ प्रारम्भिक कार्यवाहियां समाप्त कर दी जायेगी या कर दी गई हैं तो उन्हें रिक्त स्थानों की निर्धारित संख्या में स्थायी कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है । जिन्हें आरम्भ में स्थायी नहीं किया जाता उन्हें असिस्टेंटों के नियमित अस्थायी पदाली में सम्मिलित किये जाने तथा भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों में यथासमय में स्थायी किये जाने के विषय में उन के मामलों में विचार किया जा सकेगा ।

श्री गिडवानी : प्रश्न यह है कि क्या यह नीति १० अप्रैल, १९५० को श्री कामत द्वारा पुछे गये प्रश्न के उत्तर में सरदार पटेल द्वारा दिये आश्वासन के विपरीत है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि सरदार पटेल ने जो आश्वासन दिया था उसका सम्बन्ध केवल असिस्टेंटों से था ।

श्री गिडवानी : वे प्रश्न और उत्तर इस प्रकार थे : क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं कि पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्ति, जो कि वहां पर स्थायी सरकारी कर्मचारी थे, भारत में अस्थायी आधार पर लिये गये थे, उन्हें इस परीक्षा में बैठने के लिये कहा गया था ? सरदार पटेल ने कहा था "उन्हें इस परीक्षा में नहीं बैठना पड़ता ।"

श्री दातार : यह निर्देश केवल असिस्टेंटों के लिये ही था ।

श्री गिडवानी : असिस्टेंटों का उल्लेख न तो प्रश्न में था और न उतर में था ।

श्री दातार : मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है ।

श्री ऐरावत सिंह की मृत्यु

*११९५. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को श्री ऐरावत सिंह को मृत्यु के विषय में पता हैं जो कि बरमा के विद्राहियों के अधीन क्षेत्र में मनीपुर के साम्यवादियों के नेता थे ?

(ख) श्री ऐरावत सिंह के कितने सहकारी तथा अनुयायी अब भी छिपे हुए हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उनके गिरफ़्तार करवाने तथा उनके विषय में यह सूचना देने के लिये कि वह कहां है, दस हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई थी ?

(घ) क्या श्री ऐरावत सिंह को गिरफ़्तार करने का वारंट वापिस ले लिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ऐसा कहा जाता है कि मनीपुर के साम्यवादी नेता श्री ऐरावत सिंह बरमा में मैथू के समीप मर गये किन्तु अभी तक इस सूचना की पुष्टि नहीं की गई ।

(ख) श्री ऐरावत सिंह के अठ्ठारह अनुयायी अब भी फ़रार हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि उन के जो साथी जेलों में है उन की संख्या कितनी है और वे किन किन जेलों में रखे गये हैं ?

डा० काटजू : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिय । प्रश्न का सम्बन्ध एक विशेष व्यक्ति तथा कुछ फ़रार आदमियों से है, इसका सम्बन्ध उन से नहीं है जो आदमी जेल में हैं ।

बरमा की सेना

*११९६. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) **राज्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या यह सत्य है कि मनीपुर की पहाड़ी आदिम जातियों के बहुत से नवयुवक विशेष कर बरमा के समीपवर्ती क्षेत्रों के नवयुवक बरमा की सेना में भरती हो गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या सरकार का विचार नवयुवकों को विदेशी सेना में और अधिक भरती को रोकन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एसा बताया जाता है कि मनीपुर के सीमान्त क्षेत्रों के पहाड़ निवासी बरमा की सेना में भरती हो गये हैं ।

(ख) ऐसी भरती के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) मनीपुर के पहाड़ियों को भारतीय सेना में भरती होने के लिये प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में प्रचार किया जा रहा है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं उन सम्भव कारणों को जान सकता हूं जिन से ये नवयुवक बरमा की सेना में भरती हुए ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि ऐसा इस कारण है कि वह क्षेत्र बरमा सीमान्त के समीप है तथा उन्हें यह आशा है कि उनकी बहुत शीघ्र पदोन्नति होगी ।

श्री दामोदर मैनन : प्रचार करने के अतिरिक्त, क्या सरकार ने इन नवयुवकों के बरमा की सेना में भरती होने पर रोक लगा दी है ?

डा० काटजू : चूंकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है अथवा करने का विचार है ।

मुफ्ती-विनियम

*११९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

क्या भारत सरकार ने सशस्त्र सेना में मुफ्ती विनियमों को फ़िर से चला दिया है ?

(ख) ऐसा करना क्यों आवश्यक समझा गया था ?

(ग) इस विनियम के कारण भारत सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) सैनिकों द्वारा, जब वे सैनिक कार्य नहीं करते मुफ्ती (सामान्य) वेशभूषा पहनना सेना में बहुत समय से प्रचलित है। नौ-सेना में यह रेटिंग्स के कुछ वर्गों के लिये १९४९ में पहिली बार चलाया गया था। जबकि वायु-सेना में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाया गया था।

(ख) जब सशस्त्र सेनाओं के सैनिक कार्य नहीं करते तो उस समय उन को सामान्य वेषभूषा पहनने की स्वाभाविक इच्छा होती है।

(ग) इस के लिये सैनिक को सेना में भरती होते समय भत्ता दिया जाता है। अतः सरकार का इस पर किसी वर्ष में जो खर्चा होता है वह उस वर्ष भरती किये जाने वाले रंगरूटों की संख्या पर निर्भर होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस बात का क्या अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष इन मुफ्ती विनियमों के कारण सैनिक के वेतन में से कितना पैसा काट लिया जायगा ?

सरदार मजीठिया: इस में पैसा काटने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह तो केवल एक बार तब दिया जाता है जब कि कोई व्यक्ति सेना में भरती होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शेष धन उन्हें अपने पास से देना पड़ता है ?

सरदार मजीठिया : स्वाभाविक रूप से, यदि वे मुफ्ती पहिनना चाहते हैं, वे अपने कपड़ों की देखभाल के उत्तरदायी होते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या कपड़ों के लिये और भी भत्ते यथा धोबी भत्ते तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने बताया कि यह भत्ता नहीं है। उस मामले में तो यह पूरक भत्ता है, जो उन्हें वर्ष में एक बार मिलता है और उन्हें आरम्भ में १६ रुपये मिलते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उन्हें प्रतिवर्ष भत्ते मिलते हैं ?

सरदार मजीठिया: जी नहीं, केवल एक बार जब वे सेना में भरती हैं, दिये जाते हैं।

अंग्रेजी

***१२००. श्रीमती रैणू चक्रवर्ती :** (क) **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सेना में विशेष व्यवसायियों (ट्रेडस्मैन) के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में क्या अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में निर्धारित है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किस अवस्था पर यह प्रारम्भ की जाती है, और कौन से स्टैंडर्ड निर्धारित हैं ?

रक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया): (क) जी हां।

(ख) जिस अवस्था पर यह आरम्भ की जाती है वह व्यवसाय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अंग्रेजी के तीन स्टैंडार्ड हैं जिस के लिये प्रमाणपत्र ३, २ और १ दिये जाते हैं।

श्रीमती रैणू चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सत्य है कि तृतीय श्रेणी के लोगों को दस वर्ष युद्ध सेवा के उपरान्त भी चतुर्थ श्रेणी में कर दिया गया है, क्योंकि वे द्वितीय श्रेणी की अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं ; यह बात सत्य नहीं है। किसी को निचली श्रेणी में नहीं किया गया था।

जस्ता उद्योग के लिये विशेषज्ञ समिति

*१२०१. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जस्ता निर्माण उद्योग की स्थापना पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

(ख) समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ग) इसकी सिफारिशों को कब तक मिल जाने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिस में यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस समय इस उद्योग में कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । जहां तक सीसा और जस्ते के परिष्करण का सम्बन्ध है, इस समय मैटिल कार्पोरेशन आफ़ इंडिया यह कार्य कर रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : १९५१-५२ में आयात कोटा कितना था ?

श्री के० डी० मालवीय: बहुत अधिक जस्ता आयात किया जाता है, किन्तु इस समय मैं आंकड़े नहीं बता सकता ।

निश्चित अवधि वाले पद

*१२०२. **श्री के० पी० त्रिपाठी:** (क) क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की सेवाओं में संयुक्त सचिव की स्थिति के और उसके ऊपर कौन कौन से निश्चित अवधि वाले पद हैं ?

(ख) क्या इन निश्चित अवधि वाले पदों पर स्थित अधिकारियों में से कोई अधिकारी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उन पर नियुक्त है और यदि ऐसा है, तो कितने ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख) । संयुक्त सचिव की श्रेणी और उस के ऊपर के सभी सचिवालय पद भारत सरकार में निश्चित अवधि वाले पद हैं । इन पदों की अवधियां दो भिन्न प्रकार से निर्धारित की जाती हैं कि इन पदों के अधिकारों 'वित्त वाणिज्य समूह' (फाइनेंस कामर्स पूल) के हैं या नहीं । चूंकि इस समूह के अधिकारी केन्द्रीय सरकार से ही स्थायी रूप से सम्बद्ध हैं अतः पदावधि प्रणाली का इन के मामले में केवल इतना ही अर्थ है कि वे निश्चित अवधि से अधिक समय तक किसी विशेष स्थान पर नहीं रहें । इस के विपरीत वे अधिकारी जो इस समूह में नहीं हैं पदावधि प्रणाली से नियन्त्रित होते हैं और निश्चित अवधि के बाद अपने राज्यों में वापिस चले जाते हैं । परन्तु इस दूसरी प्रणाली का अर्थात राज्यों को वापिस जाने की प्रणाली भारतीय स्वतन्त्रता के बाद कार्य के लिये ठीक नहीं सिद्ध हुई, क्योंकि स्वतन्त्रता मिलने के बाद सरकारी कार्यवाहियों में भी बहुत कुछ वृद्धि हुई और उस के साथ साथ कई अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ । अतः राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रणाली के अनुसार कार्य करना अस्थायी रूप से बन्द करना पड़ा था । सचिवालय में इस समय १३ अधिकारी हैं, इन में से ३ अधिकारी समूह के है और १० अन्य हैं, जिन की पद की अवधि समाप्त हो चुकी

है। उल्लिखित अधिकारियों के अभाव के सम्बन्ध में अब कार्यवाही की गई है और ऐसी आशा की जाती है कि पदावधि प्रणाली शीघ्र ही फिर से चला दी जायगी।

श्री के० पी० त्रिपाठी: इस बात की कौन स्वीकृति देता है कि पदावधि समाप्त हो गई है ?

श्री दातार: इस बात की स्वीकृति सरकार देती है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: गृह-कार्य मन्त्रालय या कोई दूसरा मन्त्रालय ?

श्री दातार: हमारा एक संस्थापना बोर्ड है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: इस समय ये पद क्यों चल रहे हैं ?

श्री दातार: ये इसलिये चल रहे हैं क्योंकि यहां उन की सेवाओं की आवश्यकता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सत्य है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल के प्रिन्सिपल की पदावधि समाप्त हो गई है ?

श्री दातार: क्या माननीय सदस्य वित्त अथवा वाणिज्य समूह का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री के० पी० त्रिपाठी: एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल का, समूह का नहीं।

श्री दातार: मैं आप का प्रश्न नहीं समझ पाया।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या कोई प्रशासन समूह (एडमिनिस्ट्रेटिव पूल) है ?

श्री दातार: जी हां। अधिकारियों को प्रशिक्षा देने के लिये हमारा एक प्रशासन प्रशिक्षण स्कूल है।

श्री सी० डी० पांडे: क्या यह सत्य है कि राज्यों तथा केन्द्र के वेतनों में अन्तर होने के कारण केन्द्र में आने वाले अधिकारियों को अपने पदों पर नियुक्त रहने के लिये बढ़ावा मिलता है और वे राज्यों को वापिस नहीं जाना चाहते हैं ?

श्री दातार: नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री सी० डी० पांडे: क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री दातार: यह ठीक नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सत्य है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल के प्रिन्सिपल किसी अन्य विभाग में भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री दातार: जी हां। इस स्कूल के प्रिंसिपल गृह-कार्य मन्त्रालय में भी कार्य कर रहे हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने इस बात का सुझाव दिया है कि इस पद को पूर्णकालीन पद बना दिया जाये ?

श्री दातार: मितव्ययता के आधार पर हमने यही अच्छा समझा कि यह सज्जन उस स्कूल के प्रिंसिपल रहें और इस मन्त्रालय के अधिकारी भी रहें।

श्री के० पी० त्रिपाठी: योजना आयोग द्वारा बताये गये आधारों के अनुसार क्या सरकार इस पद को पूर्णकालीन पद बनाने का विचार करेगी ?

श्री दातार: सरकार इस रिपोर्ट की बातों पर विचार करेगी।

श्री सी० डी० पांडे: मैं जान सकता हूं कि राज्यों तथा केन्द्र के तत्संवादी पदों के वेतन में क्या अन्तर है ?

श्री दातार: यह अन्तर केवल कुछ पदों के विशेष वेतनों में ही है। उसके अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मैं जान सकता हूं कि क्या गृह-कार्य मन्त्रालय को अभी तक यह पता नहीं है कि योजना आयोग ने सुझाव दिये हैं, जैसा कि मैं ने अभी बताया है ?

श्री दातार: गृह-कार्य मन्त्रालय को वह मालूम है।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता मिलता है और यदि ऐसा है, तो यह भत्ता उन के वेतन के अनुपात में कितना है ?

श्री दातार : मुझे इस विस्तृत प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न विस्तृत नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई भत्ता दिया जाता है ।

श्री दातार : कुछ भत्ता दिया जाता है, किन्तु यदि माननीय सदस्य दिये जाने वाले विभिन्न भत्तों को जानना चाहते हैं तो एक पृथक प्रश्न पूछना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि इस के कारण क्या हैं कि इन अधिकारियों को एक अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ?

श्री दातार : क्योंकि दिल्ली में अन्य स्थानों की अपेक्षा निर्वाह व्यय बहुत अधिक है ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली में निर्वाह व्यय प्रायः उतना ही है जितना कि राज्यों की अन्य राजधानियों में है ?

श्री दातार : जो कारण मैं ने पहिले ही बताया है एक तो वही है । दूसरे, माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि जहां तक इन अधिकारियों का सम्बन्ध है, दिल्ली में कार्य बड़ा कठिन और उत्तरदायित्वपूर्ण है ।

डा० एम० एम० दास : मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई ।

श्री नामधारी : क्या पूरा समय इस प्रश्न के लिये ही निर्धारित कर दिया गया है ?

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय और प्रान्तीय सेवाओं के उसी श्रेणी और पदाली के अधिकारियों के वेतन अलग अलग होते हैं ?

श्री दातार : मुझे ठीक पता नहीं । मैं समझता हूं कि उन के वेतनों में अन्तर होता है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रिंसिपल को अपने कार्यालय से एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल तक जाने के लिये ही १२ रुपये ८ आने प्रति दिन भत्ता दिया जाता है ?

श्री दातार : ऐसी बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नार्वे के शिष्ट मंडल का कुलू घाटी का दौरा

***१२०३. प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** १२ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न २४० के अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे के शिष्ट मंडल ने किस उद्देश्य से कुलू घाटी का दौरा किया ; तथा

(ख) क्या शिष्ट मंडल ने उस क्षेत्र में कागज़ की एक मिल चलाने की सिपारिश की ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) उस शिष्ट मंडल का उद्देश्य यह था कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश के विकास में नार्वे की सहायता से लाभ उठाया जा सकता कि नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

मनीपुर में बुनाई के स्कूल

१२०४. श्री रिशांग किशिंग : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर के सभी सब डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स तथा महत्वपूर्ण

केन्द्रों में बुनाई के स्कूल शीघ्र खोलने के सम्बन्ध में मनीपुर की सामान्य पहाड़ी जनता की निरन्तर मांग का पता है ;

(ख) क्या सरकार ने मनीपुर की पहाड़ियों में बुनाई का कोई स्कूल चलाया है, और यदि ऐसा है, तो कहां;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उरवरुल की दो लड़कियों को, जिन्हें सरकार द्वारा आसाम सरकार बुनाई स्कूल में, गौहाटी में प्रशिक्षण दिया गया था और जिन के बारे में यह निश्चित रूप से तय कर दिया गया था कि उरवरुल में जो बुनाई का स्कूल चलाया जायगा उस में उन लड़कियों को रख लिया जायगा, लगभग एक वर्ष तक इन्तज़ार करना पड़ा और अभी हाल ही में उन से कहीं और नौकरी ढूंढने के लिये कह दिया गया है ; तथा

(घ) क्या मनीपुर के किसी गैर सरकारी हथकरघा उद्योग में सरकार द्वारा कुछ पहाड़ी लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उन को प्रशिक्षण इस आश्वासन पर नहीं दिया गया था कि उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जायेगी।

(घ) जी नहीं। सरकार ने लोगों को पुरानी परम्परागत टैकनीक के स्थान पर बुनने की नई टैकनीकों को सिखाना आवश्यक समझा है । यहां काम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजना के अन्तर्गत आरम्भ हो गया है । सरकार यह चाहती है कि यह काम भविष्य में बहुत अधिक बढ़ा दिया जाय ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या इससे मैं यह समझूं कि मनीपुर की पहाड़ियों के लोगों की किसी बुनाई के स्कुल के लिये कोई मांग नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने यह कभी नहीं कहा कि बुनाई के स्कूल के लिये कोई मांग नहीं थी, किन्तु चूंकि लोग अभी तक पुराने तरीके के हाथ करघे से काम लेते हैं, अतः नये तरीके सिखाने के लिये किसी स्कूल की मांग नहीं है । किन्तु सरकार ने स्वयं ये नये प्रशिक्षण स्कूल चलायें हैं और सरकार यह समझती है कि जैसे समय बीतता जायेगा लोग नय तरीकों को जान जायेंगे ?

श्री रिशांग किशिंग: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की मनीपुर की पहाडियों के लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कोई योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने पहिले ही कह दिया है कि लोग नये तरीकों में रुचि लेने लगें इस के लिये सरकार न इन हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण स्कूलों को खोला है और इस योजना में कुछ विद्यार्थी भाग लेते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि जो बुनाई केन्द्र वहां चलाया गया था उसमें कितनी लड़कियां लगाई गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश लड़कियां इस स्कूल में रुचि नहीं लेती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने इस हाथकरघे के माल को विदेशों में भेज कर डालर कमाने की सम्भावना की जांच की है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और अब भी विचार कर रही है ।

आय-कर मामलें

*१२०५. **श्री शंकरपांडयन** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आय-कर जांच आयोग को जो मामले सौंपे गये थे वे निबटाये जाने के लिये आय-कर विभाग को भेजे जायेंगे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि आयोग के अध्यक्ष सेवा निवृत हो गये हैं ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान को भरने का है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आय-कर जांच आयोग को सौंपे गये मामलों को निबटाने के लिये आय-कर विभाग को भेजने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी हां । श्री वारदाचारियर ने आयकर जांच आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है ।

(ग) वह स्थान तो श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री, जो मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हैं, को नियुक्त करके पहिले ही भर दिया गया है ।

श्री शंकरपांडयन् : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक निबटाये गये मामलों की संख्या कितनी है तथा अब तक कितना धन वसूल किया गया है ?

श्री त्यागी : अब तक निबटाये गये मामलों की संख्या ८५८ है ।

अभी ६५३ मामले और निबटाये जाने हैं और इन मामलों में लगाये गये आय-कर के यथार्थ आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । किन्तु १५ नवम्बर को जो मामले निबटाये गये हैं उस पर आयोग ने २३.३४ करोड़ रुपये का आय-कर लगाया है ।

श्री शंकरपांडयन : मैं जान सकता हूं कि चालू वर्ष में आयोग द्वारा कुल कितने कर की वसूल किये जाने की आशा है ।

श्री त्यागी : आय-कर जांच आयोग कर वसूल नहीं करता । यह केवल उन आय पर कर निर्धारण करता है जो कि इसको निर्दिष्ट किये गये मामलों की वस्तुविषय होती हैं । कर वसूल करने का कार्य केन्द्री राजस्व बोर्ड पर छोड़ दिया गया है, किन्तु इन मामलों में अब तक ५.८६ करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं ।

श्री शंकरपांडयन : निर्धारित कर की राशि कितनी है ?

श्री त्यागी : मैंने पहिले ही बताया कि गत १५ नवम्बर तक उन निबटाये गये मामलों में उस तारीख तक लगाये गये कर की राशि २३.३४ करोड़ है ।

श्री शंकर पांडयन : मैं १९५२-५३ के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं उसी प्रकार के अन्य आयोगों का क्या हुआ जो कि जनवरी १९५० से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये थे ?

श्री त्यागी : राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या यह आयोग भाग 'ख' राज्यों में भी जांच कर रहा है ?

श्री त्यागी : यदि कोई ऐसे मामले हों जिनका सम्बन्ध भाग 'ख' राज्यों के किन्हीं उद्योगों अथवा व्यापार अथवा किसी पार्टी से हो तो वह उनकी जांच करता है, किन्तु राज्य सरकारों नें आयोग को कोई भी मामला नहीं भेजा है । इस आयोग को जो भी मामले निर्दिष्ट किये गये हैं वे केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्दिष्ट किये गये हैं ।

बिलासपुर में खनिज सम्पत्ति

*१२०६. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिलासपुर जिले तथा पूरे मध्य प्रदेश राज्य में खनिज पदार्थों का विस्तृत पर्यालोकन किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के भागों में विशेष कर उस राज्य के बिलासपुर, बस्तर तथा सरजूगढ़ ज़िलों में हाई ग्रेड का कोयला, कच्चा लोहा, मेंगनीज़ आदि उपलब्ध हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख) : एक विवरण, जिसमें भारत के भतत्वीय परिमाप के संचालक द्वारा दी गई सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । (**देखियें परिशिष्ट ७ अनूबन्ध संख्या ३७**)

श्री जांगड़े : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान भर में सब से अधिक लोहा मिल सकेगा यदि उसे खोद कर निकाला जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : मध्य प्रदेश में कई जगहों पर काफ़ी मात्रा में अच्छा लोहा पाया गया है, मगर वह सब से अधिक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता ।

श्री जांगड़े : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विलासपुर जिले में ऐल्यमिनियम बनाने की इन्डस्ट्री खोलने वाली थी ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे तो नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार इसे खोलने वाली थी या नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐल्यूमिनियम बनाने के लिये बहुत से सामान चांपा स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश में इकट्ठा करके रक्खा है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री अमजद अली: मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में हाई ग्रेड कोयले लोहे तथा मेंगनीज़ को प्राप्त करने की पूरी पूरी जांच कर ली गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां । जहां तक मेंगनीज़ और कच्चे लोहे का सम्बन्ध है ये बहुत बड़ी मात्रा में पाये गये हैं । किन्तु कोयला बहुत बढ़िया किस्म का नहीं है ।

श्री अजमद अली : इससे क्या मैं यह समझूं कि यह परिमाप अब भी जारी है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल: जब कि मध्य प्रदेशमें ज्यादा तादाद में लोहा पाया जाता है तो क्या लोहे का जो नया कारखाना बनाना है वह क्या मध्य प्रदेश में बनाया जावेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिये और बहुत सी ज़रूरियात होती हैं । उन तमाम प्रश्न पर विचार करने के बाद अगर मालूम हुआ कि ऐसा करना मुनासिब है तो कारखाना वहां स्थापित किया जा सकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि पहले सरकार का यह विचार था कि मध्य प्रदेश में लोहे का एक ऐसा कारखाना बनाया जाय जैसा कि टाटा कम्पनी ने बनाया हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उस के बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मुहीउद्दीन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कच्चे मेंगनीज़ से फेरो मेंगनीज़ बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां । सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

पंडित लिंगराज मिश्र: क्या उड़ीसा में एक लोहे का कारखाना बनाने का विचार किया गया है, क्योंकि वहां हाई ग्रेड का कच्चा लोहा बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है ?

श्री के० डी० मालवीय: ये सब प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री के० जी० देशमुख: तमाम हिन्दुस्तान में जितना मैंगनीज़ पाया जाता है उस का कौन सा हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है ।

श्री० के डी० मालवीय: बहुत बड़ा हिस्सा है मगर ठीक तो मैं नहीं बतला सकता ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि फेरो-मैंगनीज़ बनाने के लिये जो लोग वहां खनिज पदार्थों का काम करते हैं उन्होंने सरकार के पास दरख्वास्तें भेजी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: हां कुछ लोग फ़ेरो-मैंगनीज़ के प्लांट लगाना चाहते हैं । लेकिन मैं नहीं जानता कि जो दरख्वास्तें आई हैं वह इन्हीं की हैं या और किसी की ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि वहां फ़ैरो-मैंगनीज़ का कारखाना बनाने के लिए कुछ जर्मन ऐक्सपर्टस की कम्पनी ने भी दरख्वास्तें भेजी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: कुछ लोग इस सिलसिले में दरख्वास्तें दे रहे हैं । वह जर्मन हैं या अमरीकन इस बारे में मैं कुछ नहीं बतला सकता ।

श्री जांगड़े: क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर और उड़ीसा से लोहा और कोयला ज्यादा मिलता है या मिल सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं ने कहा कि बहुत काफ़ी तादाद में लोहा और कोयला मिलता है लेकिन मैं तुलनात्मक दृष्टि से नहीं बतला सकता ।

मुख्तारों की कानूनी स्थिति

*१२०७. **श्री एन० पी० सिन्हा:** (क) **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत अथवा किसी अन्य राज्य के मुख्तारों (विधि व्यवसायियों) ने भारत सरकार से इस बात का अभ्यावेदन किया कि उन्हें वकीलों (बैचलर्स ऑफ लॉ) के साथ बराबरी का दर्जा दिया जाय जिससे कि उन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार मिले ?

(ख) यदि ऐसा है तो विधि व्यवसायी अधिनियम तथा उस से सम्बन्धित अन्य विधि नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ग) कितने राज्यों में मुख्तारी की परीक्षा बन्द कर दी गई है और कितने राज्यों में वह अब भी होती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) जी हां । उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों के मुख्तार संघ ने इन बातों के आधार पर आभ्यावेदन किया है ।

(ख) विधि व्यवसायी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम में इस अभिप्राय से इस समय संशोधन करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल, आसाम और कुछ सीमा तक उड़ीसा को छोड़ कर सभी भाग 'क' राज्यों में मुख्तारी की परीक्षा बन्द कर दी गई है । भाग 'ख' तथा भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में मेरे पास पूरी अथवा निश्चित सूचना नहीं है, किन्तु मैं समझता हूं कि मुख्तार

केवल मध्य भारत और राजस्थान में वकालत करते हैं और इन दो राज्यों में भी मुख्तारों की नई भरती रोक दी गई है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि बिहार में मुख्तारी की परीक्षा बन्द कर दी गई है तथा वकालत करने वाले मुख्तार एल. एल. बी. पास वकीलों के समान ही हैं, क्या सरकार विधि व्यवसायी अधिनियम में संशोधन करेगी और उन्हें बराबरी का दर्जा देगी ?

श्री बिस्वास : यदि मुख्तारों को वकालत करने दी जाय तो भी विधि व्यवसायी अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह मामला राज्य उच्च न्यायालयों के अधीन है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस तथा इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को अखिल-भारतीय अधिवक्तृ समिति को निर्दिष्ट नहीं किया गया है ?

श्री बिस्वास : अखिल-भारतीय अधिवक्तृ समिति इस देश के विधि व्यवसायियों के सभी वर्गों की एकता के प्रश्न पर विचार कर रही है और वह समिति यथा समय में इस मामले पर विचार करेगी ।

फोर्ट कोचीन (संविलयन)

*१२०९. **श्री ए० एम० टामस :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने फ़ोर्ट कोचीन को, जो कि मद्रास के मालाबार ज़िले की समावृत्त बस्ती है, त्रावनकोर-कोचीन राज्य में संविलयन के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस अभ्यावेदन का परिणाम क्या हुआ ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री को यह सूचित कर दिया है कि ऐसा करना सम्भव नहीं है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो वे कौन से कारण हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां, इस मामले में त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने एक अभ्यावेदन किया है ।

(ख) तथा (ग). इस मामले पर त्रावनकोर-कोचीन सरकार के परामर्श से विचार हो रहा है ।

(घ) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि फ़ोर्ट कोचीन का यथार्थ क्षेत्र तथा जन संख्या कितनी है ?

डा० काटजू : फ़ोर्ट कोचीन का क्षेत्र-फल एक वर्ग मील है तथा जन संख्या ४०,००० है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में मद्रास सरकार से परामर्श किया गया है ?

डा० काटजू : मद्रास सरकार से पहिले एक बार परामर्श किया गया था और अब फिर परामर्श किया जायगा ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान उन कठिनाइयों की ओर दिलाया है जो उस राज्य को, राजकोषीय कानून के प्रशासन तथा नियंत्रण के मामले में इस वक्त एक वर्ग मील क्षेत्र के उस राज्य में समावृत्त बस्ती के रूप में स्थित होने के कारण अनुभव करनी पड़ती हैं ?

डा० काटजू : इन सब मामलों तथा अन्य बहुत से मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या जब यह मामला राज्य विधान सभा में उठाया गया था तब तो यह उत्तर दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, वह ठीक है ?

डा० काटजू : सम्भवत: माननीय सदस्य को यह विदित हो कि यह प्रश्न १९४९ में उठाया गया था और त्रावनकोर-कोचीन तथा मद्रास सरकारों के परामर्श से इसकी विस्तारपूर्वक जांच की गई थी। उस समय बहुत सी बातें उठाई गई थीं। इसके बदले में मद्रास सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन सरकार से यह मांग की कि कुछ अलग-थलग क्षेत्रों को मद्रास में मिला दिया जाय। अब यह मांग फिर से की जा रही है और इन सब बातों पर विचार किया जायगा। इस का निर्णय करना इतना सरल नहीं जितना कि समझा जाता है। किन्तु हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

श्री ए० एम० टामस : इससे मैं यह समझूं कि त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा में जो यह उत्तर दिया गया था, कि केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्री को इस विषय में उत्तर दिया है कि केन्द्रीय सरकार के लिए इस प्रकार का संविलयन करना सम्भव नहीं है; वह ठीक है या नहीं ?

डा० काटजू : मुझे इसका पता नहीं। मैंने यह वक्तव्य नहीं पढ़ा है जिसका माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं।

श्री पी० टी० चाको : त्रावनकोर-कोचीन के साथ संविलयन के सम्बन्ध में, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस समावृत्त बस्ती का जनमत मालूम कर लिया है ?

डा० काटजू : उस बस्ती का तथा उसके पास रहने वाले लोगों का जनमत मालूम करना पड़ेगा और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार किया जायगा।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या परिसीमन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से फ़ोर्ट कोचीन एक ऐसे क्षेत्र से मिला हुआ है जो कि वहां से ७० मील दूर है ?

डा० काटजू : ऐसा हो सकता है।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाग 'क' राज्यों की और बहुत सी समावृत्त बस्तियां भाग 'ख' राज्यों में हैं, क्या सरकार का विचार कोई अखिल भारतीय एक रूप नीति बनाने का है ?

डा० काटजू : किन्तु इस प्रश्न--एक अखिल भारतीय आयोग की नियुक्ति--पर अभी विचार नहीं हुआ है।

कुमारी एनी मस्करीन : जो सिद्धान्त टांगा सेरी तथा अंजांगो का त्रावनकोर-कोचीन के साथ संविलयन करने में प्रयुक्त किया गया था, क्या वही सिद्धान्त कोचीन पत्तन के उसी राज्य में संविलयन के सम्बन्ध में लगाया जायगा ?

डा० काटजू : मैं इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

हैदराबाद से लिए गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारी

*१२१०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** (क) क्या राज्य मंत्री हदराबाद राज्य के उन कर्मचारियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिनकी सेवायें भारत सरकार ने ले ली हैं ?

(ख) उन आई. ए. एस. अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवायें हैदराबाद से केन्द्रीय सरकार को दे दी गई हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि अन्य राज्यों के कुछ आई० ए० एस० अधिकारी हैदराबाद सेवा में नियुक्त किये जाते हैं, क्या सरकार का विचार उसी प्रकार हैदराबाद के कुछ आई. ए. एस. अधिकारियों की सेवाओं को केन्द्रीय अथवा अन्य राज्य सरकार सेवा में लेने का है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं उन केन्द्रीय अधिकारियों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें हैदराबाद राज्य द्वारा अवांछनीय घोषित कर दिया गया है ?

डा० काटजू : मुझे इसका पता नहीं ।

श्री अच्युतन : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने भाग 'ख' राज्य के किसी अधिकारी को लिया है ?

डा० काटजू : इस प्रश्न का मैंने जो उत्तर दिया है वह यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । माननीय सदस्य उस सूचना की प्रतीक्षा करें ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या यह सत्य है कि जो अधिकारी हैदराबाद सेवा से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग में लिये गये हैं, उनकी वेतन-श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है ?

डा० काटजू : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

अनुसूचित आदिम जातियां

*१२११. **श्री भोखाभाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों की अनुसूचित जातियों के आदेश १९५० की सूची में परिवर्त्तन करने का है;

(ख) क्या सरकार को किन्हीं राज्य सरकारों से कुछ अन्य आदिम जातियों को उक्त सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ग). यह निश्चय किया गया है कि जब तक पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग इस मामले की जांच न कर लें तब तक इसमें परिवर्त्तन न किया जाय ।

(ख) जी हां ।

श्री भोखाभाई : मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री दातार : हमें बहुत से राज्यों और बहुत से सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

श्री भीखाभाई : क्या मैं उन आदिम-ातियों के नाम जान सकता हूं जिनको राजस्थान राज्य सरकार ने उपरोक्त आदेशों में सम्मिलित कर लेने की सिपारिश की है ?

श्री दातार : माननीय सदस्य जो सूची चाहते हैं वह बहुत लम्बी है । मैं उनको इसकी एक प्रति दे दूंगा ।

श्री संगण्णा : मैं इस बात के कारण जान सकता हूं कि कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में क्यों सम्मिलित कर लिया गया है तथा अन्य जातियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है; और क्या सरकार का विचार इस पर पुनर्विचार करने का है ?

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है हमने बहुत सी राज्य सरकारों से परामर्श किया है, और कुछ आदिम जातियों को उसमें सम्मिलित कर लिये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने हमें परामर्श दिया ।

श्री भीखा भाई : मैं जान सकता हूं क्या केन्द्रीय सरकार को कोई गैर सरकारी अभ्यावेदन किये गये हैं ?

श्री दातार : संसद् के सदस्यों ने जो अभ्यावेदन किये हैं उनको छोड़कर कोई गैर-सरकारी अभ्यावेदन नहीं किया गया ।

श्री भीखा भाई : मैं जान सकता हूं कि क्या आदिमजाति सेवक संघ द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

श्री दातार: उसने एक अभ्यावेदन किया था ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९४१ में हरिजनों और भूमिजनों की संख्या कितनी थी और सन् १९५० में राष्ट्रपति की आज्ञा के अनुसार हरिजनों और भूमिजनों की संख्या कितनी है और दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री दातार : अभी शनिवार को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में यथार्थ आंकड़े बताये गये थे ।

श्री जांगड़े : मैं इन दोनों आंकड़ों के अन्तर को जानना चाहता हूं ।

श्री दातार : पहिले ही जो आंकड़े बता दिये गये हैं उनको छोड़ कर मेरे पास और आंकड़े नहीं हैं ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९४० में जो जातियां शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल थीं, उनमें से बहुतेरी जातियों को किस कारण से निकाला गया था ?

श्री दातार : ऐसा बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों और समुदाय को जिन्हें पहिले इसमें सम्मिलित कर लिया गया था उन्हें बाद में विभिन्न सम्बद्ध राज्यों द्वारा दिये गये परामर्श के कारण उस में से निकाल दिया गया हो ।

श्री जांगड़े : मैं इसका कारण जानना चाहता हूं ।

श्री दातार : इसका कारण सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दिया गया परामर्श है ।

श्री जांगड़ : वह परामर्श क्या था ?

श्री दातार : वह यह था कि कुछ वर्ग संविधान द्वारा विभिन्न अनुसूचित जातियों तथा वर्गों को दी गई रियायतों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग, जिसे सरकार शीघ्र ही नियुक्त करेगी, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के प्रश्न की भी जांच करेगा ?

श्री दातार : वह सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करेगा जैसा कि शनिवार को बताया गया था ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त की सिपारिशों को स्वीकार करने को तय्यार है ?

श्री दातार : आयुक्त के परामर्श पर सदा ही उचित रूप से बहुत अधिक ध्यानपूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि इसको निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

श्री दातार: इसकी कसौटी यही है कि वे अनुसूचित जातियां हैं भी या नहीं । कुछ ऐसी जातियां तथा वर्ग हैं जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है । अब प्रश्न यह है कि सम्बन्धित राज्यों की राय में उन जातियों तथा आदिम जातियों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं । कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने कहा कि उन्हें अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है और इसलिये उनके इस परामर्श को स्वीकार कर लिया गया ।

श्री पी० एल० बारुपाल: क्या यह सत्य है कि इस विषय में तारीख २७-११-५० को पूज्य ठक्कर बापा ने राजस्थान की शेड्यूल्ड कास्ट के विषय में चीफ़ सेक्रेटरी, गृह-विभाग, भारत सरकार को कोई पत्र लिखा था और क्या सन् १९४१ की मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट की जन संख्या बीस लाख पचास हजार थी और अब पन्द्रह लाख जो घोषित की गई है वह किस कारण से है और इस विषय में क्या किया जा रहा है ?

श्री दातार: मैं इस प्रश्न का आशय नहीं समझ सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न को लें ।

हैदराबाद की प्रतिभूतियां

*१२१२. **श्री एच० जी० वैष्णव:** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मोइन नवाज़ जंग द्वारा इंग्लैण्ड में जो हैदराबाद सरकार का बहुत अधिक धन तथा प्रतिभूतियां ज़ब्त कर ली गई थीं, ये चीजें वापिस मिल गई या नहीं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ये चीजें कितनी वापिस मिल गई हैं ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) इंग्लैण्ड में उनके विरुद्ध जो मुकदमा चलाया गया था उसका क्या हुआ ?

गृह कार्य तथा राज्यमंत्री (डा०काटजू): (क) तथा (ख) । हैदराबाद सरकार का ४,११,०६५ पौण्ड तथा १,००७,६४० पौण्ड धन बार्कलेज बैंक लिमिटेड और वेस्ट मिस्टर बैंक लिमिटेड में क्रमश: मोइन नवाज़ जंग तथा ज़हीर अहमद और मोइन नवाज़ जंग के नाम में जमा किया गया था । इन बैंकों ने इन धन राशियों को रोक रखा है और इनको वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) स्थिति अब भी वही है जैसी कि ३० जुलाई १९५२ को श्री कृष्णाचार्य जोशी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३४४ के उत्तर में सदन में बता गई थी ।

(घ) मुकदमा अब भी चल रहा है ।

श्री एच० जी० वैष्णव: मैं जान सकता हूं कि क्या इस धन का कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया गया है ?

डा० काटजू: जहां तक मैं समझता हूं कि बैंकों में जो धन है वह धन उन बैंकों में ही है ।

श्री एच० जी० वैष्णव: मैं जान सकता हूं कि क्या मोइन नवाज़ जंग ने राज्य में कोई चल या अचल सम्पत्ति छोड़ी है, और यदि ऐसा है, तो क्या वह इस दावे को ध्यान में रखते हुए जब्त कर ली गई है ?

डा० काटजू: मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री हेडा: क्या यह लेखा नवाब मोइन नवाज़ जंग के नाम में भूतपूर्व हैदराबाद सरकार के विदेश मंत्री के रूप में था अथवा यह उनके व्यक्तिगत नाम में था ?

डा० काटजू: मेरी सूचना यह है कि वह धन इन दो व्यक्तियों के नाम में था । उसमें हैसियत का उल्लेख था या नहीं यह मैं नहीं कह सकता ।

डा० सुरेश चन्द्र: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार अथवा हैदराबाद सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में कोई अधिकारी इंग्लैण्ड भेजा था, और यदि ऐसा है तो उस अधिकारी पर कितना धन व्यय किया गया था ?

डा० कांटजू : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

*१२१३. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो कि मंत्रि-मण्डल के इस निर्णय के अनुसार रख लिये गये हैं कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को उनके निवृत्ति वेतन के प्रश्न पर निर्णय हो जाने तक आयुवार्धक्य प्राप्ति के बाद सेवा में रखा जाय ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १५९.

श्री गिडवानी : कुल संख्या कितनी है ?

श्री दातार : १९४८ से ११-१२-१९५२ तक कुल संख्या १५९ है ।

श्री **गिडवानी** उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अभी तक आयुवार्धक्य प्राप्त नहीं हुए हैं ?

श्री **दातार** : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जिन्होंने आरम्भ में पाकिस्तान जाना स्वीकार किया था और बाद में भारत आ गये—उन्हें अपना निवृत्ति वेतन कब मिलेगा ? क्या यह भारत सरकार देगी ?

श्री दातार : इस प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और विशेष कर सिन्ध के भूतपूर्व कर्मचारियों से है, और उन्हें हमसे निवृत्ति-वेतन मिलता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं । इसका सम्बन्ध बंगाल के उन व्यक्तियों से है जिन्होंने नेताओं के आश्वासन पर १९४७ के बाद पाकिस्तान जाना स्वीकार किया था, और उन्हें अब यह पता नहीं है कि उन्हें अपना निवृत्ति वेतन कहां से मिलेगा ।

श्री दातार : जहां तक निवृत्ति वेतन का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं । हमने पहिले ही ६० प्रतिशत की मंजूरी दे दी है । पहिले निवृत्ति वेतन केन्द्रीय सरकार देगी और पाकिस्तान सरकार के साथ निवृत्ति वेतन के समायोजन के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि जो सिद्धान्त माननीय मंत्री ने अभी बताया है क्या वह सभी निवृत्ति वेतन भोगियों पर लागू होता है अथवा इसमें कुछ भेद भाव किया जाता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जहां तक पूर्वी बंगाल का सम्बन्ध है निवृत्ति वेतन भोगी पूर्वी-बंगाल सरकार से अपना निवृत्ति वेतन लेने के अधिकारी हैं । वहां आने जाने के मामले में कुछ कठिनाई थी और हमने पूर्वी बंगाल सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे जिसमें यह भी सम्मिलित है कि किसी व्यक्ति को अपना निवृत्ति वेतन लेने के लिये वहां हर बार जाना न पड़े, अपितु वह वहां वर्ष में एक बार स्वयं उपस्थित हो सकता है । इन सुझावों के सम्बन्ध में हमारे तथा पूर्वी-बंगाल सरकार के बीच बातचीत चल रही है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : माननीय मंत्री श्री दातार ने अभी कहा कि जब तक यह मामला पाकिस्तान सरकार द्वारा तय न कर दिया जाय, निवृत्ति वेतन का ६० प्रति-शत भाग हमारी सरकार देगी और तब दोनों सरकारों के बीच समायोजन हो जायगा । क्या इसी सिद्धान्त का सभी वर्गों के सम्बन्ध में, जिसमें श्री जैन द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, अनुसरण किया जायगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह व्यवस्था पूर्वी पाकिस्तान पर लागू नहीं होती । पाकिस्तान के

साथ कुछ विशेष समझौतों के अन्तर्गत केवल पश्चिमी पाकिस्तान पर लागू होती है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इसको पूर्वी पाकिस्तान पर भी क्यों न लागू किया जाय ? मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से निवृत्ति वेतन भोगी हैं जो भुखमरी की अवस्था में हैं, क्योंकि उन्हें अपना निवृत्ति वेतन नहीं मिल रहा है । इस मामले में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को एक सा समझना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : पूर्वी पाकिस्तान में दशा बहुत भिन्न है । पश्चिमी पाकिस्तान में पूरा प्रवासन हुआ है और वहां पर आने जाने की कठिनाइयां हैं । जैसा कि मैंने कहा इस मामले पर पूर्वी बंगाल सरकार से बातचीत चल रही है जिससे कि निवृत्ति वेतन प्राप्त करने में कठिनाइयां न हों ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि पिछले ढाई वर्ष से अपने निवृत्ति वेतन नहीं ले सके हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इसमें कुछ कठिनाइयां रही हैं और हम उन प्रश्नों के मामले पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो निवृत्ति वेतन भोगी पाकिस्तान से चल आये हैं और जिन्हें अपना निवृत्ति वेतन नहीं मिल रहा है, उनके सम्बन्ध में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच क्या अन्तर है ?

श्री ए० पी० जैन : पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में भिन्न भिन्न दशायें हैं और भिन्न भिन्न समझौते हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सम्पत्ति मालिकों तथा निवृत्ति वेतन भोगियों को एक ही श्रेणी में रखने का विचार कर रही है ?

श्री ए० पी० जैन : बिल्कुल नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या मैं ऐसे विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की संख्या जान सकता हूं जो कि आयुवार्धक्य प्राप्त थे किन्तु जो अपने निवृत्ति वेतन के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय होने तक रख लिये गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : इसे हम तब देखेंगे जब किसी प्रकार के प्रलेख मिल जायेंगे ।

भारतीय वायुसेना का उपकरण विभाग (ईक्विपमेंट ब्रांच)

*१२१५. **श्री पुन्नूस** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ के आरम्भ में भारतीय वायुसेना के उपकरण विभाग में कमीशंड रैंक (पदों) के लिये कोई भरती हुई थी ;

(ख) यदि ऐसा है तो आवेदन पत्र देने वालों की संख्या कितनी थी और कितने प्रारम्भिक चुनाव (सैलेक्शन) में आ गये थे ; तथा

(ग) जो अन्तिम रूप से चुन लिये गये थे उनकी संख्या कितनी थी और वे किन राज्यों के निवासी हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) (१) आवेदन पत्र देने वालों की संख्या २५२

(२) अन्तिम इंटरव्यू के लिये चुने गये व्यक्तियों की संख्या १०२

(ग) अन्तिम रूप से चुने गये व्यक्तियों की संख्या	१८
उत्तर प्रदेश	८
पंजाब	३
बम्बई	२
नागपुर	२
मध्य भारत	१
मध्य प्रदेश	१
दिल्ली	१
	१८

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या चुनाव करने के लिये कोई विशेष संगठन था ?

सरदार मजीठिया : हां, सशस्त्र सेना चुनाव (सर्विसेज़ सैलेक्शन) बोर्ड ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं उसके विषय में कुछ जान सकता हूं ? इसके सदस्य कौन थे ?

सरदार मजीठिया : सशस्त्र सेना चुनाव बोर्ड जो देहरादून में यह काम करता है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन से भी किसी ने आवेदन पत्र दिया था ?

सरदार मजीठिया : मुझे उसका पता नहीं । किसी ने दिया होगा । सम्भवत: वह उसके उपयुक्त नहीं था ।

श्री बी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सशस्त्र सेना चुनाव बोर्ड केवल उत्तर भारत के लिये ही था अथवा क्या दक्षिण भारत के भी आवेदन पत्र देने वाले इसके समक्ष आये ?

सरदार मजीठिया : इसमें कोई भेद भाव नहीं किया गया था । भारत के सभी लोगों ने आवेदन पत्र दिये थे ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह चुनाव पूरे भारत म से किया गया था ?

सरदार मजीठिया : जी हां ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को कोई अधिमान दिया गया था ?

सरदार मजीठिया : मुझ इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर० एण्ड आर०) योजनायें ग्रेड ३

*१२१६. **श्री गणपति राम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर० एण्ड आर०) योजना ग्रेड ३ का पुनर्संगठन पूरा हो गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों के रक्षण की योजना का किस प्रकार पालन किया गया है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन, जिस पर ४० संसद् सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे, जून, १९५२ के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था तथा एक प्रतिनिधि मंडल गृह-कार्य मंत्री से मिला ; तथा

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी ३ का संगठन कार्य समाप्त होने वाला है ।

(ख) स्थान रक्षण तो केवल सीधे की जाने वाली भर्ती में किया जाता है । ग्रड ३ के स्थायी पदों में नियुक्तियां विभागीय उम्मीदवारों को चुन कर की गई हैं जिनमें स्थान रक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती। ग्रेड ३ के कार्यकारी नियक्ति के लिये 'चुने गय

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को, विशेष भर्ती बोर्ड/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में उनकी स्थिति का विचार किये बिना ही सहायक (असिस्टैंट) सुपरिंटेंडेटों के नियमित अस्थायी संस्थापन में नियुक्त किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सेवाओं के बनाये रखने के लिये निदेश बनाते समय अभ्यावेदन को ध्यान में रखा गया है ।

श्री गणपति राम: मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत सेवाओं की कुल संख्या कितनी है ?

श्री दातार: ग्रेड १ अवर सचिव १८०; ग्रेड २ सुपरिंटेंडेंट ३००; ग्रेड ३ सहायक सुपरिंटेंडेंट ४०० ।

विश्व बैंक से उद्योगों को ऋण

*१२१६-क. **कुमारी एनी मस्करीन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण में से ऋण दिया गया है ;

(ख) कितना धन लिया गया है; तथा

(ग) ऐसे ऋणों की कोई शर्तें थीं, यदि थीं तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में से पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये लिये गये ऋण में से भारत के किसी उद्योग को अब तक कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) । ये उत्पन्न नहीं होते ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा कोई ऋण दिया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस विषय में बात चीत तो प्राय पूरी हो चुकी है किन्तु उन्हें तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक कि औद्योगिक वित्त निगम इस हाल ही के औद्योगिक वित्त निगम संशोधन विधेयक के पारित हो जाने पर ऋण करार पर हस्ताक्षर करने को तय्यार न हो जाय ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि त्रावनकोर-कोचीन के उद्योगों को दी जाने के लिये स्वीकृति ६५ १/२ लाख की राशि नहीं दी गई है क्योंकि औद्योगिक वित्त निगम ने यह आग्रह किया है कि फैक्टरियों का बीमा कराया जाना चाहिये जब कि बात यह है कि उनका बीमा पहिले ही राज्य बीमा योजना के द्वारा कराया जा चुका है ?

श्री सी० डी० देशमुख: हम पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ; औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये रुपये के रूप में ऋणों के सम्बन्ध में नहीं । अत: मैं इस प्रश्न का उत्तर पूर्व सूचना के बिना नहीं दे सकता ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम जैसा कि वह हाल ही में संशोधित किया गया है, उपबन्ध उन ऋण लेने वालों पर भी लागू होंगे जिन्होंने ये ऋण इस संशोधन अधिनियम के पारित किये जाने से पूर्व लिये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: जी नहीं । मैं नहीं समझता कि इसका कोई अनुवर्ती प्रभाव भी है ।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि विश्व बैंक से आयरन एण्ड स्टील कॉरपोरेशन को मिलने वाले ऋण की बात चीत अन्तिम रूप से तय हो गई ?

श्री सी० डी०देशमुख: ये अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुई है ।

हैदराबाद के कर्मचारी

*१२१७. **श्री एस० ए० खान:** (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद के संघ के साथ एकीकरण पश्चात् उस राज्य के कर्मचारियों को कोई आश्वासन दिया गया था कि उनके वैध अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की जायगी ?

(ख) यदि ऐसा है, तो हैदराबाद मुद्रा के विमुद्रीकरण के पश्चात् हैदराबद टक्साल के कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार ने कोई कार्रवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) केन्द्र के साथ वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को खपा लेने के सम्बन्ध में भाग 'ख' राज्यों को निम्नलिखित आश्वासन दिया गया था :

"राज्यों में फेडरल" विषयों से सम्बन्धत कार्यों में पूर्ण रूप से (या अधिकतर) लगे हुए स्थायी कर्मचारियों को केन्द्र निर्धारित तारीख को उचित ग्रेडों में और उन शर्तों पर, जो राज्य की सेवाओं से कम लाभदायक न हों, अपने अधीन ले लेगा । उसी प्रकार लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों को भी यथासम्भव ले लिया जायगा, जिसमें उनकी उपयोगिता का उचित ध्यान रखा जायगा ।

(ख) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्नों के लिखित उतर

गर्ल गाइड्स असोसियेशन आफ इण्डिया

*११८८. **सरदार हुक्म सिंह: शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गर्ल गाइड्स असोसियेशन आफ़ इण्डिया औपचारिक रूप से भारत स्काउट्स में मिल गया है ?

(ख) इन संघों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कितना धन, उनके प्रशासनीय व्यय के लिए केन्द्रीय राजस्व में से अनुदान के रूप में मिलता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनसन्धान उपमंत्री श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) १९५१-५२ में भारत सरकार से भारत स्काउटस एण्ड गाइड्स को ३५,००० रुपये कां अनुदान मिला और गर्ल गाइड्स असोसियेशन को २,५०० रुपये का अनुदान मिला । चालू वित्तीय वर्ष में भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स को ३२,४०० रुपये का संचित अनुदान दिया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए छात्रवृत्तियां

*११९२. **श्री बाल्मीकि :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से, जिनके पहिले, दूसरे, तीसरे डिवीज़न हों, क्रमश: १९५२ की भारत सरकार छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनों को छात्रवृत्तियां पृथक् रूप से दे दी गई हैं; तथा

(ग) भंगी जातियों के, जिनमें मेहतर, बाल्मीकि, डोम, हाड़ी आदि सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों के मामलों में कहां तक विशेष रूप से विचार किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३८.**]

(ग) उनके मामलों को मान लिया जाता है और उल्लिखित उपजातियों के प्रायः सभी विद्यार्थी १९५२-५३ की छात्रवृत्तियों के लिए चुन लिये गये हैं।

नौसेना विमान पक्ष (फ्लीट एयर आर्म)

***११९७. श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नौसेना के लिए एक "नौ सेना विमान पक्ष" स्थापित करने का है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो यह किस स्थान पर बनाया जायगा और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नौ-सेना विमानों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) क्या नौ-सेना विमानों के लिए कोई व्यादेश दिये गये हैं, और यदि ऐसा है, तो ये व्यादेश किसे दिये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग) तक। मैं माननीय सदस्य का ध्यान ११ दिसम्बर, १९५२ तथा जुलाई १९५२ को क्रमशः श्री ए० एम० टामस द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ तथा डा० पी० एस० देशमुख द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४७ के दिये गये उत्तरों की ओर दिलाता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि इस योजना के विषय में और अधिक विवरण देना जनहित में न होगा।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा

***११९८. श्रीमती सुषमा सेन:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य अथवा राज्यों ने भारत सरकार को भारत में अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने के लिए लिखा है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी नहीं।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

काश्मीर की रक्षा

***१२०८. श्री पी० सुब्बा राव:** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर मिलाये जाने के बाद से केन्द्रीय सरकार को काश्मीर राज्य से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय-कर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा अन्य करों के रूप में, जो कि केन्द्रीय सरकार को वसूल करने थे, कितना धन प्राप्त हुआ;

(ख) इस समय तक काश्मीर की रक्षा पर भारत सरकार ने कितना धन व्यय किया; तथा

(ग) भारत सरकार द्वारा काश्मीर तक सड़कों के बनाने पर कितना धन व्यय किया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य आय कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों के मामले में भारत से नहीं मिला। इसलिए ये कर तथा शुल्क राज्य में वहां की सरकार द्वारा ही लगाये जाते हैं और इकट्ठे किए जाते हैं। इन करों की राशि केन्द्र को नहीं दी जाती है।

(ख) इस सम्बन्ध में संसद् में तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के १३ दिसम्बर, १९५० को रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर तथा तारांकित प्रश्न संख्या ४६२२ के भाग (क) (१) के २९ मई १९५१ को

राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ग) मार्च १९५२ की समाप्ति तक जम्मू-पठानकोट सड़क के निर्माण तथा देख-भाल पर ३३२.७० लाख रुपये व्यय किये गए थे । १९५२-५३ में अनुमानित व्यय २९.५१ लाख रुपये है जिसमें से ५.२१ लाख रुपये सड़क की मरम्मत का व्यय है ।

नये खनिज पदार्थ

*१२१४ **श्री डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को १९४९ से १९५२ तक के बीच देश के किसी भाग में किन्हीं नये खनिज पदार्थों का पता लगा है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस राज्य में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप के संचालक ने यह सूचित किया है कि १९४९ तथा १९५२ के बीच भारत के भूतत्वीष परिमाप विभाग द्वारा ऐसे किसी लौह मिश्रित खनिज पदार्थ का, यथा सोना, तांबा, सीसा और जस्ता, पता नहीं लगा है जिसे कि लाभप्रद रूप से निकाला जा सके ।

बेरिल, यूरेनियम और कच्चे थोरियम तथा इल्मेनाइट की नई खानों का पता लगा है । बेरिल, यूरेनियम और कच्चे थोरियम की नई खानों का स्थान तथा इनकी मात्रा बताना जनहित में नहीं होगा ।

सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले आयरन पाइराइट की अमजोर, बिहार में इस अवधि में जो जांच की गई है और इस सम्बन्ध में जो काम किया गया है उससे यह पता लगा है कि वहां दस लाख टन की मात्रा निकाले जाने के लिए उपलब्ध है ।

निर्वाचन न्यायाधिकरण

*१२१८. **पंडित बालकृष्ण शर्मा**: (क) **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन न्यायाधिकरणों के परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकने के तथा निर्वाचन निर्णयों में एक समानता रखने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(ख) क्या इस विषय में सरकार को भारत के निर्वाचन आयोग के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विस्वास) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

भारतीय तथा किंग्स कमीशन के अधिकारी

६९२. **श्री बालकृष्न्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कमीशन के अधिकारियों को वही पद दिया गया है जोकि पुराने किंग्स कमीशन के अधिकारियों का है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उनकी वेतन-श्रेणी एक सी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) पहिले के किंग्स कमीशन के अधिकारियों की वेतन श्रेणियां भारतीय कमीशन के अधिकारियों की वेतन श्रेणियों से अधिक हैं । ऐसा इसलिए है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि पुराने किंग्स कमीशन के अधिकारियों के वेतन और भत्तों में कोई अन्तर नहीं किया जायेगा और यह स्थिति तब भी नहीं बदली जबकि किंग्स कमीशन के अधिकारियों ने स्थल सेना के अपने कमीशन २६ जनवरी १९५० को छोड़ दिये थे और राष्ट्रपति से नये कमीशन प्राप्त किये ।

संविहित तथा असंविहित निकाय (शिक्षा मत्रालय)

६९३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ सितम्बर, १९५१ को पूछे

गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से अब तक इस मंत्रालय के प्रशासनस्मक नियंत्रण के अधीन बनाये गये स्थायी रूप के संविहित तथा असंविहित निकायों के नाम क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में निम्नलिखित सूचना दें :

(१) वे किस तारीख़ को बनाये गये थे; (२) उनके द्वारा किया गया आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय कितना था; (३) उनके लेखों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था क्या है; तथा (४) उनके कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तरीका क्या है;

(ख) उन तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जोकि उसी अवधि में नियुक्त की गई थीं और वे किस तारीख़ को नियुक्त की गई थीं;

(ग) ऐसी तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना काम समाप्त कर दिया है और उसी अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह रिपोर्ट किस तारीख़ को प्रस्तुत की गई थी;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जोकि अब भी काम कर रही हैं और वे किस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी; तथा

(ङ) ऐसे निकायों के नाम क्या हैं जोकि स्थायी रूप के हैं तथा जिनका काम परामर्श देना है और जिन्हें इस अवधि में खत्म कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ङ) तक. चार विवरण, जिनमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिए परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या ३९**]

संविहित तथा असंविहित निकाय (वित्त मंत्रालय)

६९४. श्री एस० एन० दास : क्या वित्त मंत्री ३० अगस्त १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से अब तक इस मंत्रालय के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अधीन बनाये गये संविहित तथा असंविहित निकायों के नाम क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में निम्नलिखित सूचना दें :—

(१) वे किस तारीख को बनाये गये थे;

(२) उनके द्वारा किया गया आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय कितना था;

(३) उनके लेखों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था क्या है; तथा

(४) उनके कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तरीका क्या है;

(ख) उन तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जोकि उसी अवधि में नियुक्त की गई थीं और वे किस तारीख़ को नियुक्त की गई थीं;

(ग) ऐसी तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना काम समाप्त कर दिया है और उसी अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह रिपोर्ट किस तारीख़ को प्रस्तुत की गई थी;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जोकि अब भी काम कर रही हैं और वे किस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी; तथा

(ङ) ऐसे निकायों के नाम क्या हैं जोकि स्थायी रूप के हैं तथा जिनका काम परामर्श देना है और जिन्हें इस अवधि में खत्म कर दिया गया है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) वित्त मंत्रालय के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अधीन ३० अगस्त १९५१ से स्थायी रूप के कोई संविहित अथवा असंविहित निकाये नहीं बनाये गये हैं ।

(ख) ३० अगस्त, १९५१ से निम्नलिखित दो समितियां नियुक्त की गई हैं :—

समिति का नाम	तारीख़ जिस दिन स्थापित की गई ।
(१) महंगाई भत्ता समिति	१५-७-५२
(२) बैंक दिवाला कार्यवाही समिति ।	१९-७-५२

(ग) इन तीन निम्नलिखित समितियों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है :—

समिति का नाम	जिस तारीख़ को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
(१) उत्पाद शुल्क की विशेषज्ञ समिति	सितम्बर, १९५१
(२) समवाय विधि समिति	२९ फरवरी, १९५२
(३) महंगाई भत्ता समिति	८ अक्टूबर, १९५२

(घ) निम्नलिखित तीन तदर्थ समितियां । आयोग अब भी कार्य कर रहे हैं :

समिति आयोग का नाम	जिस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है
(१) आयकर जांच आयोग	आयोग द्वारा इसको निर्दिष्ट किय गये मामलों की जांच ३१ दिसम्बर, १९५३ तक समाप्त किये जाने की आशा है।
(२) राष्ट्रीय आय समिति	समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट जनवरी, १९५३ तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।
(३) बैंक दिवाला कार्यवाही समिति	समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर, १९५२ तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ङ) यह उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों द्वारा विकल्प दिया जाना

६९५. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाजन समिति के निर्णय के अन्तर्गत, सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, भारत या पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए अपना विकल्प देने से पूर्व, यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी सेवा की शर्तों की गारंटी की गई है;

(ख) क्या उपरोक्त गारंटी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जो ऐसे स्थानों, में, जो अब पाकिस्तान में हैं, नौकरी कर रहे हैं और जिन्होंने भारत आने के लिए कहा था, उन कार्यालयों के, जहां वे विकल्प देने वाले रख लिये गये थे, के स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले में अपनी परिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति तथा पुष्टि के अधिकारी हैं; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि हाल ही में सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनके द्वारा १० से २० वर्ष तक की नौकरी वाले विकल्प देने वाले ऐसे कर्मचारी पदोन्नति तथा पुष्टि के अभिप्राय के लिए सर्वथा अस्थायी तथा । अथवा अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों के साथ रख दिये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारियों को, जो उन स्थानों से आये हैं जो अब पाकिस्तान में हैं और जिन्होंने भारत में नौकरी के लिए कहा था, स्थायी आधार पर यथासम्भव उन्हीं वेतन श्रेणियों तथा उन्हीं कार्यालयों विभागों में रख लिया गया है। जहां ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका और ऐसे व्यक्तियों को भिन्न कार्यालयों विभागों में नौकरी दे दी गई है, उनके लिए अतिरिक्त पद बनाये गये हैं जिनमें वेतन श्रेणी उन्हीं के समान होगी जिनमें कि वे विभाजन से पूर्व थे, जिससे कि उनकी स्थाई पद स्थिति तथा वेतन वही रहें। इस प्रकार भारत के लिए विकल्प देने वाले सभी व्यक्तियों को वही विशेषाधिकार और पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं जोकि उन्हीं वेतन श्रेणियों तथा उन्हीं कार्यालयों विभागों के स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

(ग) जी नहीं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों का राजस्व

६९६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९४५ में, जबकि जापानियों द्वारा हथियार डाल देने के बाद इन द्वीपों पर उन्होंने अधिकार कर लिया गया था, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों का कुल राजस्व कितना था तथा १९४५ के अन्त में प्रशासन पर कितना व्यय हुआ था ?

(ख) वर्ष १९४९ तथा १९५१ में इन द्वीपों के प्रशासन में कितनी आय हुई थी और कितना व्यय हुआ था ?

(ग) केवल जंगलों से ही कितनी आय हुई थी ?

(घ) अण्डमान तथा निकोबार के बीच आवागमन के साधनों की, विशेषकर निकोबार द्वीप में कार में, क्या दशा है ?

(ङ) जंगलों से पूर्ण रूप से लाभ उठाने के बाद पांच वर्षों में अनुमानित आय क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): अक्तूबर १९४५ से मार्च १९४६ तक २,४६,००० रुपये की आय हुई तथा उसी अवधि में व्यय ३६,९९,००० रुपये हुआ।

आय तथा व्यय इस प्रकार था :—

	आय	व्यय
	रुपए	रुपए
१९४९-५०	८५,६९,०००	१,२८,६४,०००
१९५०-५१	७९,२९,२००	१,४१,४१,१००
१९५१-५२	१,०७,९७,०००	१,३८,८३,०००

(ग)

	रुपए
१९४९-५०	७०,२३,०००
१९५०-५१	५०,६४,७००
१९५१-५२	७४,३५,०००

(घ) एस० एस० "महाराजा" पोर्ट-ब्लेयर से मद्रास जाते तथा वहां से वापिस आते समय अपनी प्रत्येक बार की यात्रा में कार निकोबार को एक वर्ष में बारह बार जाता है। मैसर्स अकोजी, एक कम्पनी जोकि निकोबार में एजेन्ट हैं, के छोटे छोटे जहाज़ निकोबार द्वीप समूह तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच आते जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार के कार्य के लिए उपलब्ध होते हैं।

(ङ) १९५६-५७ के अन्त में इसकी १०५ लाख रुपये होने की आशा है।

निकोटीन

६९७. **डा० अमीन:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोग-शाला (नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी) द्वारा तम्बा

अवशेष से निकोटीन बनाने के अनुसन्धान कार्य को पूरा करने में कुल कितना व्यय किया गया ; तथा

(ख) इस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाने वाली निकोटीन का खर्चा क्या होगा तथा वह सस्ता दाम क्या है जिस पर यह विदेशों से उपलब्ध है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) इस पर किया गया कुल व्यय लगभग ६,२०० रुपये है।

(ख) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा इसके आर्थिक प्रश्न की जांच हो रही है । आयात की गई निकोटीन सल्फ़ेट का खर्च प्रति किलोग्राम (लगभग २·२ पौंण्ड) २० रुपये बताया जाता है ।

भाषा सारिणी

६९८. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१ की जन-गणना के सम्बन्ध में भाषा सारिणी तय्यार की जा रही है;

(ख) यदि उपयोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो ऐसी भाषा सारिणियां कब तक छप जायेंगी ; तथा

(ग) क्या हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों के लिये कोई विशेष भाषा सारिणियां तय्यार की जा रहीं हैं जिनमें मुख्य प्रादेशिक भाषाओं यथा बृजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि में उप-भाषा दी हुई हों ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हाँ ।

(ख) भाषा सारणियों की १९५३ के मध्य तक छप जाने की आशा है ।

(ग) १९५१ की जनगणना की भाषा सारिणियों में वे सभी भाषायें तथा स्थानीय भाषायें होंगी जो कि गणना किये जाने वाले लोग लिखवायेंगे ।

सचिव का दौरा

६९९. **डा० अमीन** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय के वर्तमान सचिव १५ अगस्त १९४७ से सरकार के कार्यों के निमित्त भारत से बाहर कितनी बार तथा किस किस समय गये तथा प्रत्येक दौरे में कितने समय विदेशों में रहे ?

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन में वह अपने प्रत्येक दौरे में गये और उसके क्या कारण हैं ?

(ग) इनमें से प्रत्येक दौरे पर सरकार द्वारा क्या व्यय किया गया था ?

(घ) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि ऐसा है तो सरकार का विचार इन रिपोर्टों को सदन पटल पर कब रखने का है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ) तक । एक विवरण जिसमें मांगी गई सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४०.**]

मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्तियां

७००. **श्री के० सी० जेनी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय छात्रवृत्ति बोर्ड को इस वर्ष मैट्रिक-उत्तर छात्रवृत्तियों के लिये विभिन्न रज्यों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के विद्यार्थियों से कितने आवे-

दन पत्र प्राप्त हुए (संख्या राज्य-वार बताई जाय) ?

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों पर चिार कर लिया गया है और आवेदन पत्र देने वालों को छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखियें परिशिष्ट ७,** अनुबन्ध संख्या ४१]

(ख) जी हां, १९५२-५३ की छात्रवृत्तियां के लिये पूरे भारत से अनुसूचित जातियों के ३,०६२ तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के १,०९४ विद्यार्थी चुन लिये गये हैं ।

इम्पीरियल बैंक आफ़ इन्डिया

७०१. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्पीरियल वैंक आफ इन्डिया के केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों में कितने प्रतिशत अंग्रेज़ डायरेक्टर हैं ;

(ख) इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में भारतीयकरण किस स्थिति तक हुआ है तथा पूर्ण भारतीयकरण की क्या सम्भावनायें हैं;

(ग) १९५१-५२ में भारतीय, पाकिस्तानी तथा अंग्रेज़ हिस्सेदारों में हिस्सों को किस प्रकार बांटा गया ;

(घ) १९५१-५२ में (१) सरकार तथा (२) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किये गये जमा धन की राशि कितनी है ; तथा

(ङ) १९५१-५२ में (१) भारतीय फ़र्मों तथा (२) अंग्रेज़ी फ़र्मों को दिये गये आग्रिम धन की राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया के केन्द्रीय बोर्ड तथा स्थानीय बोर्डों के डायरेक्टरों की कुल संख्या में ब्रिटिश डायरेक्टरों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

केन्द्रीय बीर्ड	२५ प्रति शत
कलकत्ता स्थानीय बोर्ड	४२ प्रति शत
बम्बई स्थानीय बोर्ड	२८ प्रति शत
मद्रास स्थानीय बोर्ड	४२ प्रति शत

(ख) ३१ दिसम्बर १९४६ को इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया के अधिकारियों की संख्या यह थी : १०१ यूरोपियन अधिकारी तथा ७३ भारतीय । ३१ अक्तूबर, १९५२ को यह संख्या इस प्रकार थी : २९ यूरोपियन तथा १२० भारतीय । भारत में १६ वरिष्ठ कार्यालय पद नियुक्तियों में से १० पर तो पहिले ही भारतीय रखे जा चुके हैं । ऐसी आशा की जाती है कि १९५५ तक बैंक में सभी वरिष्ट पद नियुक्तियों पर भारतीय रखे जायेंगे ।

(ग) २१-५-१९५२ को हिस्सों की संख्या इस प्रकार थी :—

	पूर्णरूप से भुगतान किये गये	आंशिक रूप से भुगतान किये गये
यूरोपियनों के	९,७४३	१२,१५८
भारतीयों के	४६,७०८	१,१०,६५२
अन्यों के (जिसमें निगम, समितियां, संघ आदि सम्मिलित हैं)	१८,५४९	२७,१९०
कुल योग	७५,०००	१,५०,०००

पाकिस्तानी हिस्सेदारों के हिस्से दिखाने वाले पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) ३०-६-१९५२ को बैंक के सन्तुलन पत्र में दिखाये गये जमा धन की राशि २२६ ३/४ करोड़ रुपये थी । इम्पीरियल बैंक रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया के एजेन्ट के रूप में सरकार का कार्य कर रहा है । सरकार की ओर से धन प्राप्त करने तथा धन का भुगतान करने का कार्य का रिज़र्व बैंक के साथ प्रतिदिन समायोजन किया जाता है। अतः भारत सरकार का इस बैंक में कोई धन जमा नहीं रहता ।

(ङ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु अग्रिम धन का एक विश्लेषण अप्रैल १९४८ में किया गया था जिससे यह मालूम हुआ कि उस समय अदत्त धन में से ३ प्रति शत पूरी तरह से यूरोपियन कम्पनियों के नाम में था, २० प्रति शत आंशिक रूप से यूरोपियन कम्पनियों के नाम में था तथा ७७ प्रति शत गैर यूरोपियान कम्पनियों के नाम में था ।

बन्द करने की कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाना

७०२. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बन्द करने की कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाने के लिये बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये हैं, और यदि ऐसा है, तो किस उच्च-न्यायालय द्वारा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ के अन्तर्गत किन्हीं भी नियमों को बनाने की आवश्यकता नहीं । सम्भवतः माननीय सदस्य उन नियमों का निर्देश कर रहे हैं जो कि बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५-ख की उप-धारा (२) तथा धारा ४६-छ के अन्तर्गत बनाये जाने के लिये आवश्यक हैं । भारत सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों के उच्च-न्यायलयों ने इन धाराओं के अन्तर्गत-आवश्यक नियम बनाये हैं :–

(१) मद्रास
(२) त्रावनकोर-कोचीन
(३) बम्बई
(४) सौराष्ट्र
(५) हैदराबाद
(६) मैसूर
(७) आसाम
(८) पेप्सू
(९) राजस्थान
(१०) पंजाब
(११) बिहार

बैंकों की परिसमापन कार्यवाही समिति

७०३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बैंकों की परिसमापन कार्यवाही समिति की रिपोर्ट की कब तक छप जाने की आशा है तथा इस देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ऐसी आशा की जाती है कि बैंकों की परिसमापन समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर, १९५२ तक भेज देगी । उस रिपोर्ट के मिलने पर उसके प्रकाशित किये जाने के प्रश्न पर निश्चय किया जायगा ।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

७०४. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे किसी भाग 'क' अथवा भाग 'ख' राज्य के, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हों, राज्यपाल अथवा राजप्रमुख ने ऐसे क्षेत्रों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासनके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत

की है, जैसा कि संविधान की अनुसूची ५, कन्डिका ३ में अपेक्षित है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या ऐसी रिपोर्टों पर केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने का है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) जी हां ।

(ख) ये रिपोर्टें सरकार की सूचना के लिये होती हैं ।

(ग) जी नहीं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में जो कि संसद् को प्रस्तुत की जाती है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिमजातियों से सम्बन्धित सभी महत्व-पूर्ण मामले दिये होते हैं ।

कैथोलिक मिशन द्वारा चलाई जाने वाली संस्थायें

७०५. श्री नम्बियार : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें कैथोलिक मिश्नों द्वारा चलायी जाने वाली संस्थाओं की संख्या, प्रत्येक को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, जितने वर्षों तक प्रत्येक कार्य करता रहा है उनकी संख्या तथा प्रत्येक का पाठ्यक्रम दिया हुआ हो ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बहुत सी उपरोक्त संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये वाइबिल का पढ़ना अनिवार्य है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख) । भारत सरकार के पास इस मामले की कोई सूचना नहीं है और न उन संस्थाओं को कोई अनुदान दिया जाता है ।

सेना के स्टोरों (सामान) के लिये ढका हुआ स्थान

७०६. श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आर्डिनेंस डिपों में खुले हुए स्थान में पड़े हुए सेना के बहुमूल्य स्टोरों जो कि बहुत जल्दी खराब होते जा रहे हैं, के लिये ढके हुए स्थान की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) गोदामों की छतों की मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, जिनके मरम्मत की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसके बिना वर्षा का पानी विभिन्न सी० ओ० डी० में स्टोरों को बहत हानि पहुंचाता है ;

(ग) विभाजन के उपरान्त इसके परिणामस्वरुप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ; तथा

(घ) ढके हुए स्थान के अभाव के परिणाम स्वरूप जो स्टोर खराब हो रहे हैं उनको बेच क्यों नहीं दिया जाता, विशेष-कर जबकि ऐसा स्थान बनाने में बहुत अधिक धन व्यय होगा जिसकी वर्तमान स्थितियों में मिलने की सम्भावना नहीं है और इस प्रकार देश को भारी हानि से बचाया जाय ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सेना के बहुमूल्य स्टोरों को विद्यमान ढके हुए स्थानों में रखने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । अतिरिक्त ढके हुए स्थान के लिये विभिन्न योजनायें आरम्भ की गई हैं/की जा रही हैं ।

(ख) सेना की सभी इमारतों तथा गोदामों की नियमित रूप से वार्षिक मरम्मत तथा असाधारण मरम्मत की जा रही है और उसके लिये एक पृथक राशि रख दी गई है ।

(ग) इस प्रकार की हानि बताने वाले प्रथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) जो स्टोर खुले स्थानों में पड़े हैं वे ऐसे नहीं हैं जिनकी आवश्यकता न पड़ती हो । इन स्टोरों में जो रक्षा की दृष्टि से फालत् हैं उन्हें रसद तथा उत्सर्जन के महानिदेशालय के द्वारा निकाला जा रहा है । शेष के लिये ढका हुआ स्थान जल्दी से तैयार किया जा रहा है ।

चाय की फसलों के आधार पर अग्रिम धन

७०७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि **क्या** रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया में अन्य बैंकों से चाय की फस्लों के आधार पर अग्रिम धन देना बन्द करने के लिये कहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी नहीं । वास्तव में अनुसूचित बैंकों से प्राप्त आंकडों के आधार पर रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा किये पुनर्विलोकन के अनुसार इन बैंकों ने भारतीयों के चाय के बगीचों को १९५२ सत्र के लिये अपेक्षित अधिकांश धन दिया है । अनुसूचित बैंकों द्वारा चाय बगीचों को दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने इनको फिर से बट्टा काटने की सुविधा देने का निश्चय किया है और इस बात की ओर चाय बोर्ड का ध्यान विशेष रूप से दिलाया गया है । रिज़र्व बैंक बिल मार्केट योजना के अन्तर्गत चाय बगीचों को धन देने के लिये अनुसूचित बैंकों को आग्रिम धन भी दे रहा है ।

सशस्त्र सेनाओं के लिये हिन्दी

७०८. **श्री के० आर० शर्मा :** **क्या रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों (रैंकों) के लिये हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया है ; तथा

(ख) भारतीय शस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों को हिन्दी सिखाने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, केवल अधिकारियों के लिये। इसे दूसरों के लिये भी अनिवार्य किया जा रहा है ।

(ख) यूनिटों तथा संस्थापनाओं में हिन्दी की कक्षायें लगती है ।

ज्वाइंट स्टाक कम्पनी (संयुक्त स्कन्ध समवाय) के रजिस्ट्रार

७०९. **श्री के० आर० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रत्येक भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्य में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों का रजिस्ट्रार है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत संघ में काम करने वाली सभी बीमा कम्पनियां ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराई गई हैं ;

(ग) क्या भारत से वाहर रजिस्टर कराई गई किन्हीं बीमा कम्मनियों को भारत संघ में काम करने की अनुमति दी जाती है और यदि हां तो क्या सरकार ऐसी कम्पनियों की कोई सूची रखती है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि "प्रोविंश्यल यूनियन अश्योरेंस लिमिटेड" नाम की कम्पनी हाल ही में भारत संघ में कार्य कर रही थी

और क्या उसके काम तथा स्थान के संबंध में कोई प्रलेख्य प्राप्य हैं ;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि इस कम्पनी के बहुत से हिस्सेदार यह पता नहीं लगा सके कि यह कम्पनी कहां है और वित्त मंत्रालय इस कम्पनी के कार्य के संबंध में कोई सूचना नहीं दे सका ; तथा

(च) क्या सरकार इस कम्पनी की गतिविधि जानने के लिये कार्यवाही करेगी क्योंकि भारतीय नागरिकों का बहुत सा रुपया इसमें फंसा हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) भारत संघ में बीमा करने वाली सभी संस्थायें, जो भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा २ की उप-धारा (२) के अनुसार कम्पनियां हैं, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास रजिस्टर की गई हैं । भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई कम्पनियों के अतिरिक्त बीमा करने वाली अन्य संस्थायें भी हैं जैसे क्वापरेटिव लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटियां, जो भारत संघ में बीमा का काम करती है परन्तु ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास रजिस्टर नहीं हैं । भारतीय समवाय अधिनियम की धारा २७७ के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों को कुछ प्रलेख्य इन रजिस्ट्रारों को देने पड़ते हैं ।

(ग) जी हां । भारत से बाहर बनी बीमा कम्पनियों को भी भारतीय कम्पनियों की तरह भारत में बीमा का काम करने की अनुमति है परन्तु शर्त यह है कि वे बीमा अधिनियम १९३८ के अधीन अपने आप को रजिस्टर करा लें । भारत से बाहर रजिस्टर हुई बीमा संस्थाओं, जो भारत में कार्य करती हैं, की सूची बीमा विभाग द्वारा इंडियन इनश्योरेंस ईयर बुक में प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है । सारी बीमा संस्थायें चाहे वे भारतीय हों या विदेशी प्रति वर्ष बीमा नियंत्रक को अपने हिसाब किताब तथा अन्य मामलों के संबंध में सूचना देती हैं ।

(घ) जी हां । उपरोक्त कम्पनी का जीवन बीमा का काम १०-१०-१९५० को बीमा अधिनियम १९३८ की धारा ३६ के अन्तर्गत बीमा नियंत्रक की स्वीकृति से कलकत्ते की डोमिनियन इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को सोंप दिया गया था ।

(ङ) "प्रोविंश्यल यूनियन अश्योरेंस लिमिटेड" के हिस्सेदारों की कुछ शिकायतें मिली थीं जिनके उत्तर में उस समय तक उपलब्ध सारी सुचना दे दी गई थी । उनसे यह भी कहा गया था कि उस कम्पनी की गतिविधि जानने के लिये पश्चिमी बंगाल के ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार को लिखें ।

(च) पश्चिमी बंगाल के ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार की अब तक की अन्तिम रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कम्पनी का रजिस्टर्ड कायालय ६-ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड कलकत्ता में है । उस स्थान पर सितम्बर १९५२ को एक साधारण बैठक हुई थी और कम्पनी को अपनी इच्छा से बन्द करने तथा श्री डी० पी० सेन, चार्टर्ड अकाउन्टट को परिसमापक नियुक्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया था ।

पहाड़ी स्थानों का भत्ता

७१०. **श्री वीरस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखनकाड कोरडाइट फैक्टरी के मजदूरों के लिये पहाड़ी स्थान का भत्ता मंजूर कर लिया गया है :

(ख) यदि ऐसा है , तो कितना, तथा

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उसे कब मंजूर करने का है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी हां। पहाड़ी स्थान का भत्ता १–४–५२ से उन लोगों के लिये मंजूर कर लिया गया है जिन्हें वह २८–२–५० को मिलता था, अर्थात् कम दरों पर पूरक तथा मकान किराया भत्तों के चलाये जाने से ठीक पहिले की तारीख से।

(ख) पहाड़ी स्थान के भत्ते की दर वेतन का २० प्रतिशत है। यह अधिकतम ४० रुपये प्रति मास तथा न्यूनतम १० रुपये प्रतिमास हो सकता है।

(ग) यह उत्पन्न नहीं होता।

सिंध तथा पश्चिमोतर सीमा प्रान्त के विस्थापित सरकारी कर्मचारी

७११. **श्री गिडवानी**: (क) गृह-कार्य मंत्री सिंध तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के विस्थाप्ति कर्मचारियों के सम्बन्ध में २० सितम्बर १९५१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या यह सत्य है कि सिंध विस्थापित सरकारी कर्मचारी संघ से उन सरकारी विस्थापित कर्मचारियों के नाम भेजने के लिये कहा गया है जो कि उसके अनुसार पाकिस्तान में ऊंचे पदों पर थे और जिनके मामले में पुर्नसंगठन योजना में ग्रेड २ और ३ में पद देने के लिये विचार किया जाय ?

(ख) क्या उस संघ ने कोई नाम भेजे हैं और यदि ऐसा है, तो कब ?

(ग) उन मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

(ख) नाम १६ जनवरी १९५२ को भेजे गये थे।

(ग) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के दावों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद, विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में गृहकार्य मंत्रालय ने दिनांक २० फरवरी, १९५२ के कार्यालय ज्ञापन में निम्न लिखित उपबन्ध किये :—

"(१) केन्द्रीय सचिवालय सेवा पदाली में उधीक्षणात्मक पदों पर नियुक्त स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें कि चुने गये उम्मीदवारों की किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किया है, (जब तक कि उन्हें केन्द्रीय सचिवालम सेवा चुनाव (सैलेक्शन बोर्ड) ऐसे पदों के लिये उपयुक्त समझता है) उन्हीं पदों पर रहने दिया जायेगा वे असिस्टैंट–इन–चार्ज अथवा घोषित अथवा अघोषित सुपरिंटेंडेंट के जिन भी पदों पर नियुक्त होंगे उसके अनुसार उन्हें असिस्टैंट–इन–चार्ज अथवा असिस्टैंट सुपरिंटेंडेंट माना जायगा।

(२) केन्द्रीय सचिवालय सेवा पदाली में सम्मिलित पदों पर नियुक्त अन्य स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विशेष रूप से विचार किया जायगा यदि वे निम्न लिखित शर्तों को पूरा कर, अर्थात्—

(क) २२ अक्तूबर १९४३ से अथवा उससे पहिले वे प्रान्तीय सचिवालयों में ऐसे पदों पर नियुक्त रहे हों जो कि वरिष्टता के अभिप्राय से केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टैंटों के समान हों, तथा

(ख) १५ अगस्त १९४७ से पू के इतनी अवधि तक जो दो वर्ष से कम न हो प्रान्तीय सचिवालयों में सुपरिंटेंडेंट या हैड असिस्टैन्ट के पद पर नियुक्त रहे हों।

ऐसे अधिकारियों के मामले केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड को सूचित कर दिये जायेंगे । यदि बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के बाद बोर्ड की यह सम्मति हो कि उसको सैक्शन का इनचार्ज बनाये जाने का अवसर दिया जाय तो बोर्ड उसके लिये ग्रड ३ में, जब कोई रिक्ति हो, कार्यकारी नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था कर सकता है ।"

उन अधिकारियों के मामलों को, जो खंड (२)में आ जाते हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड को शीघ्र ही निदिष्ट किये जायेंगे ।

लाल कम्बलों का दिया जाना

७१२. श्री रिशांग किशिंग: (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मनीपुर के आदिम जातियों के प्रधान व्यक्तियों को प्रत्येक तीन वष बाद लाल कम्बल देने की अंग्रेजों की नीति भारत सरकार द्वारा जारी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो पिछली बार दिये लाल कम्बलों की संख्या कितनी है तथा देश को स्वातंत्रता प्राप्त होने के बाद उनकी बढ़ाई गई कुल संख्या कितनी है ?

(ग) लाल कम्बलों को दिये जाने के विषय में नियम क्या हैं ?

(घ) इस पर कितना धन व्यय किया गया और यह व्यय कैसे पूरा किया जाता

(ङ) क्या प्रधान मंत्री ने अपने मनीपुर के दौरे में आदिमजातियों के प्रधान व्यक्तियों को लाल कम्बल दिये थे ; और यदि ऐसा है, तो कितने ?

गृहयं तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मनीपुर के आदिमजातियों तथा खुलाकपाओं को प्रति तीन वर्ष बाद लाल कम्बल देने की स्वतंत्रता पूर्व नीति अब भी जारी है ।

(ख) यह सूचना मुख्य आयुक्त से मांगी जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(घ) लाल कम्बलों को खरीदने में ९७१ रुपये १३ आने व्यय किये गए । यह खर्च सरकारी आय से पूरा किया जाता है और यह उप-आयुक्त के आय-व्ययक में सम्मिलित किया जाता है ।

(ङ) प्रधान मंत्री ने अभी हाल के अपने मनीपुर के दौरे में आदिमजातियों के कुछ व्यक्तियों को ११ लाल कम्बल बांटे जिन में से प्रत्येक ३ गज का था ।

मनीपुर की अभिज्ञात आदिमजातियां

७१३. श्री रिशांग किशिंग: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संविधान द्वारा मनीपुर की अभिज्ञात आदिमजातियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि श्री थांगखाई का जो कि पाइट आदिमजाति के बताये जाते हैं, नामनिर्देशन पत्र मनीपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उनकी आदिमजाति भारत के संविधान द्वारा अभिज्ञात नहीं है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर में कुछ ऐसी आदिमजातियां हैं जो कि संविधान द्वारा अभिज्ञात किसी भी आदिमजाति में नहीं है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारतीय संविधान (अनुसूचित आदिमजातियां) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, १९५१, के अनुसार मनीपुर में अभिज्ञात आदिमजातियों की संख्या तीन है, अर्थात् (१) कूकी (२) लुशाई तथा (३) नागा ।

(ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री थांग खाई का नाम निर्देशन पत्र इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि उन्हों ने अपने पत्र में यह घोषित किया था कि वह इन तीनों आदिमजातियों में से किसी के भी नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह उत्पन्न नहीं होता ।

स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना सम्बन्धी विनियम

७१४. श्री तेलकीकर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना सम्बन्धी वर्तमान् विनियम पुराने हो गये हैं, ऐसा कुछ तो समय बीतने के कारण तथा कुछ सांवधानिक परिवर्त्तनों के कारण हैं, तो क्या उन में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो यह काम कहां तक पूरा हुआ है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय सत्तरह विनियमों में परिवर्त्तन किया जा रहा है । इन अधिकांश पुस्तकों के मामले में काफी प्रगति हुई है । एक पुस्तक तो प्रायः पूरी हो चुकी है तथा कुछ अन्य भी अगले वर्ष के मध्य तक पूरी हो जायेंगी ।

गन्धक

७१५. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक या दो वर्षों में इस बात का पता लगा है कि भारत में कुछ गन्धक पाई गई है;

(ख) क्या गन्धक के स्थान पर आयरन पाइराइट का प्रयोग करने के सम्बन्ध में विषेकर सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में कोई अनुसन्धान किये गये हैं; तथा

(ग) क्या आयरन पाइराइट, जिस में गन्धक की मात्रा बहुत अधिक प्रतिशत हो, भारत में उपलब्ध है और यदि ऐसा है, तो कहां ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्राकृतिक गन्धक (ब्रिमस्टोन) भारत में नहीं मिलती । फिर भी पाइराइट जिससे गन्धक निकाला जाता है, कुछ स्थानों पर मिला है ।

(ख) इस देश में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में पाइराइट सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया है और गत एक वर्ष में बिहार के अमजोर से प्राप्त पाइराइट वास्तव में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले भारतीय फर्मों को दिया गया है ।

एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	भारत में पाइराइट के ज्ञात स्थान	गन्धक की मात्रा
(१)	अमजोर, जिला शाहाबाद, —बिहार	४०% से ४६%
(२)	तारादेवी, शिमला के समीप—	१६·९६% से २६·४३%
(३)	इंगालाधल, मैसूर—२०·८१%	
(४)	मद्रास के जिला उत्तर आर्कोट में पोलूर	२५%
(५)	मद्रास के जिला नीलगिरी में व्यानाड	गन्धक की बहुत कम मात्रा

पद जिन पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं

७१६. **श्री जाटव-वीर:** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में केन्द्रीय सचिवालय में भिन्न भिन्न ग्रेडों के जिन गज़टेड पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं उनकी पृथक् पृथक् संख्या क्या है ;

(ख) उन अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है जो केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना के लागू किये जाने से पूर्व गज़टेड पदों पर नियुक्त थे और जोकि इस योजना के परिणाम स्वरूप निचले पदों पर भेज दिये गये थे ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट हैं ; तथा

(घ) इस योजना का अनुसूचित जातियों के जिन व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है उनको रक्षित जातियों के वर्ग में रखने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) गोपनीय रिपोर्टों से संबंधित सूचना को गोण माना जाता है ।

(घ) भिन्न भिन्न ग्रेडों में सेवा अवधि संबंधी कुछ निर्धारित बातों को पूरा करने वाले अधिकारियों को पद अवनति के विपरीत रक्षण दिया गया है । अनुसूचित जातियों के ऐसे अधिकारी भी, जो इन निर्धारित बातों को पूरा करते हैं, इस रक्षण के पात्र हैं । इस समय और लोगों को भी उक्त रक्षण दिये जाने का विचार नहीं है ।

अवैतनिक सहायक भर्ती अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता

७१७. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे क क्या यह सत्य है कि अवैतनिक सहायक भरती अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जाना १ जनवरी १९५२ से बन्द कर दिया गया है ?

(ख) इस समय ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है ?

(ग) इस सम्य वैतनिक सहायक भर्ती अधिकारियों की कुल संख्या क्या है और उनकी वेतन श्रेणी क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां । इन कर्मचारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता केवल युद्ध कालों में या आपात कालों में दिया जाता है जब कि उन्हें भरती संबंधी कार्य से यात्रा करनी होती है जो कि उन्हें शांति काल में नहीं करनी पड़ती । भत्तों को बन्द करके हम केवल शांति कालीन दशाओं में आ गये हैं ।

(ख) १३८ ।

(ग) ४३ । वे कैप्टिन या इसके समान किसी अन्य रैंक वाले तीनों सेनाओं के अधिकारी हैं और उन्हें अपनी रैंक का वेतन तथा भत्ते मिलते हैं ।

आय कर के मामले

७१८. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **वित्त** मंत्री वर्ष १९५०-५२ तथा वर्ष १९५१-५२ में आयकर अधिकारियों द्वारा निपटाये गये मामलों की कुल संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इनमें से कितने मामलों में आय कर निर्धारित किया गया ?

(ग) उन दो वर्षों में काम करने वाले आय कर अधिकारियों की कुल संख्या क्या थी ?

(घ) उन वर्षों में कर निर्धारण के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की कुल संख्या क्या थी ?

(ङ) इन वर्षों में काम करने वाले अपीलीय सहायक आयुक्तों की कुल संख्या क्या थी ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ऐसे मामलों की कुल संख्या, जिनके अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों के बकाया के मामले भी शामिल हैं, जो वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ आय कर अधिकारियों द्वारा निपटाये गये, क्रमशः ८,५६,२०९, तथा ११,५९,६१६ थी ।

(ख) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में आय कर निर्धारित किये गये मामलों की संख्या क्रमशः ४,७२,४१९ तथा ६,१३,९१५ थी ।

(ग) मार्च १९५१ तथा मार्च १९५२ में काम करने वाले आय कर अधिकारियों की कुल संख्या क्रमशः ७७६ तथा ८८० थी ।

(घ) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अपीलीय सहायक आयुक्तों के समक्ष दायर की गई अपीलों की कुल संख्या क्रमशः ६६,९१० और ७४,१४० थी ।

(ङ) इन वर्षों में काम करने वाले अपीलीय सहायक आयुक्तों की कुल संख्या क्रमशः ५८, तथा ६६ थी ।

बेलदार (उत्तर प्रदेश)

७२०. श्री एम० एल० अग्रवाल : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संख्या १९, दिनांक १० अगस्त १९५० के भाग ८ में प्रगणित अनुसूचित जाति के लोग, उत्तर प्रदेश के बेलदारों ने अपने राज्य संगठन सम्मेलन द्वारा पारित एक संकल्प में , उनके उक्त आदेश में एक अनुसूचित जाति के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का विरोध किया है क्योंकि वे इस बात को अपने आत्म सम्मान उच्च उद्भव के, जो कि वे प्राचीन ओद्र राघवंशीय क्षत्रियों का बतलाते हैं, विरुद्ध समझते हैं ?

(ख) क्या उन्होंने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि उन्हें उक्त आदेश के अन्तर्गत सम्मिलित न किया जाय ?

(ग) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद ३४१ के प्रन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान श्री भीखाभाई के तारांकित प्रश्न संख्या १२११ के भाग (क) तथा (ग) के संबंध में आज दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना

७२१. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना में कुल कितने सैनिक भर्ती करने का लक्ष्य है ?

(ख) क्या इस सेना के लिये भर्ती आरम्भ कर दी गई है और यदि ऐसा है, तो कब ?

(ग) क्या इस सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को कोई भत्ता दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्रादेशिक सेना में भर्ती प्रादेशिक आधार पर की जाती है राज्य-वार नहीं । भर्ती के लिय प्रत्येक राज्य के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते । देश के लिये भर्ती का यह लक्ष्य १,३०,००० है ।

(ख) जी हां, अगस्त १९४९ में ।

(ग) जी हां, प्रशिक्षण काल में उनको वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो कि नियमित सेना के तत्संवादी रैंको को मिलते हैं ।

कानूनी सहायता देने वाली संस्थायें

७२२. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कानूनी सहायता देने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

(ख) यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई अंश दान दिया जाता है; तथा

(ग) इन संस्थाओं द्वारा किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) से (ग) तक . सरकार के पास यह सूचना नहीं है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लड़कों को रियायतें

७२३. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवा युक्त सैनिकों के, जिन्हें १०० रुपये से कम निवृत्ति वेतन अथवा वेतन मिलता है, लड़कों को स्कूलों में शुल्क आदि की कोई रियायत दी जाती है; तथा

(ख) यदि कोई रियायत नहीं दी जाती तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की रियायतें देने के विषय में विचार कर रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) विभिन्न राज्यों में असैनिक सार्वजनिक स्कूलों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है । किंग जॉर्ज स्कूलों तथा लारेंस स्कूलों में, १०० रुपये से कम निवृत्ति वेतन अथवा वेतन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवा आयुक्त सैनिकों के लड़कों को कुछ रियायतें दी जाती हैं, वे ये हैं :—

नौगांव तथा अजमेर के किंग जॉर्ज स्कूलों में :

प्रत्येक बच्चे के लिये सेवा आयुक्त सैनिक की वेतन तथा भूतपूर्व सैनिक की निवृत्ति वेतन का १० प्रति शत शुल्क के रूप में लिया जाता है । इसके अतिरिक्त, ४०० रुपयों के स्थान पर जो कि सामान्य रूप से लिये जाते हैं प्रथम वर्ष में कपड़े आदि के लिये प्रति बच्चे के हिसाब से वे केवल ११ रुपये ११ आने देते हैं ।

लवडेल तथा सनावर में लारेंस स्कूल :

पूरे शुल्क की छूट दी जाती है ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

जमीनों का लिया जाना

७२४. **श्री हेमराज** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक कैम्प बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में कितनी ज़मीन ली थी तथा किन शर्तों पर ?

(ख) उस में से कितनी उनके मालिकों को दे दी गई है और उसमें कितनी ज़मीन सरकार अपने पास रख रही है अथवा राज्य सरकारों को दे रही है ?

(ग) क्या सरकार का विचार उन ज़मीनों के लिये क्षतिपूर्ति देने का है जिन्हें यह अपने अधीन रख रही है अथवा राज्य सरकार अपने अधीन रख रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भूतपूर्व भारत सुरक्षा अधिनियम, १९३९ के नियम ७५ क के अन्तर्गत २६ स्थान लिये गये थे। ४ जगहें ज़मीन के मालिकों के साथ समझौता करके ले ली गई थीं।

(ख) ली गई जगहों में से ७ पूर्णरूप से तथा ११ आंशिक रूप से मालिकों को लौटा दी गईं। समझौते द्वारा ली गई ४ जगहों में एक उसके मालिक को लौटा दी गई। शेष ज़मीनें भारत सरकार अपने पास रख रही है।

(ग) जी हां।

दो स्ट्रोक वाला डीज़ल इंजन

७२५. **श्री मादिया गौडा** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था (इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंसेस) द्वारा एक दो स्ट्रोक वाले डीज़ल इंजन का आविष्कार किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो, इसकी मुख्य बातें और लाभ क्या हैं ?

(ग) क्या यह स्थानीय अथवा विदेशी सामग्री से बनाया गया है ?

(घ) इसका आविष्कर्ता कौन है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना सम्बद्ध नोट में दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ग) फ्यूल इंजेक्शन पार्ट को छोड़ कर इंजन के सभी पुर्जे देशी सामग्री के बने हुए हैं।

(घ) यह इंजन डा० हैवमैन ने बनाया है, जो कि इंटर्नल कम्बसचन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं।

युद्ध क्षतिपूर्ति (अतिरिक्त भुगतान)

७२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर के 'बोक्स-क्षेत्र' के कुछ व्यक्तियों को दावा अधिकारियों ने युद्ध क्षतिपूर्ति का अधिक भुगतान किया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों ने अतिरिक्त युद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त की है उनकी सम्पत्तियों को ज़ब्त करने के लिये मनीपुर सरकार ने वारेंट जारी किये हैं ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उन में कितनी वास्तविक धनराशि सन्निहित है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग) तक. सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि कुछ मामलों में अधिक भुगतान किया गया है किन्तु इनका सम्बन्ध उन ज़मीनों तथा मकानों से है जो कि मनीपुर के 'बोक्स-क्षेत्र' के बाहर हैं। इन मामलों में से

३९ मामलों में, जिन में ३९,७८९ रुपयों की राशि सन्निहित है, सम्पत्ति ज़ब्त करने तथा उन्हें बेचने के लिये वारेंट जारी किये गये थे।

भारत में विदेशी

७२७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में भारत में कितने विदेशी अचल तथा चल सम्पत्ति, जिस में बैंकों में उनकी नगदी भी सम्मिलित है, छोड़ कर मर गये ?

(ख) मृत व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति का मूल्य क्या है और वे कुल कितनी नगदी छोड़ गये हैं ?

(ग) इन उपरोक्त सम्पत्तियों को किस प्रकार निपटा दिया गया है ?

(घ) क्या किन्हीं दावों पर विचार होना है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) से (ग) तक. भारत सरकार के पास यह सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय छात्र सेना

७२८. **श्री संगण्णा** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य के स्कूलों में राष्ट्रीय छात्र सेना के कनिष्ट अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह अधिकारी नियमित रूप से क्लासें ले रहे हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितना भत्ता दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४४]

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण, जिसमें राष्ट्रीय छात्र सेना के जूनियर डिवीज़न के अधिकारियों के वेतन और भत्ते दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४५]

उत्पाद शुल्क (कपड़ा)

७२९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में बहुत बढ़िया, बढ़िया और मामूली कपड़े के बनाने पर कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ?

(ख) चालू वर्ष में अब तक इन कपड़ों पर कितना शुल्क वसूल किया गया है ?

(ग) क्या निर्यात किय जाने वाले कपड़े पर इस शुल्क में कोई छूट दी जाती है ?

(घ) क्या कपड़े पर कोई निर्यात शुल्क है ; यदि है तो कितना ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) :

(क) बहुत बढ़िया, बढ़िया और मामूली कपड़े पर १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल किया गया है वह इस प्रकार है :—

	१९५०-५१	१९५१-५२
	(हज़ार रुपयों में)	
बहुत बढ़िया	३,६८,५३	६,८०,२५
बढ़िया	३,३७,६४	५,६२,४१
मामूली	२,०८,३५	३,३२,६२

(ख) चालू वर्ष में अब तक बहुत बढ़िया, बढ़िया और मामूली कपड़े पर जो शुल्क वसूल की गई है वह इस प्रकार है :—

	१९५२-५३ (अक्तूबर तक) (हज़ार रुपयों में)
बहुत बढ़िया	२,०८,२९
बढ़िया	२,१९,००
मामूली	२,३८,४०

(ग) भारत बाहर भेजे जाने वाले कपड़े पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दी जाती है।

(घ) भारत से निर्यात किये जाने वाले मामूली और मोटे कपड़े पर मूल्यानुसार २५ तिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

मऊ छावनी

७२०. **श्री एन० एल० जोशी:** रक्षा मंत्री यह बतलाने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ छावनी का वाटरवर्क्स छावनी बोर्ड की सम्पत्ति है ; तथा

(ख) क्या छावनी बोर्ड, मऊ और संघ सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है जिस के अनुसार वाटरवर्क्स की सम्पत्ति संघ सरकार को दे दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) १-८-५२ से वाटरवर्क्स सरकार ने ले लिया है।

(ख) कोई कानूनी लिखा पढ़ी नहीं हुई है परन्तु हस्तांतरण के मामले पर छावनी बोर्ड तथा भारत सरकार के अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में समझौता हुआ था।

हवलदार क्लर्क

७२१. **श्री वीरस्वामी:** रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवलदार क्लर्कों की श्रेणी को समाप्त कर देने का फ़ैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) इस श्रेणी को समाप्त कर देने से कितने हवलदार क्लर्कों पर प्रभाव पड़ेगा ; तथा

(घ) क्या उन्हें बराबर की अन्य श्रेणियों में खपा लिया जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) तक: प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सूर्य-तापक यन्त्र

७२२. **श्री बी० एस० मूर्ति:** प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूर्य-तापक यंत्रों के बनाने वालों के लिये सरकार ने क्या अधिकार शुल्क निश्चित किया है ;

(ख) क्या कुछ फ़र्मों ने इन यंत्रों के बनाने में रुचि दिखाई है ; तथा

(ग) सूर्यतापक यंत्रों को बनाने और लोकप्रिय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने बाज़ार में लाये गये प्रत्येक धूप के चूल्हे पर ३ रुपये अधिकार शुल्क निश्चित किया है।

(ख) जी हां। आरंभ में दस फ़र्मों ने रुचि दिखाई थी।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने धूप के चूल्हों को लोकप्रिय बनाने का काम उस फ़र्म को सौंप दिया है जो इन चूल्हों को बनायेगी। एक और फ़र्म शीघ्र ही इन्हें बनाना शुरू करेगी।

हथियार और गोलाबारूद

७२३. **श्री मुनिस्वामी:** रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सारी हथियार और गोलाबारूद फ़ैक्टरियों में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) उनको कितनी वेतन-श्रेणियों में बांटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं ; तथा

(ग) सरकार द्वारा उन्हें क्या क्या चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें दी गई हैं और इन पर १९४९-५० तथा १९५०-५१ में कितना व्यय किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) यह सूचना देना लोकहित में न होगा ।

(ख) मुख्य श्रेणियां ये हैं :—

	रुपये	रुपये
घोषित	२६०	२२५०
अघोषित	२००	५००
अनौद्योगिक	३०	२५०
औद्योगिक	३०	१८५

(ग) सारी फ़ैक्टरियों में और अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का प्रबन्ध है । फ़ैक्टरी में काम करने वाले सब ही लोग उसमें दाख़िल हो कर या बग़ैर दाख़िल हुए इलाज करा सकते हैं । अस्पताल में दाख़िल होने वालों से खाने के पैसे लिये जाते हैं । यदि स्थान होता है तो फ़ैक्टरी में काम करने वाले लोगों के सम्बन्धियों को भी कुछ पैसा लेकर दाख़िल किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है ।

अन्य सुविधाओं में शिक्षा सम्बन्धी तथा कैन्टीन, मनोरंजन की सुविधायें, सहकारी स्टोर और बाज़ार शामिल हैं । यह सुविधायें अधिकतर फ़ैक्टरियों में हैं ।

इन सुविधाओं पर १९४९-५० तथा १९५०-५१ में जो ख़र्च हुआ वह इस प्रकार था :—

	रुपये
१९४९-५०	१०,९८,६०२
१९५०-५१	१२,०३,००१

भारतीय टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट

७३४. **श्री एन० बी० चौधरी :** (क) **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को विदित है कि भारतीय टेकनोलोजी इंस्टीट्यूट के बहुत से प्रोफ़ेसरों ने अपने स्थानों से त्याग-पत्र दे दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनके त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं ?

(ग) कितने विदेशी प्रोफ़ेसरों ने त्याग-पत्र दिये हैं ?

(घ) इस समय उक्त इंस्टीट्यूट में कितने विद्यार्थी हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यह सत्य नहीं है कि भारतीय टेकनोलोजी इंस्टीट्यूट, खड़गपुर के बहुत से प्रोफ़ेसरों ने त्यागपत्र दे दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक ।

(घ) ४९२ ।

मैंगनीज़

७३५. **श्री गणपति राम : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैंगनीज़ उत्पादन में भारत की अन्य देशों के मुक़ाबले में स्थिति ;

(ख) अन्य देशों के मुक़ाबले में भारतीय कच्चे मैंगनीज़ में औसतन कितने प्रतिशत मगनीज़ होता है ;

(ग) वर्ष १९४६ से निर्यात में वार्षिक कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है और घरेलू खपत कितनी रही है ; तथा

(घ) फ़ैरो-मैंगनीज़ बनाने के लिये कितनी मात्रा काम में लाई जाती है और कच्चे

मगनीज़ की तुलना में उसका प्रतिटन निर्यात मूल्य क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): उपलब्ध सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४६]**

अपराधी आदिमजातियां

७३६. **श्री ब्रह्मो चौधरी :** (क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी आदिम जातियों को अपराधी आदिम जाति कहा जाता है और उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) अपराधी आदिम जाति कल्याण बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं और उसके कृत्य क्या हैं ?

(ग) अब तक इस बोर्ड ने सरकार को क्या क्या योजनायें प्रस्तुत की हैं और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये संघ सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) अपराधी आदिम जाति अधिनियम १९२७ तथा भारत के राज्य में प्रचलित तत्संबंधी अन्य क़ानूनों के निरसन के बाद अब कोई ऐसी आदिम जाति नहीं है जिसे अपराधी आदिम जाति कहा जाता हो । भारत में इन जातियों के बारे में, जिन्हें पहले अपराधी आदिम जाति कहा जाता था, नवीनतम सूचना, और उनकी संख्या (३४,८७,५९७) अपराधी आदिम जाति अधिनियम जांच समिति (१९४९-५०) की रिपोर्ट के पृष्ठ ९ तथा १३१-१३६ पर दी गई है । इस रिपोर्ट की दस प्रतिलिपियां सदन के पुस्तकालय में रखे जाने के लिये संसद् सचिवालय को भिजवा दी गई थीं ।

(ख) अपराधी आदिम जाति कल्याण बोर्ड सर्वेंट्स ऑफ़ दि पीपुल सोसाइटी की गैरसरकारी संस्था है और सरकार को इसकी सदस्यता के विषय में कोई यथार्थ सूचना नहीं है। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू तथा श्री सेवक राम इस बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष तथा सचिव हैं । इस बोर्ड की स्थापना दो उद्देश्यों से की गई थी, अर्थात् (१) अपराधी आदिम जाति अधिनियम को निरसित करवाया जाय तथा (२) अपराधी आदिम जातियों के लोगों में कल्याण कार्य आरम्भ किये जायें ।

(ग) मैं माननीय सदस्य का ध्यान २८ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के भाग (ख) तथा (ग) के मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

सीमान्त गश्ती टुकड़ियां

७३७. **श्री एन० एल० जोशी:** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में उस रिज़र्वड सशस्त्र पुलिस दल की संख्या क्या है जिससे सीमान्त गश्ती टुकड़ियों के रूप में काम लिया गया तथा कितनी अवधि के लिये ;

(ख) उसी अवधि में देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखनेके लिये भिन्न भिन्न राज्यों को भेजे गये रिज़र्व दल की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) इस अवधि में राज्य सरकारों को अपने पुलिस दल देने के कारण सरकार को कितना धन मिला ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस से है, जो कि राज्य मंत्रालय के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अधीन

है। यदि यही बात है तो इसका उत्तर इस प्रकार है.

जनवरी	६८६
फ़रवरी	१३१
मार्च	३८७
अप्रैल	३७७
मई	५९५
जून	६३४
जुलाई	३९७
अगस्त	३९५
सितम्बर	४२०
अक्टूबर	५८६
नवम्बर	५७६
दिसम्बर	७०६

(ख)—

	भोपाल	विन्ध्य प्रदेश	
जनवरी	५१२	१३९	२५५
फ़रवरी	१०२४	१४८	२५५
मार्च	७५४	१३३	२५२
अप्रैल	६२४	१२२	२५२
मई	३७४	११८	२५६
जून	५७६	१२३	२४६
जुलाई	७१४	१२४	१३८
अगस्त	७२२	१२५	१३३
सितम्बर	४९४	१२८	१३८
अक्टूबर	२३८	११६	१२२
नवम्बर	२३३	११३	१२०
दिसम्बर	२९०	१४२	१४८

	हैदराबाद	सौराष्ट्र	राजस्थान
जनवरी	११८	—	—
फ़रवरी	११९	२३८	२६४
मार्च	११८	२५१	—
अप्रैल	—	२५०	—
मई	—	—	—
जून	—	—	२०७
जुलाई	—	—	४५२
अगस्त	—	—	४६४
सितम्बर	—	—	२२८
अक्टूबर	—	—	—
नवम्बर	—	—	—
दिसम्बर	—	—	—

(ग) भाग 'ख' के विभिन्न राज्यों से १९५२ की जुलाई के अन्त तक इन पुलिस दलों को उन राज्यों में रखने के कारण ख़र्चे के रूप में ६,४४,७०८ रुपये १२ आने वसूल किये जाने हैं। जुलाई महीने के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भाग 'ग' राज्यों से कोई धन वसूल नहीं करना है क्योंकि ये राज्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हैं और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का ख़र्चा भी केन्द्रीय सरकार उठाती है।

तम्बाकू उत्पाद शुल्क

७३८. श्री एम० डी० जोशी: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी के तम्बाकू तथा खाने के तम्बाकू के शुल्क १४ आने तथा ६ आने में इतना अधिक अन्तर रखने का कारण क्या है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि तम्बाकू व्यापारी संघ ने सरकार को सिगरेट के तम्बाकू को छोड़कर सब प्रकार के तम्बाकू पर एक समान शुल्क लगाने का सुझाव दिया था ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) बीड़ी बनाने के काम में आ सकने व ले तम्बाकू की क़िस्मों पर अधिक शुल्क लगाया गया है, क्योंकि ऐसी क़िस्मों के तम्बाकू से खाने वाले साधारण तम्बाकू की क़िस्मों की अपेक्षा बाज़ार में अधिक दाम मिलते हैं।

(ख) देश के भिन्न भिन्न भागों में बहुत से तम्बाकू संघ हैं, उन में से बीड़ी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने बिना साफ़ तथा बिना तय्यार किये गये तम्बाकू पर एक समान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का समय समय पर सुझाव दिया है।

(ग) उस सुझाव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं समझा गया क्योंकि बिना साफ़ तथा बिना तय्यार किये गये तम्बाकू से होने वाली चालू वर्ष में आय को अधिक करने के लिये विशेष उत्पाद शुल्क को बढ़ाने से विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं पर असमान भार बढ़ जाता। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये कारणों के अनुसार ऐसा समान दर बीड़ी के तम्बाकू के लिये बहुत कम होगा तथा अन्य क़िस्मों के लिये बहुत अधिक होगा।

हैदराबाद से मुसलमानों का प्रव्रजन

७३९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद से मुसलमान अब भी पाकिस्तान जारहे हैं और यदि ऐसा है, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भारत सरकार को हैदराबाद से मुसलमानों के अधिक संख्या में पाकिस्तान जाने के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार के तो कुछ मामले हुए हैं जिनमें लोग, अपने इस विचारको बताये बिना कि वे वहीं बस जायेंगे, थोड़े दिन के लिये वहां गये और फिर अपनी "वापिस आने पर आपत्ति नहीं" परमिट की अवधि के समाप्त होने पर भी हैदराबाद वापिस नहीं आये हैं ऐसे जाने वालों की संख्या बहुत कम है।

वीरता पारितोषिक

७४०. डा० रामा राव : (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध में पारितोषिक प्राप्त कर्त्ताओं को स्वीकृत किये गये सभी वीरता पारितोषिक दे दिये गये हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो कितनों को दिये गये हैं ?

(ग) अन्य व्यक्तियों के मामलों में देरी के क्या कारण हैं ?

(घ) उनको ये पारितोषिक कब दिये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पंजाब में बसने वाले सैनिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये वीरता पारितोषिक पंजाब सरकार ने दिये हैं कि नहीं, यदि ऐसी बात है तो इसका उत्तर यह है कि ३०० मामले ऐसे हैं जिनमें ये अभी दिये नहीं गये हैं।

(ग) तथा (घ). पंजाब विभाजन समिति के निर्णय के अनुसार संयुक्त पंजाब सरकार द्वारा इन पारितोषिक प्राप्त कर्त्ताओं को मन्जूर किये गये अदत्त इनामों की अदायगी यदि विभाजन से पूर्व नहीं की गई, उन सरकारों द्वारा की जायगी जहां ये बस गये हैं, और यह व्यय पंजाब (भारत) तथा पंजाब (पाकिस्तान) सरकारों द्वारा संयुक्त रूपसे उठाया जायगा।

पंजाब सरकार ने ऐसे पारितोषिक प्राप्त कर्त्ताओं की सूची विभाजन समिति को उसकी स्वीकृति के लिये भेज दी है । उस समिति न उन पारितोषिकों के सम्बन्ध में अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है ।

चाकला के कर्मचारी

७४१. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चाकला के नब्बे प्रतिशत कर्मचारियों को त्रिपुरा की सरकारी सेवा म अब भी लगाया जाना है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उन्हें सहायता देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). चाकला जमींदारी के अधिकांश कर्मचारियों का अनुभव इस प्रकार का है और योग्यतायें ऐसी हैं कि वे सरकारी सेवाओं में रखे जाने के अनुपयुक्त है । जमीदारी क लगभग ३०० कर्मचारियों में से ८३ कमचारियों को त्रिपुरा सरकार के अधीन कार्य में लगा लिया गया है और अन्यों को भी अधिक से अधिक फिर से काम पर लगाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिये एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हैं । इस अवधि में उन्हें उनको सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस के बदले में छटनी की रियायतें तथा वेतन दिये गये हैं ।

आदिवासियों को सहायता

७४२. **श्री डामर :** (क) क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य भारत के आदिमवासियों को भुखमरी से बचाने के लिये हाल के महीनों में मध्य भारत सरकार को कितनी राशि दी है ?

(ख) स्थानीय आदिवासियों की सहायता केन्द्र द्वारा भेजी गई राशि का किस प्रकार प्रयोग किया गया था ?

(ग) क्या मध्य भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जिन कार्यों पर यह राशि व्यय की गई उन का विस्तृत विवरण भेजा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख): आदिवासियों को सहायता देने के विशेष उद्देश्य से मध्य भारत सरकार को कोई राशि नहीं दी गई । संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत भारत सरकार ने मध्य भारत सरकार को १५·३६ लाख रुपयों का सहायक अनुदान स्वीकार किया है । इस अनुदान का १ लाख रूपया राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में कुओं को गहरा करने तथा पीने के पानी की सुविधायें देने के लिये नये कुएं बनाने के लिये है ।

(ग) जी नहीं । वर्ष समाप्त हो जान के बाद विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा ।

भूतत्वीय परिमाप

७४३. **श्री संगण्णा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में भारत के प्रत्येक राज्य में की गई भूतत्वीय परिमाप की संख्या कितनी है ;

(ख) उसी अवधि में खोज किये संसाधन किस प्रकार के थे और उनकी संख्या क्या है ; तथा

(ग) उसी अवधि में उस प्रयोजन के लिये कुल कितना व्यय किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):

(क) से (ग) तक। एक विवरण, जिस में भारत के भूतत्वी परिमाप के डायरेक्टर द्वारा दी गई सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४७)**

विदेशों को भेजे गये वैज्ञानिक मण्डल

७४४. डा० अमीन: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** उपमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में विदेशों को भेजे गये वैज्ञानिक मण्डलों पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

साइट्रिक-एसिड तथा कैलशियम ग्लूकोनेट का बढ़ाया जाना

७४५. डा० अमीन : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा (१) साइट्रिक एसिड (२) कैल्शियम ग्लूकोनेट के बनाने के लिये विकसित किये गये तरीके का किसी फर्म ने वाणिज्यिक रूप से अनुचित लाभ उठाया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन्हें बनाना आरम्भ कर दिया है ; तथा

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ भारतीय निर्माण कर्त्ताओं द्वारा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित तरीके को प्रयोग किये बिना, पायलट प्लांट के पैमाने पर कैलशियम ग्लूकोनेट बनाया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):

(क) तथा (ख): साइट्रिक एसिड तथा केलशियम ग्लूकोनेट को बनाने के लिये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित किये गये तरीके को बनाने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद मैसर्स बोर्ली केमिकल वर्क्स लिमिटेड के सम्पर्क में है किन्तु यह मामला अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है

(ग) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के डायरेक्टर ने यह सूचित किया है कि जहां तक उन्हें पता है राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित किये गये अथवा किसी अन्य तरीके द्वारा भारत में कैलशियम ग्लूकोनेट नहीं बनाया जाता है।

आयु-सीमा में वृद्धि

७४६. श्री सिंहासन सिंह : क्या **गृहकार्य** मंत्री २० नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभागों के नाम क्या हैं जिन में वर्ष १९४८ से १९५२ तक १७५ गजटेड अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु सीमा में वृद्धि कर दी गई थी और इसके कारण क्या हैं ;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो पहिले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं और फिर सेवा में रख लिये गये हैं और उनके निवृत्ति वेतन के अतिरिक्त, उनके नये कार्यालयों के नाम तथा उपलब्धियां क्या हैं ; तथा

(ग) क्या उनके पद नियुक्ति काल म इनमें से किसी अधिकारी के फिर से सेवायुक्त करलेने के विरुद्ध कोई शिकायतें की गई हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) में एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचन) दी हुई है, सदन पटल पर रखता हूं । —[**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सख्या ४८**]

(ख) तथा (ग). जो विस्तृत सूचना मांगी गई है वह इस समय उपलब्ध नहीं ह और उसको एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह उसके परिणामों को देखते हुए अधिक होगा।

प्राचीन स्मारक

७४७. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी ज़िलों अर्थात् देहरादून, टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में रक्षित प्राचीन स्मारकोंकी संख्या क्या है; तथा

(ख) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा इन स्थानों के किन्हीं और स्मारकों को अपने अधीन लेने का विचार है और यदि ऐसा है तो उनके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यह सूचना इस प्रकार है :

ज़िला	रक्षित प्राचीन स्मारकों की संख्या
अल्मोड़ा	२३
देहरादून	४
गढ़वाल	५
नैनीताल	१
टेहरी-गढ़वाल	—

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र

७४८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री के लिये प्राधिकृत अधिकरण व्यवस्था उन राज्यों में सफल रही है जहां यह चालू की गई है; तथा

(ख) क्या व्यवस्था को शेष राज्यों में भी चलाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). जिन तीन राज्यों में इस व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है वहां उसके प्रयोग के परिणाम अभी मालूम नहीं हुए हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कि इसे चलाये रखना चाहिये या अन्य राज्यों में भी लागू रखना चाहिये केवल तभी किया जा सकता है जब उस प्रयोग के परिणाम मालूम हो जायं। सम्बन्धित राज्यों से शीघ्र ही अपनी राय व्यक्त करने के लिये कहा जायगा।

भूतपूर्व-सैनिकों की युद्धोत्तर निर्माण निधि

७४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर निधि की राज्य समितियों पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के मामले में भारत सरकार के क्या अधिकार हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वास्तव में इन अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाता है;

(ग) इन राज्य समितियों के सदस्य कौन कौन हैं; तथा

(घ) क्या उन समितियों से, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् के सदस्यों को सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इन राज्य समितियों पर नियन्त्रण

तथा अधीक्षण के विषय में भारत सरकार के कोई अधिकार नहीं हैं।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य समितियों के सदस्य ये हैं:—

(१) राज्यपाल अथवा राजप्रमुख जो अपने व्यक्तिगत रूप में अध्यक्ष होते हैं;

(२) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य तथा;

(३) चौथा सदस्य सेना के प्रधान सेनापति द्वारा नाम निर्देशित होता है।

(घ) जी नहीं। यह पूर्ण रूप से अध्यक्ष के स्वविवेक पर होता है कि वह संसद् सदस्य को मिला कर किसी भी व्यक्ति को समिति के लिये नामनिर्देशित करे।

भारतीय सैना प्रधान कार्यालय (ईस्ट पंजाब एरिया)

७५०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ईस्ट पंजाब एरिया में भारतीय सेना प्रधान कार्यालय पर सेवा योजना के द्वारा रक्षा सेवाओं के लिये अब तक कितने आदमी भरती किये गये हैं?

(ख) क्या राजनैतिक कारणों के आधार पर नौकरी से निकाले जाने वाले कोई मामले हुए हैं?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) जी नहीं।

कार्यपालिका परिषद के सदस्य

७५१. श्री आर० एन० सिंह : (क) क्या गृहकार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व कार्य पालिका परिषद् (एक्जेक्टिव काउन्सिल) के सदस्यों और उनके विभागीय सचिवों, निजी सचिवों तथा सहायक आदि की संख्या कितनी थी और उनके वेतन क्या थे तथा उन्हें क्या सुविधायें प्राप्त थीं?

(ख) इस समय कितने मन्त्री (उप मन्त्रियों तथा सभा सचिवों सहित) हैं तथा उन्हें क्या क्या सुविधायें प्राप्त हैं?

(ग) इन मन्त्रियों के साथ पृथक् पृथक् कितने अस्थायी सहायक लगे हुए हैं जिनकी नियुक्ति मन्त्री की निजी इच्छा पर निर्भर है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायगी।

पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

७५२. श्री बूबराघसामी : (क) क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र दिये हैं और उनमें से कितनों को चालू वर्ष में छात्रवृत्तियां दी गई हैं?

(ख) उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां देने के मामले में किस नीति का अनुसरण किया जाता है?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) मद्रास के पिछड़े वर्गों के, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित हैं, २६७६ विद्यार्थियों ने केन्द्रीय छात्रवृत्तियों के लिये

आवेदन पत्र दिये तथा उनमें से १०६८ को वर्ष १९५२–५३ के लिये छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ख) इन छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित विनियमों, जिनमें इनके चुनाव (सैलेक्शन) के आधार दिये हुए हैं, की एक प्रति, तारांकित प्रश्न संख्या ११६८ के उत्तर में २५–६–१९५२ को सदन पटल पर रख दी गई थी।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्रवृत्तियां

७५३. श्री रिशांग किशिंग : शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के कॉलिजों तथा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिये आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर की अनुसूचित आदिग जातियों के विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा १९५२–५३ में जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनकी संख्या कितनी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या.....३५५

दी गई छात्रवत्तियों की संख्या.....३३४

रैंडन प्लान्ट

७५३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की संख्या में कोई रैंडन प्लांट लगाया गया है ?

(ख) औषधि के लिये इस प्लांट के क्या उपयोग होंगे ?

(ग) क्या देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के प्लांट लगाये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य रेडियम–बेरिलियम न्यूट्रोन सोर्स का निर्देश कर रहे हैं जो कि न्यूट्रोन फ़िज़िक्स,, कलकत्ता में स्थापित किया गया है। यह न्यूक्लियर विज्ञान प्रयोगशाला के लिये एकमात्र उपकरण है।

(ख) इस उपकरण का उपयोग न्यूक्लियर विज्ञान में प्रयोग कार्यों के लिये किया जाता है, औषध अनुसंधान से सम्बन्धित कार्यों में यह प्रयुक्त नहीं किया जाता।

(ग) एक न्यूट्रोन सोर्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई, में भी है।

युद्ध क्षतिपूर्ति

७५३. श्री रिशांग किशिंग : (क) **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने मनीपुर के ए० आर० एम० क्षेत्रों के लोगों को, जिनमें से अधिकांशतः आदिम जाति के लोग हैं, जिनकी सम्पत्तियां तथा घर मित्र राष्ट्र सेनाओं की घर फूंक नीति (स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी) के युद्ध सम्बन्धी कार्यों के परिणामस्वरूप नष्ट कर दिये गये थे, युद्ध क्षति पूर्ति देने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कितना यथार्थ धन दिया जायगा ?

(ग) इस क्षति पूर्ति के भुगतान किये जाने की सम्भावना कब है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने मनीपुर सरकार को, युद्ध के ठीक बाद लोगों को सहायता के रूप में ए० आर० एम० के अधिकारियों से पहिले ही प्राप्त राशि को उस धन राशि में से काट लेने का अनुदेश दिया है जो कि भारत सरकार द्वारा क्षति पूर्ति के रूप में दी जायगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ) तक। गत विश्व युद्ध में इस

क्षेत्र में युद्ध हुआ था और मित्र राष्ट्र सेनाओं द्वारा चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को हानि हुई। युद्ध के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को फिर से बसाने के उद्देश्य से आसाम सहायता कार्य संस्था नामक एक संस्था स्थापित की गई; इस संस्था ने सहायता कार्य के रूप में लोगों को नगद रुपया तथा चीजें बाटीं जिन दोनों का खर्च दो करोड़ रुपये था; किन्तु यह वितरण दावे के, विशेष कर अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, किसी विस्तृत निर्धारण पर आधारित नहीं था। तब से इस बात के बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता अपर्याप्त है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद क्षति पूर्ति की राशि का सामान्य रूप से निर्धारण करना असम्भव है। सरकार ने यह अनुभव किया कि इस क्षेत्र के लोगों के लिये सहायता के और अधिक कार्य करने आवश्यक हैं और उसके अनुसार उसने मनीपुर राज्य के ए० आर० एम० क्षेत्र के उन निवासियों को, जिनकी अचल सम्पत्ति को गत युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं द्वारा हानि हुई, उन नियमों के अनुसार जो कि आसाम राज्य में अंगीकार किये गये नियम के समान हैं, धन राशि देने का निश्चय किया। क्षति पूर्ति के निर्धारण में आसाम सहायता कार्य संस्था से प्राप्त सहायता का ध्यान रखा जायगा। धन राशि के भुगतान की जनवरी १९५३ से किये जाने की सम्भावना है। यद्यपि इसके वितरण करने का उत्तरदायित्व मुख्य आयुक्त पर होगा, इस कार्य में स्थानीय जनमत के प्रतिनिधियों द्वारा सहायता करने के लिये एक उपयुक्त उपबन्ध किया जा रहा है।

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस०

७५३–ग. **श्री थिम्मय्या** : (क) क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में प्रत्येक राज्य से आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में कितने अधिकारी लिये गये हैं ?

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं (राज्य-वार) ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारतीय प्रशासन सेवा (इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती हैं और इसमें उम्मीदवार किस राज्य के निवासी होते हैं उसका विचार नहीं रखा जाता। अतः भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त किये जाने वाले विद्यार्थी किस राज्य के निवासी हैं इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं रखी जाती। भारतीय पुलिस सेवा (इण्डियन पुलिस सर्विस) में भी भरती खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है, किन्तु ऐसा यथा सम्भव प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इसलिये भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार किस राज्य के निवासी हैं इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है और वह विवरण में दी हुई है जो सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा––एक; भारतीय पुलिस सेवा––कोई नहीं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का टेकनिकल सहायता कार्यक्रम

७५३-घ. **श्री बोगावत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुन्नत देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के लिये कितने राष्ट्रों ने अंशदान दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जिन राष्ट्रों ने अंशदान दिया है उनकी संख्या ६२ है।

पंजाब विश्वविद्यालय (आर्थिक सहायता)

७५३-ङ. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब विश्व विद्यालय ने भारत सरकार से आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उप मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): उच्च शिक्षा के विकास के लिये पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पंजाब विश्व विद्यालय ने भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से एक पुनर्वास अनुदान देने के लिये कहा, जिसमें उसने अपेक्षित राशि का विशेष रूप से निर्देश नहीं किया। विश्वविद्यालय को यह सूचित कर दिया गया था कि पुनर्वास अनुदान का सम्बन्ध पुनर्वास मन्त्रालय से है और यदि विश्वविद्यालय की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कोई योजनायें हैं तो वह उन्हें विस्तृत विवरणों सहित भेजें। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

शिक्षा का प्रसार

७५३-च. **डा० अमीन** : (क) **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मन्त्रालय के सचिव को छोड़ कर कोई अन्य अधिकारी १५ अगस्त, १९४७ के बाद शिक्षा के प्रसार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये विदेश भेजे गये थे ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या, जितनी बार वे गये उसकी संख्या प्रत्यक दौरे की संख्या क्या है तथा भारत सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक दौरे पर कितना कितना व्यय किया गया है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों द्वारा यदि कोई रिपोर्ट भेजी गई हों तो उन रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने का है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का कलकत्ता कलेक्टोरेट

७५३-छ. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कलकत्ता कलक्टोरेट के कई सौ कर्मचारियों को उनके पदों में स्थायी नहीं किया गया है जबकि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में १९४९ तथा १९५० में आदेश जारी कर दिये गये थे; तथा

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने में देरी के कारण उक्त कलेक्टोरेट के कुछ कर्मचारियों को अपनी सामान्य वेतन वृद्धि अथवा वेतन वृद्धि की बकाया राशि नहीं मिल रही है ?

राजस्व तथा व्यय मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) यह ठीक है कि कलकत्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट के कुछ नॉन-गजटेड कर्मचारियों को वर्त्तमान स्थायी पदों में स्थायी नहीं किया गया है। ऐसा इसलिये है कि उनके मामले में आरम्भिक अपेक्षित कार्यवाहियां नहीं की हैं।

(ख) ऐसा सम्भव है कि स्थायी करने में देरी के परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों के मामलों में वेतन वृद्धि उस अवधि तक जो प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अप्रैल १९५२ तक औसत वेतन पर ली गई छुट्टी की अवधि के बराबर हो, के लिये रोक दी गई हो। किन्तु अप्रल १९५२ में भारत सरकार द्वारा आदेश जारी करके इस स्थिति में सुधार कर दिया गया है; जिसके अनुसार किसी अस्थायी कर्मचारी द्वारा औसत वेतन पर

दी गई छुट्टी की अवधि, कुछ विशेष दशाओं के अन्तर्गत उस तिथि से जब ये आदेश जारी किये गये थे वेतन वृद्धि देने के विषय में गिनी जायगी ।

मनीपुर की ब्रह्मसभा

७५३-ज श्री एल० जे० सिंह: क्या **राज्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मनीपुर की ब्रह्म सभा को राज्य की प्रमुख धार्मिक संस्था के रूप में अभिज्ञात किया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस संस्था के अधिकार तथा कार्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह विदित है कि इस संस्था ने अपना अधिकार जमा लिया था और मनीपुर के नागरिकों को औपचारिक समन जारी किया करती थी जिसका परिणाम यह होता था कि जब कोई व्यक्ति ऐसे समनों को लेता नहीं था अथवा ब्रह्म सभा में जाता नहीं था तो एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन्हें सार्वजनिक रूप से अछूत अथवा जाति-बहिष्कृत घोषित कर दिया जाता था; तथा

(घ) सरकार की इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (घ) तक । सूचना एकत्रित की जा रही है और मिलते ही यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

संविहित तथा असंविहित निकाय (रक्षा मंत्रालय)

७५३-झ. श्री एस० एन० दास: क्या **रक्षा** मन्त्री १२ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३० के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी तदर्थ समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना कार्य समाप्त कर दिया है तथा अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं और उन्होंने किन तारीखों को अपनी रिपोर्टें भेजी थीं; तथा

(ख) ऐसे निकायों के नाम क्या हैं जो कि स्थायी रूप के हैं तथा जिनका काम परामर्श देना है और जिन्हें इस अवधि में खत्म कर दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). छावनियों की केन्द्रीय समिति तथा श्रम जांच समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और क्रमशः १५ नवम्बर १९५१ तथा २० सितम्बर १९५२ को अपनी रिपोर्टें भज दीं । इन समितियों के अतिरिक्त, १२ सितम्बर १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर म रखे गये विवरण में सम्मिलित किन्हीं अन्य निकायों को तब से खत्म नहीं किया गया ।

गणराज्य दिवस पर नृत्य आयोजन

७५३-ञ. श्री एल० जे० सिंह: क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आगामी गण राज्य दिवस, २६ जनवरी १९५३ को दिल्ली में भारत के विभिन्न भागों के भारतीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जायगा; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसमें कौन से राज्य भाग लेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) गणराज्य दिवस समारोह में लोक नृत्य दर्शन करने का विचार है ।

(ख) आसाम, बिहार, बम्बई, सौराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मध्य भारत, पेप्सू, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा मनीपुर ।

विदेशों को भेजे गये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

७५३-ट. श्री देवगम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १९४९-से १९५१ की अवधि के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को किन्हीं विशेष अध्ययन के लिये विदेश भेजा है;

(ख) इस अवधि में भेज गये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने उन पर कितना व्यय किया है; तथा

(घ) उनके अध्ययन के विषय क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) तक। ये उत्पन्न नहीं होते।

भारत के लिये विकल्प देने वाले अधिकारी

७५३-ठ. श्री गिडवानी : गृहकार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसे अधिकारी, जिन्होंने अन्तिम रूप से भारत में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी, पाकिस्तान चले गये हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु ऐसे लगभग १२०० मामले थ।

Par. S. 18. VI. 11. 52
285

अंक ६

संख्या ११

मंगलवार

१६ दिसम्बर १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव—

पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु [१९०९–१९१२]

राज्य परिषद् से संदेश [१९१३]

पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा—असमाप्त [१९१३–१९५८]

(मूल्य ६ आन)

141 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

१९०९ १९१०

लोक सभा

मंगलवार १६, दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

पोट्टी श्रीरामुलू की मृत्यु

उपाध्यक्ष महोदय : आन्ध्र में पोट्टी श्रीरामुलू की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मुझे एक अल्प सूचना प्रश्न तथा दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। क्या इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री को कुछ कहना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को इस बात का बहुत दुःख होगा कि श्री रामुलू द्वारा किये गये अनशन का उनकी मृत्यु में अन्त हुआ। यह मामला इस बात से बिल्कुल भिन्न है कि किसी के इस विषय के सम्बन्ध में कैसे राजनीतिक विचार हैं या उसके क्या मतभेद हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे उद्देश्य को लेकर अपने आप को कष्ट में डालने के लिए तैयार हो जिस में वह विश्वास करता हो तो जहां तक उसका सम्बन्ध है वह आदर का पात्र है, यद्यपि, जैसा कि सदन को अच्छी तरह ज्ञात है, हमने अपनी राय को अनेक बार प्रगट किया है कि किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उस प्रकार का तरीका प्रयोग में लाना नितान्त अवांछनीय है। इस समय मैं उसको नहीं लूंगा ।

परन्तु, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है जिसके लिए अनशन किया गया था, अर्थात एक अलग आन्ध्र राज्य का स्थापित किया जाना, कुछ ही दिन हुए इस सम्बन्ध में मैं ने सरकार की स्थिति दूसरे सदन में स्पष्ट कर दी थी। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो कुछ उस समय कहा था उसे जनता ने काफी सीमा तक स्वीकार किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी उससे सहमत हैं ; मैं इस सम्बन्ध में पूरी तरह से पक्का नहीं हूं। फिर भी, मेरे विचार में उन बहुत से लोगों ने, जो आन्ध्र राज्य के स्थापित किये जाने में दिलचस्पी रखते हैं, इस बात को स्वीकार किया है कि हम इस मामले के सम्बन्ध में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं तथा उस रिपोर्ट में दी गई शर्तों के अनुसार हम पूरी तरह से कार्य करने के लिए तैयार हैं जो ढाई वर्ष पहले प्रकाशित की गई थी जिसे भाषावार प्रान्त रिपोर्ट या संक्षेप में जे० वी० पी० रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट न थी। वह राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति द्वारा प्रकाशित की गई थी। किन्तु उस समिति में तत्कालीन सरकार के प्रमुख सदस्य सरदार पटेल जैसे व्यक्ति शामिल थे और उन्होंने इस मामले पर विचार किया। इस समय मैं अन्य मामलों को छोड़ कर केवल आन्ध्र राज्य का कुछ विस्तार में निर्देश कर रहा हूं तथा मैं उन्हीं बातों को दोहरा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रहा हूं जो मैंने राज्य परिषद् में कही थीं कि हम उस आधार पर जितना शीघ्र सम्भव हो सके कार्यवाही आरम्भ करने के लिए तैयार हैं। मैं पुनः विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु आवश्यक आधारभूत बातें यह थीं कि मद्रास प्रान्त के उन तैलेगू क्षेत्रों को लेकर आन्ध्र राज्य बनाया जाये जिनके बारे में कोई झगड़ा अथवा मतभेद नहीं था और यह बात साफ साफ स्पष्ट थी कि इस में मद्रास शहर शामिल न होगा। क्योंकि यदि हम किसी मामले के सम्बन्ध में, आरम्भ ही में, वादविवाद छेड़ दें तो हम समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। यह बातें मैंने उस समय कही थीं।

कुछ अन्य सुझाव भी रखे गये हैं कि मद्रास को दो बड़े प्रान्तों में से किसी में मिलाने की बजाय अलग ही रखा जाय तथा उसे मुख्य आयुक्त के राज्य में परिवर्तित कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में भी जे० वी० पी० रिपोर्ट में कुछ कहा गया है तथा हम सब इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करना न केवल मद्रास के लिए बुरा होगा बल्कि अन्य लोगों के लिए भी। फिर भी, जो कुछ मैं ने कहा था वह स्थिति अब भी है, वास्तव में, जब से मैं ने वक्तव्य दिया है तब से हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं तथा यह सम्भव है और मुझे आशा है कि कुछ ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिनके आधार पर बाद में और कार्यवाही भी हो सकेगी। कुछ ऐसे कदम शीघ्र ही उठाये जाने वाले हैं।

मैं एक बार पुनः हार्दिक खेद प्रगट करता हूं कि इस प्रकार का मामला श्री श्रीरामुलू के आत्म बलिदान से उलझ गया तथा साथ ही इस समस्या को सुलझाने के आवेशपूर्ण ढंग में भी उलझ गया जो कि एक कठिन समस्या है तथा जिसे सदन में बैठे हुए हम सब लोग इस प्रकार से सुलझाना चाहते हैं जिससे सम्बद्ध पक्षों को, जहां तक सम्भव हो, लेशमात्र भी आपत्ति न रहे

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त शोक और सहानुभूति दुखित परिवार के सदस्यों तक पहुँचा दी जाये और सदन एक मिन्ट तक शान्तिपूर्वक खड़े होकर इसका अनुमोदन करदे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी सहानुभूति पहुँचा दी जाये। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा रखे गए सुझाव के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमारे पास कुछ प्रथायें तथा नियम हैं जिनका हम पालन करते रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है हम ऐसा सदैव केवल सदन के सदस्यों के सम्बन्ध में ही करते रहे हैं चाहे वह किसी राजनीतिक दल के क्यों न हों, नये या पुराने ही क्यों न हों। यदि हम इस समय यह छांटने लगें कि किस को इस प्रकार का सम्मान दिया जाये और किस को नहीं तो हो सकता है कि यह दृष्टान्त हमें आगे कठिनाई में डाल दे। मुझे केवल एक ही अपवाद याद पड़ता है और वह है महात्मा गांधी का मामला, किन्तु, मेरे विचार में उसका अलग ही स्थान है। बिना किसी व्यक्ति का जरा भी अनादर किये हुए मैं निवेदन करूँगा कि यह एक ऐसा दृष्टान्त हो जायेगा जो भविष्य में कठिनाई उत्पन्न करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समवेदना भेजने का प्रश्न है वह भेज दी जायेगी। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने बतलाया मैं ऐसा दृष्टान्त कायम करना नहीं चाहता हूं जिस से आग चल कर कठिनाई उत्पन्न हो। अब मैं इस विषय पर और आगे बहस करने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रश्न और स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है।

———

राज्य परिषद् से संदेश

उपाध्यक्ष महोदय : सचिव सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे निम्नलिखित दो सन्देशों की सूचना देनी है जो राज्य-परिषद् के सचिव ने भेजे हैं ।

(१) "राज्य–परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के अनुबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने, अपनी १३ दिसम्बर, १९५२ को हुई बैठक में, पश्चिमी बंगाल निष्क्राम्य सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक १९५२ को, जोकि लोक-सभा ने अपनी २७ नवम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, बिना कोई संशोधन किये स्वीकार कर लिया है ।"

(२) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के अनुबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने, अपनी १३ दिसम्बर, १९५२ को हुई बैठक में पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, १९५२ को, जो कि लोक-सभा ने अपनी ६ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, बिना कोई संशोधन किये स्वीकार कर लिया है ।"

पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में संकल्प —

उपाध्यक्ष महोदय: सदन अब श्री जवाहर-लाल नेहरू द्वारा १५ दिसम्बर को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगा :

"यह सदन, योजना-आयोग द्वारा तैयार की गई पंच-वर्षीय योजना में निहित सिद्धान्तों, लक्ष्यों तथा विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में, अपना साधारण अनुमोदन अभिलेखित करता है ।"

श्री वल्लाथ रास (पुदुकोटै) : जैसा कि मैंने कल कहा था यह पंच-वर्षीय योजना वास्तव में योजना नहीं है यह तो केवल अगले पांच सालों का बजट है । यह मेरा ही विचार नहीं है बल्कि अनेक व्यक्तियों और समाचार-पत्रों की भी यही राय है । यह तो केवल आर्थिक समायोजन है । हो सकता है यह देश के लिए हितकर हो किन्तु इसे वास्तव में योजना नहीं कहा जा सकता है । मेरा निवेदन है कि यदि योजना बनाने वाले समाज को फिर से बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो सम्भव है यह योजना ही असफल हो जाये । केवल अधिक उत्पादन, अधिक शिक्षा तथा अधिक सुविधाओं की व्यवस्था कर देने ही से वर्गरहित समाज का निर्माण नहीं हो जाता है । यह कहना कि हम इस योजना से वर्ग-रहित समाज कायम करना चाहते हैं, मेरे विचार में, केवल हवाई किले बनाना है । योजना में गैर-सरकारी उद्योगपतियों पर अधिक जोर दिया गया है । आपने देहाती और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग रखा है । शहरी क्षेत्र देहाती क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व लादने की कोशिश करेगा । इस प्रकार आप वर्ग-रहित समाज नहीं बना सकते हैं ।

आप यह भी चाहते हैं कि ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों का बिल्कुल ही महत्व न रह जाये । दूसरी ओर आप योजना में उनको जिम्मेदार व्यक्ति बतलाते हैं और चाहते हैं कि वे आप को उद्योगिक विकास में सहायता दें । परन्तु ऐसा केवल तब ही हो सकता है जब आप उन्हें रुपये पैसे के बारे में पूरी छूट दे दें । क्योंकि कोई अपना रुपया लगा कर यह नहीं चाहेगा कि उस उद्योग पर दूसरे का कब्जा हो जाये ।

योजना को कार्यान्वित करने के लिए पैसे की जरूरत है । आपको पैसा केवल कर

[श्री वल्लाथरास]

बढ़ा कर, ऋण ले कर या फ़िर उद्योगपतियों से मिल सकता है । आप जनता से पैसा पाने की आशा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस समय की आर्थिक दशा को देखते हुए किसी भी मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के व्यक्ति के लिए कुछ भी बचाना सम्भव नहीं है ।

योजना आयोग ने कृषि सुधार विधान द्वारा करना चाहा है। परन्तु भारत का किसान इस प्रकार की नीति को समझने का उतना इच्छुक नहीं है जितना आप समझते हैं । वह हर बात अपने ढंग से करना चाहता है जो कि बहुत धीरे धीरे होती है । उसे क्रान्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है । सामाजिक योजनाओं के सम्बन्ध में ऋण लेने की व्यवस्था की गई है । किन्तु यदि आप ऋण का प्रयोग ऐसी योजनाओं में करते हैं जिनसे आप को आय नहीं होती तो आप उस ऋण को ब्याज सहित किस प्रकार वापस करेंगे? इस के लिए फिर आप को अन्य योजनाओं पर भार डालना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है । अतः आप को ऐसे ऋण का उपयोग केवल उन्हीं योजनाओं के सम्बन्ध में करना चाहिए जिन से आप को आय हो और आप ऋण वापस कर सकें ।

अन्त में, मैं एक और बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करके अपना भाषण समाप्त करता हूं । वह है भ्रष्टाचार । आज जनता में यह भावना घर कर गई है कि सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वे जनता के रुपये को पानी की तरह बहाते हैं । जब तक आप इन कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं करते कि वे जनता के सेवक हैं और उन्हें हर चीज़ को रचनात्मक दृष्टिकोण से देखना है तब तक आपकी योजना कहां तक सफल होगी यह तो मैं नहीं कह सकता किन्तु इससे देश को कोई लाभ अवश्य ही न होगा । वैसे मैं योजना का आदर करता हूं क्योंकि वह मजबूत आधार पर बनाई गई है किन्तु साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि यदि समाज में परिवर्तन न हुआ तो देश को इस योजना से कोई लाभ न होगा ।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान —रक्षित अनुसूचित जातियां) : हमारे सामने जो योजना रखी गई है वह बहुत सोच समझ कर रखी गई है । उसको तैयार करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्र का विश्वास प्राप्त है । यह हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है । किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे जनता का सहयोग प्राप्त हो । हमारे योजना बनाने वालों ने इस बात को ध्यान में रखा है । जैसा कि प्रधान मंत्री ने बतलाया यह योजना संविधान के अनुबन्धों के अनुसार ही तैयार की गई है ।

डा० लंका सुन्दरम तथा प्रो० मेघनाद साहा ने नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वित होने में देर लगने की शिकायत की है । उन के विचार में बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जिन से देश को लाभ होना सन्देहपूर्ण है ।

प्रो० शाह ने तो दामोदर घाटी योजना के सम्बन्ध में यहां तक कहा है कि वहां भ्रष्टाचार अपनी परम पराकाष्ठा को पहुँच गया है। वहां पर काम करने वाले नवयुवकों के कल्याण का प्रबन्ध नहीं है । मेरा उनसे केवल एक यही निवेदन है कि जब इतनी बड़ी बड़ी परियोजनायें बनाई जाती हैं तो उसमें गलतियां तो होती ही हैं । परन्तु फिर भी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह तो कह ही सकते हैं कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर देश में एक बार पुनः खुशहाली का दौर दौरा हो जायेगा ।

अब मैं योजना बनाने वालों का ध्यान दो तीन बातों की ओर विशेष रूप से दिलाना

चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर विचार करने की कृपा करेंगे। पहली बात यह है कि योजना में गंगा बैरेज को शामिल नहीं किया गया है। पश्चिमी बंगाल के लिए इस बांध का जो महत्व है वह सर्वविदित है। यह न केवल पश्चिमी बंगाल के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक है बल्कि कलकत्ता बन्दरगाह को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भी जरूरी है। धीरे धीरे हुगली नदी में कीचड़ और रेत बढ़ती जा रही है जो कि कलकत्ता बन्दरगाह के लिए खतरे की निशानी है। अतः मेरा निवेदन है कि गंगा बैरेज को योजना में शामिल कर लिया जाये जिससे पश्चिमी बंगाल को इस योजना से पूरा पूरा लाभ हो सके।

योजना में परिवार आयोजन की भी व्यवस्था की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु जिस ढंग से उसे कार्यान्वित करने का उपाय सोचा गया है उससे मैं कुछ संतुष्ट नहीं हूं। मेरे विचार में सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिए देश के बड़े बड़े डाक्टरों तथा प्रोफेसरों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए जो इस के लिए ठीक ठीक तरीका बतला सकें।

अन्त में, मैं लोहा और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। योजना में लोहे और इस्पात का उत्पादन करने के लिए फैक्टरियां स्थापित करने की व्यवस्था की गई हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि हम प्रति वर्ष लाखों रुपये का कच्चा लोहा सस्ते दामों पर बाहर भेजते हैं तथा महँगे दामों पर साफ लोहा और इस्पात आयात करते हैं। इस प्रकार हमारे देश को हानि उठानी पड़ती है। अतः मेरा निवेदन है कि देश में लोहा और इस्पात बनाने की फैक्टरियां स्थापित की जायें जिससे हम कच्चे लोहे का देश ही लाभ उठा सकें।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा-पश्चिम): माननीय सभापतिजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समय मुझे बोलने का मौक़ा दिया। इस पंच वर्षीय योजना की हमें बहुत आवश्यकता थी, खास कर ऐसे देश के लिये जिसमें सात लाख से ज्यादा गांव हैं, जिसकी ३६ करोड़ आबादी है। हमारे देश के लिये इस पंचवर्षीय योजना की इसलिये और भी आवश्यकता थी कि यहां के ८५ प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर करते हैं।

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर कभी भी गल्ले की कमी नहीं थी और न पशुओं की ही कमी थी। यहां पर दूध की नदियां बहती थीं। लेकिन जहां दूसरी लड़ाई से पहले यहां पर गेंहूं का भाव दो रुपये से तीन रुपये तक था, मोटे गल्ले का भाव डेढ़ रुपये से दो रुपये तक था, चावल तीन रुपये से सात रुपये तक था, गुड़ तीन रुपये मन था और चीनी सात रुपये मन थी, वहां दूसरी लड़ाई के दौरान से ही यहां के भाव बढ़ने लगे। हर चीज़ का भाव काफ़ी बढ़ गया, और देश के बंटवारे से तो भाव और भी ज़्यादा बढ़ गये। पिछले पांच सालों में हमारे देश में, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, करीब ३५ लाख मन गल्ला फी साल के हिसाब से बाहर से मंगाया जाता रहा है, जिसके कारण क़रीब नौ सौ करोड़ रुपया हमारे यहां से विदेशों को जा चुका है। इन सब बातों को देखते हुए हमारे कृषि प्रधान देश के लिये यह पंच वर्षीय योजना बहुत आवश्यक है। यहां पर मैन पावर बहुत काफ़ी है। यहां के लोग अधिकतर गांवों में रहते हैं और खेती पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है, और जो किसी के हाथ में नहीं है, कि यहां पर कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी टिड्डी आ जाती

[सेठ अचल सिंह]

है। और भी तरह तरह की विपत्तियां आती हैं। इस सम्बन्ध में हम इस योजना से बहुत सुधार कर सकते हैं। हम कह दिया करते हैं कि ईश्वर को ऐसा ही करना था, या हमारी तकदीर में यह मुसीबत थी इस लिये ऐसा हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, यह सब मनुष्य के क़ाबू में है। अगर मनुष्य चाहे तो मरुभूमि को वह सरसब्ज बना सकता है, और उर्वरा भूमि को खराब बना सकता है।

तो जिन देहातों में पानी का इन्तज़ाम नहीं है, जिन देहातों में बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं जहां पानी का इन्तजाम नहीं होने से लोग खेती अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं, यह जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इस में जो रिवर वैली प्रोजैक्ट्स हैं, उसमें बांध बनाये जा रहे हैं। दामोदर वैली प्रोजैक्ट, हीराकुण्ड डैम है, भाखरा नंगल, तुंगभद्रा डैम है, इनके कारण ८२ से १६४ लाख एकड़ तक जमीन में सिंचाई हो सकेगी। अभी जिन खेतों में पानी के अभाव के कारण कुछ नहीं होता वहां लाखों मन गल्ला, होगा, क्योंकि वहां पानी पहुंच सकेगा। इस तरीके से दक्षिण के काफ़ी हिस्से में भी अच्छी खेती हो सकेगी, वहां भी तुंगभद्रा की स्कीम है। उससे लाखों एकड़े जमीन में उपज बढ़ेगी। दूसरे इन बांधों के जरिये से हमें हाइड्रो इलैक्ट्रिक करेंट मिलेगी, जो क़रीब बारह लाख किलो-वाट होगी।

इसके अलावा इन बांधों से एक लाभ और होगा। हर साल जो बाढ़ आती हैं उनको हम रोक सकेंगे जैसे आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण और कई जगह दूसरी नदियों जैसे दामोदर आदि के कारण बाढ़ें आती हैं जिसके कारण सैकड़ों हजारों गांव बह जाते हैं और उसके लिये फिर रिलीफ़ मेज़र्स किये जाते हैं, इन बांधों के बनने के बाद इन बाढ़ों को हम रोक सकेंगे और इन रिलीफ़ मेज़र्स की भी हम को जरूरत नहीं पड़ेगी और जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां हम पानी पहुंचा सकेंगे। मुझे हरियाना क्षेत्र के हिसार जिले में जाने का मौक़ा मिला था। वहां क़रीब १० इंच पानी पड़ता है। वहां सूखे के कारण क़रीब दस पन्द्रह हजार से बीस हजार पशु मर गये। वहां पर काफ़ी पानी की कमी है। तो जो बांध बन रहे हैं उनसे नहरें वहां पहुंच सकेंगी और उनके द्वारा सारी जमीन सरसब्ज बन जायेगी। बीकानेर में पहले मरुभूमि थी, वहां गंगा नहर निकलने से सारी भूमि सरसब्ज हो गई। तो इन नहरों से हमारा देश सरसब्ज हो जायेगा और जो लाखों मन गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है वह यहां से ही पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले तीन चार सालों में ही हम उस कमी को पूरा कर सकेंगे।

इसी तरह से कम्युनिटी प्रोजैक्ट भी बड़ी उपयोगिता की चीज हैं। लेकिन कम्युनिटी प्रोजैक्ट सिर्फ़ गवर्नमेंट के प्रभाव से या उसके कर्मचारियों द्वारा पूरे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम आम तौर पर शिकायत सुनते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ़ से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्लानिंग ओफ़िसर या तहसीलदार वगैरह जो काम करते हैं वे सिर्फ़ पैसा बनाने के ख्याल से काम करते हैं, भत्ता बनाने के ख्याल से ही काम करते हैं। उनके अन्दर नैशनल भावना नहीं है। ज्यादातर प्लानिंग का जो काम है, वह जनता के सहयोग से ही पूरा हो सकता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि जनता को भी हमें एहसास कराना चाहिये कि प्लानिंग कमीशन का काम हिन्दुस्तान की खुशहाली के वास्ते है। हमें चाहिये कि हम जनता और जो गवर्नमेन्ट के अधिकारी हैं उनको एहसास करा दें, उनको महसूस करा दें कि वह ऐसा कार्य

है जिससे देश बड़ा समृद्धिशाली बन सकता है, जिससे देश खुशहाल हो सकता है। इसके वास्ते बहुत सख्त प्रोपैगेंडा की जरूरत है। काफ़ी लोगों में इस बात को दिल में बिठाने की जरूरत है कि वे इस बात को महसूस करें कि यह हमारा खुद का काम है, हमें इस काम को कामयाब बनाना चाहिये। इस तरीक़े से काम करने पर कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स से हमें बहुत कुछ सफलता व लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारा देश एक कृषि प्रधान मुल्क है। इसमें ज़्यादा तर काश्तकार हलों से, बैलों से और मैनपावर से काम करते हैं ट्रैक्टरों से या और मशीनों से काम नहीं होता है। इस तरह से हमारे देश का धन पशुधन है। इसकी तरफ़ हमारा ध्यान बहुत कम है। पिछली लड़ाई में हमारे करोड़ों अच्छे जानवर, बैल वगैरह मांस और चमड़े की खातिर बरबाद किये गये। इसलिये हमें उनकी नस्ल को सुधारना है और इस कारण दुधारू गायें, अच्छे बैल पैदा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे यहां बैलों द्वारा काम होता है। हमें गांव गांव में अच्छे बुल्स देने चाहियें, जिससे अच्छे बैल और दुधारू गायें पैदा हों और अच्छी खेती हो सके और दूध के वास्ते अच्छी गायें मिल सकें। खाद के लिये सिन्दरी में हमारी फ़र्टीलाइजर की फ़ैक्टरी बनी है। लेकिन उससे काम नहीं चल सकता। हमें कम्पोस्ट खाद के वास्ते कोशिश करनी होगी। अच्छे बीज के लिये कोशिश करनी है और हर प्रकार से ग्राम सुधार के वास्ते इन्तजाम करना होगा। कहने का सार यह कि हमें तमाम चीजों में उसी हालत में कामयाबी हो सकती है जब तक कि हम ग्रामीणों को यह एहसास न करा दें कि उनका पूर्ण उद्धार इस योजना की सफलता में है इस कारण उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिये।

तीसरी बात है इंडस्ट्रीयल प्रोजैक्ट की। इंडस्ट्रियल साइड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे बड़े आदमी बना रहे हैं। लेकिन हमारा देश गांवों का देश है। इसमें ७ लाख से ज़्यादा गांव हैं और जब तक गांवों में होम इंडस्ट्री को ताक़त नहीं मिलेगी, जब तक ग्रामों में तरक्की नहीं होगी, उस वक्त तक हम ग्रामों के मजदूर पेशा लोगों की बेकारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। छोटी छोटी मशीनरी द्वारा छोटी छोटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जैसे करघे व चरखे का काम है, शहद पैदा करने का काम है, या दरी, मूंज के फट्टे बुनने का काम है, तेलघानी, बढ़ई व लुहार के कामों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जैसे जापान में बहुत सी छोटी छोटी मशीनरी से घरों में काम होता है, उसी तरह से हमें अपने यहां भी छोटी छोटी मशीनरी से काम कराना चाहिये। हमें अपने खेतिहर मजदूर को इस प्रकार की मशीनें न देनी चाहियें जिससे मजदूर पेशा को बढ़ावा मिले। इस तरीके से बेकारी भी दूर होगी और हमारा देश भी खुशहाल होगा।

मेरा तो निवेदन यही कि इस योजना को बढ़ाने के वास्ते हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी, जनता को एहसास कराना होगा। खास तौर से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अर्थात् सरकारी कर्मचारियों के दिलों में यह बिठा देना होगा कि यह उन्हीं का काम है और उन्हें ही इसे पूरा करना है। बहरहाल, अब मैं समाप्त करता हूं। मुझे तो यही कहना है कि इसी योजना से हमारे देश का उद्धार हो सकता है बशर्ते कि हम इसको ठीक रास्ते पर चलावें क्योंकि जैसा

[सेठ अचल सिंह]

मैंने अभी बताया, हमारा देश कृषि प्रधान है और अगर हमने कृषि को और कम्यूनिटी प्राजैक्ट को और इंडस्ट्री को अच्छी तरह बढ़ावा व प्रोत्साहन दिया तो हमारा देश खुशहाल हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस स्कीम का स्वागत करता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि आखिरकार सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम बिना योजना बनाये नहीं रह सकते हैं। वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए आपको उन लोगों के लिये तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जो युगों से पिसते आये हैं और वह भी इसी आशा से कि भविष्य में कभी न कभी ऐसा समय आयेगा जब उन्हें भी कुछ आराम मिलेगा। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस योजना में उनके लिये कोई आशा की झलक नहीं है। वास्तव में, जब योजना बनाई जाती है तो उसे किसी ढंग पर तैयार किया जाता है, कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु मुझे खेद है कि यह योजना केवल देखने के लिए इतने पृष्ठों में छापी गई है, इसमें कोई सार की बात नहीं है।

सदन के नेता ने कल भाषण देते हुए कहा था प्रजातन्त्र वही है जिसमें लोग अपनी मर्जी से काम कर सकें। परन्तु उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि इस योजना के तैयार करने में उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ पाबन्दियां लगा ली हैं। कहीं पाबन्दियों में रह कर योजना तैयार होती है ! प्रधान मन्त्री ने यह भी कहा था कि राजनीतिक प्रजातन्त्र आर्थिक प्रजातन्त्र के बिना कोई अर्थ नहीं रखता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रजातन्त्र को स्थापित करने में जो कठिनाइयां आयेंगी उन्हें वह सहयोग से दूर कर देंगे। परन्तु इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये आप गरीबों का खून चूसेंगे, किसानों और मजदूरों को पीसेंगे जब कि दूसरी ओर आप बड़े बड़े मिल मालिकों, धनी व्यक्तियों से कुछ नहीं कहेंगे। आप यह तो कहते हैं कि उद्योगपतियों का सहयोग बहुत आवश्यक है। उनकी सहायता लिए बिना काम चलना मुश्किल है। परन्तु साथ ही आप उन पर यह दबाव डालना नहीं चाहते कि उनको किस किस उद्योग में तथा किस भांति पूंजी लगानी चाहिये। आप उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। क्या इस प्रकार आपको अपनी योजना के लिये धन मिल सकता है, कभी नहीं।

टाटा-बिड़ला योजना में बताया गया था कि देश में लोगों के पास लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये की पूंजी संचित है। यदि राष्ट्रीय सरकार होती और उसे जनता का विश्वास प्राप्त होता तो सरकार के लिये इसमें से ३०० करोड़ रुपये प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी।

आयकर जांच आयोग ने यह साफ साफ कह दिया है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के बहुत सी कम्पनियों में शेयर हैं जो कि अवास्तविक व्यक्तियों के नामों में हैं। यह चोरी से कमाया हुआ धन नहीं है यह तो वह धन है जिसके सम्बन्ध में सरकार वैधानिक रूप से आयकर ले सकती है। परन्तु सरकार सो रही है। उसने कोई ऐसी कार्य-वाही नहीं की है जिससे इन बड़े बड़े उद्योग-पतियों से धन लेकर देश के पुनः निर्माण में लगाया जा सकता।

योजना में औद्योगीकरण का तो नाम तक नहीं है। अधिकतर जोर खेती पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हम खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। यह भी बताया गया है कि २७ वर्ष में हमारी राष्ट्रीय आय दुगनी हो जायेगी। परन्तु

आंकड़ों पर ध्यान दिया जाय तो ऐसा न हो सकेगा। जैसे जैसे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ेगी और फिर हमारी राष्ट्रीय आय लगभग वैसी की वैसी ही रह जायेगी।

कुछ लोगों का कहना है कि यह योजना इस प्रकार से तैयार की गई है जिससे किसी विशेष वर्ग पर अधिक भार न पड़े। परन्तु यह बात केवल उद्योगपतियों पूंजीपतियों के सम्बन्ध ही में सत्य है क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो इससे कोई लाभ न पहुंच सकेगा। उसको तो कर लगा लगा कर ही पीस दिया जायेगा। यदि आपको योजना के लिये रुपया ही चाहिये तो पूंजीपतियों के पास से संचित धन क्यों नहीं निकलवाते। आखिर वे अपना धन क्यों नहीं निकालते। सरकार उनसे सख्ती से काम लेना नहीं चाहती क्योंकि वह जानती है कि स्वयं उसका सत्तारूढ़ रहना उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में है। वे सरकार को रुपया देकर अपने ढंग से काम करवाते हैं। विदेशियों की पूंजी लगी हुई, उसको आप क्यों नहीं लेते। पटसन, चाय, खान, बैंक इत्यादि उद्योगों में विदेशियों ने थोड़ी पूंजी लगा कर अपार लाभ उठाया है और उठा रहे हैं। वे जानते हैं कि उनको सरकार हाथ न लगायेगी। यही कारण है कि वे लाभ उठा कर भी इस देश का भला नहीं चाहते।

खाद्य समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में कोई भी दृढ़ पग नहीं उठाया गया है। जबकि टाटा, बिड़ला योजना में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन खाद्य की २८०० कलौरीज़ देने की व्यवस्था की गई थी तो योजना आयोग हमें केवल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १३$\frac{1}{2}$ औंस देने जा रहा है। वास्तव में खाद्य की समस्या के हल करने का केवल एक ही उपाय है और वह है ज़मीन का पुनः बटवारा। ज़मींदारी उन्मूलन को बड़े जोर शोर से आरम्भ किया गया था, किन्तु आज यह हालत है कि उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।

यही हालत कपड़े के सम्बन्ध में है। जबकि वर्ष १९३८–३९ में कपड़े का कुल उत्पादन पांच अरब सत्तर करोड़ गज़ हुआ था तो वर्ष १९५०–५१ में यह घट कर केवल चार अरब बावन करोड़ आठ लाख गज़ रह गया था। वर्ष १९३८–३९ में जब कि केवल १३,७०,००,००० गज़ कपड़ा निर्यात किया गया था तब वर्ष १९५०–५१ में १,२८,३०,००,००० गज़ निर्यात किया गया। आपने इतनी बड़ी मात्रा में कपड़े का निर्यात इस लिये होने दिया क्योंकि यह रुपया पूंजीपतियों की जेब में गया। आप स्वयं चाहते हैं कि यह पूंजीपति दूसरों का खून चूस कर अपना पेट भरें। आप चाहते तो यही कपड़ा कम दामों में भारत के लाखों मजदूरों और किसानों को प्राप्त हो सकता था।

किसान कर्जे से दबे पड़ें हैं। उनको कर्जे से मुक्त करने के लिये आपने क्या किया है। आप कहते हैं कि हम ज़मींदारी उन्मूलन करके उनकी सहायता कर रहे हैं। किन्तु यह केवल कोरी बातें ही बातें हैं। वास्तविकता तो यह है कि आप उन बेचारे किसानों के लिये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आपने "औद्योगिक सम्बन्ध" वाले अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया है कि आप केवल उसी मजदूर संघ को स्वीकार करेंगे जिसके सबसे अधिक सदस्य होंगे, अर्थात्, आप केवल भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस को स्वीकार करेंगे, जो कि आप की ही संस्था है। आपने हड़ताल करने का अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। देखा जाये तो आप चाहते हैं कि किसानों और मजदूरों को हर तरह से पीसा जाये। उनका पूर्ण रूप से शोषण किया जाये। आप उनकी परवाह

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

नहीं करना चाहते हैं। आप परवाह करेंगे उनकी जो आपको रुपया देते हैं, वे पूंजीपति जिन्होंने विदेशियों से मिल कर देश के विरुद्ध षड्यन्त्र रचा है। आप उनसे सहयोग की आशा क्यों करते हैं ? आखिरकार, आप अपने विचारों को क्यों नहीं बदलते। आप इन पूंजीपतियों के स्थान पर जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? वास्तव में अब कोई नेता ऐसा रहा ही नहीं जो लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके और उन्हें ठीक रास्ते पर ले चले। यह योजना नहीं है यह तो केवल कागजों को जोड़ जोड़ कर रखा गया है। यह तो जनता को धोखा दिया जा रहा है। उन्हें सब्ज़ बाग दिखाये जा रहे हैं। परन्तु याद रखिये, यह व्यवस्था अधिक दिन नहीं चल सकती। लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। वे स्वयं अपनी योजना तैयार करेंगे। आपकी यह योजना उसके सामने रद्दी कागज़ के सिवाय और कुछ न होगी।

डा० एस० एन० सिन्हा (सारन पूर्व) : बहुत से लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं यदि उनकी आदत हर चीज़ में बुराई देखने की है तो वे चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों न देखें उसकी बुराई करे बिना नहीं रहेंगे। यही हाल मेरे सामने बैठे हुये मित्रों का है। उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस योजना से हमें क्या लाभ होगा, बस आलोचना आरम्भ कर दी।

यदि आप योजना को भली भांति पढ़ें तो आपको मालम होगा कि हम सिंचाई द्वारा भुखमरी दूर करना चाहते हैं; ज़मीन के सम्बन्ध में सुधार करके प्रति व्यक्ति की आय दुगनी करना चाहते हैं, उचित ढंग से रेलों का विस्तार करके देश में से अकाल और कमी दूर करना चाहते हैं; सबके लिये रोजगार आदि की व्यवस्था करना चाहते हैं। हम नदियों को काबू में करके उनसे लाभ उठाना चाहते हैं। उनका मार्ग बदल कर लोगों को उनसे हानि पहुंचने की बजाय लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम ऐसा करने में भविष्य को उज्ज्वल पाते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि सोवियत रूस ने तो अपनी पहली पंच वर्षीय योजना में औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया था, किन्तु हमने कृषि पर ज़ोर दिया है। मैं साथ ही यह भी कह दूं कि रूस ने अपनी पहली योजना के कार्यान्वित करने में जितने लोगों का बलिदान दिया था हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। वहां उस समय महंगाई के कारण लाखों व्यक्ति भूखों मर गये थे किन्तु हम तो एक भी व्यक्ति को भूखा मरने नहीं देना चाहते। इसीलिये हमने कृषि पर ज़ोर दिया है।

मैं चाहता हूं कि आप यह समझने का प्रयत्न करें कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या इससे अच्छी योजना बन सकती थी। मेरे विचार में जो कुछ हमारे सामने है वह किसी भी दशा में ऐसा नहीं है कि हम उसे एक दम ठुकरा दें। जैसा कि मैंने पहले कहा कुछ लोग हर चीज़ में बुराई देखते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वह इस देश को अपना देश नहीं समझते। वह किसी दूसरे देश की सहायता से हमारे इस देश का 'उद्धार' करना चाहते हैं। वह यहां की स्वतन्त्रता का गला घोंटना चाहते हैं। अतः मैं तो एक बात जानता हूं कि जो लोग इस योजना के पक्ष में नहीं हैं वे हमारे विरुद्ध हैं, वे जनता के दुश्मन हैं, वे देश के दुश्मन हैं, वे विदेशों के हित में इस देश का नाश करना चाहते हैं। परन्तु मैं ऐसे लोगों को बतला दूं कि एक बार हमारी योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाये तो हम विश्व के सामने गर्व से सिर ऊंचा करके यह कह सकेंगे कि हमारा

देश सबसे शक्तिशाली, समृद्धिशाली तथा सुन्दर देश है ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : योजना आयोग ने इतने वर्षों के पश्चात् जो योजना बना कर तैयार की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । इस योजना से अब यह प्रमाणित हो गया कि प्रजातन्त्र देशों में भी योजनायें बनाई जा सकती हैं और उनको कार्यान्वित किया जा सकता है । मेरे विचार में आने वाली पीढ़ियां यह कह सकेंगी कि इस देश के गरीबों के लिये वास्तव में कुछ किया गया था ।

योजना आयोग की जब रूप-रेखा हमारे सामने रखी गई थी तो उसमें बेकारी के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, किन्तु मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि अब इस योजना में इसके लिये एक अध्याय लिखा गया है । यह बतलाया गया है कि योजना के कार्यान्वित होने पर लगभग ५० लाख व्यक्तियों को काम मिल जायेगा । परन्तु पांच साल के अन्त तक मजदूरों की संख्या लगभग इतनी ही और बढ़ जायेगी । इस प्रकार पांच साल के अन्त में भी लगभग इतने ही व्यक्ति बेकार रहेंगे । लेकिन योजना आयोग ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि एक दम से सब व्यक्तियों को काम दे देना सम्भव न हो सकेगा । हो सकता है यदि हमारे उत्पादन के साधन या उपकरण बढ़ जायें तो हम सबको काम दे सकें । अतः यदि सब लोगों को काम मिल भी जाता है तो भी उसी अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना सम्भव न होगा । क्योंकि कृषि का कार्य करने वाले प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय लगभग ५०० रुपये प्रति वर्ष बताई गई है जबकि फैक्टरियों में काम करने वालों की वार्षिक राष्ट्रीय आय १,८०० रुपये है । इस लिए, जब तक लोगों को फैक्टरियों में काम नहीं मिलता तब तक राष्ट्रीय आय का बढ़ना सन्देहपूर्ण है । और फैक्टरियों के लिये धन की आवश्यकता है ।

वर्ष १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में विकास प्रोग्राम पर ६६७ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था । परन्तु इसमें २१२ करोड़ की कमी हो गई ! मैं पूछना चाहता हूं कि क्या घाटे का बजट बनाने में इस रक़म को भी शामिल किया गया है अथवा नहीं ।

दूसरी बात यह है कि इन दो वर्षों में आय काफी अच्छी रही है यदि आप दो वर्ष की औसतन आय ५५५ करोड़ रुपये भी रखें तो पांच वर्ष में लगभग ११३६ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । अतः रिपोर्ट में दिये गये १२५८ करोड़ रुपये के मुकाबले में यह रक़म फिर भी १२२ करोड़ रुपये कम बैठेगी । यदि हमें बाहर से सहायता प्राप्त न हुई तो इस राशि को प्राप्त करन के लिये ऋण लेना पड़ेगा तथा और अधिक करारोपण करना होगा । परन्तु सवाल तो यह है कि ऐसा किस सीमा तक किय जा सकता है । हम अधिक घाटे का भी बजट नहीं बना सकते हैं । क्योंकि घाटे के बजट की बुराइयों से बचने का भी प्रबन्ध करना होगा । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास जो कुछ पूंजी है उसको समझ सोच कर लगाया जाये । मेरे विचार में हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये :—

(१) पूंजी का उपयोग ऐसे उद्योगों में किया जाये जिस से थोड़े ही समय में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाये, विशेष कर खाद्य और कपड़े का, क्योंकि इन्हीं दो वस्तुओं पर आय का अधिक भाग खर्च होगा ।

(२) व्यय का विदेशी मुद्रा पर अधिक ज़ोर नहीं पड़ना चाहिये; इसलिये योजनायें ऐसी हों जिन में स्थानीय उपलब्ध सामान का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके । और यदि

[श्री बंसल]

विदेशी मुद्रा खर्च ही हो तो हम आगे चल कर उससे और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें।

(३) धन को इस प्रकार से व्यय किया जाये जिससे लोगों को रोज़गार मिले विशेष-कर, उन क्षेत्रों में जहां पर लोगों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है।

(४) व्यय कुछ इस प्रकार से हो जिससे समुदाय के पूंजी स्टाक को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचे।

इन सब बातों के अलावा भी सरकार को यह देखना होगा कि कम मिलने वाली वस्तुओं का वितरण उचित रूप से होता है और पूंजी लाभदायक उद्योगों में लगाई जाती है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा गया तो हमें तीन या चार साल बाद अपनी योजना को केवल इस कारण बन्द नहीं करना पड़ेगा कि आगे के लिये अब हमारे पास रुपया नहीं है। अत: भविष्य के लिये हमें अभी से तैयारी करनी चाहिये।

योजना में यह बात बहुत साफ तौर पर नहीं बताई गई है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये कैसी व्यवस्था की जायेगी यद्यपि योजना आयोग के निर्देश पदों में यह भी शामिल था। मेरा निवेदन है कि मन्त्रिमण्डल की एक समिति बनाई जाये जिसे हर प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। वह इस बात को देखे कि योजना प्रत्येक अवस्था पर ठीक ठीक कार्यान्वित हो रही है अथवा नहीं; राज्य सरकारों को जो धन दिया गया है उसका ठीक ठीक उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, जनता को योजना की प्रगति से ठीक ठीक अवगत कराया जाता है अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी श्वेत-पत्र निकाला जाये। यदि ६ महीनों के बाद नहीं तो कम से कम साल भर में तो ऐसा श्वेत-पत्र प्रकाशित होना ही चाहिये जिससे जनता यह जान सके कि योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, कितना धन व्यय हुआ है तथा उससे कितना लाभ हुआ है। मेरे विचार में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में यह योजना एक उल्लेखनीय बात है तथा इससे जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता प्राप्त होगी।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्ण-गिरि) : जब सामान्य निर्वाचन हो रहे थे तो योजना का प्रारूप जनता के सामने था। अब उसी योजना को अन्तिम रूप से आपके सामने रखा गया है। जनता ने योजना के गुणों को समझते हुए ही अपने प्रतिनिधि यहां भेजे हैं इसलिये बार बार आधारभूत बातों को उठाने का कोई लाभ नहीं। यह तो जनता की ही योजना है। इसको कार्या-न्वित करने के लिये नेताओं की आवश्यकता है जो लोगों में उत्साह पैदा कर सकें। और इसीलिए लोगों ने ऐसे लोकप्रिय दल के हाथ में सत्ता सौंपी है जो उन्हें उनके उद्देश्य तक अवश्य ले जायेगा।

रेलों को पुन: संगठित करने के लिये जो राशि योजना में रखी गई है वह बहुत कम है, क्योंकि इस राशि का अधिकतर भाग तो वर्तमान आवश्यकताओं में ही व्यय हो जायेगा। फिर रेलों का विकास या पुरानी रेलवे लाइनों को पुन: खोलने का कार्य कैसे होगा। इस सम्बन्ध में सड़कें बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये जिससे यातायात के साधन बढ़ सकें।

मैं योजना आयोग का ध्यान मद्रास के कुछ जिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दक्षिणी पेन्नार नदी को शामिल नहीं किया गया है। दक्षिण आरकाट में लिग-

नाइट के बहुत से क्षेत्र हैं। परन्तु इनको खोदने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से इन्हें खोदने तथा इनका परिमाप करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सम्भव है लिगनाइट के अधिक मात्रा में निकलने पर यहां तेल साफ करने के कारखाने भी बनाये जा सकें।

यद्यपि महिला शिक्षा तथा शिशु-कल्याण की योजना में व्यवस्था की गई, फिर भी, यह कहीं अच्छा हो यदि इस प्रकार के कार्यों के लिये एक केन्द्रीय मन्त्री भी बना दिया जाये। योजना में घरेलू काम धन्धों का विशेष ध्यान रखा गया है, फिर भी, शहद की मक्खियां पालने के धंधे को कोई विशेष महत्व नहीं मिला है। प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक मात्रा में हम बाहर से शहद मंगवाते हैं। यदि हम मक्खियों को पालने के धंधे को प्रोत्साहन दें तो हम इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो सकते हैं। मैं योजना बनाने वालों को योजना बनाने के लिये बधाई देता हूं।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : देश के विभिन्न भागों में विकास करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि फालतू राजस्व को आधारभूत परियोजनाओं में लगाया जाये। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार लगाये गये धन से हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिये। योजना आयोग ने इन दोनों ही बातों को स्वीकार कर लिया है। परन्तु यह समझना सन्देह से खाली नहीं है कि इस प्रकार से विनियोजित की गई पूंजी से हमारे देश के विभिन्न भागों में उन्नति हो जायेगी। वास्तव में, हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसमें बहुत सी कमी है। उदाहरण के लिये, लोहा और इस्पात का ही मामला ले लीजिये। यह आशा की जाती है कि इस्पात की नई फैक्टरी स्थापित हो जाने के पश्चात् पांच वर्ष के अन्त में हम २२ लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे। परन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया है कि पांच वर्ष के अन्त में हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये २८ लाख टन इस्पात फिर भी आयात करना पड़ेगा। हम जो बिजली पैदा करेंगे वह ऐसी एक क्या सैकड़ों फैक्टरियों को चला सकती है। फिर क्या कारण है कि हम अभी से ऐसी फैक्टरियां स्थापित नहीं करते जिससे हम इस मामले में सदा के लिये आत्म-निर्भर हो जायें। आखिरकार, हमें तो ऐसी फैक्टरियां स्थापित करनी हैं जिनसे हमारा आर्थिक विकास शीघ्र से शीघ्र हो सके। लोहा और इस्पात का उद्योग ही ऐसा उद्योग है जिसके सहारे बहुत से अन्य उद्योग चलाये जा सकते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि योजना आयोग ने आधारभूत उद्योगों के विकास के लिये ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था तो कर दी है किन्तु यह कहीं पर भी नहीं बतलाया है कि यह राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी; किन किन उद्योगों का विकास होगा; उन्हें कहां कहां स्थापित किया जायेगा। यह ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर योजना आयोग को देना चाहिये था।

एक तीसरी बात, जो हमारे आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है और जिसे योजना आयोग ने बिल्कुल ही भुला दिया है, वह है देश के विभिन्न भागों में आय का उचित रूप से वितरण करना तथा नौकरी की सुविधाएं देना। जब आप देश में एकता का प्रचार करते फिरते हैं तो आपने यह कैसे भुला दिया कि एकता के लिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न भागों में समान रूप से प्रगति होनी चाहिये। पिछड़ा हुआ भाग प्रगतिशील भाग को भी पीछे खींचता है। उदाहरण के रूप में बम्बई को ही लीजिये। बम्बई या उसके आसपास काफी उद्योग स्थापित हो चुके हैं। यही हाल कलकत्ते का है। परन्तु महाराष्ट्र, कर्नाटक, या दक्षिण

[डा० कृष्णास्वामी]

में औद्योगीकरण का नाम तक नहीं है। आपने देश के इन भागों को बिल्कुल ही भुला दिया है। अतः यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में उन्नति हो तो आप देश के विभिन्न भागों में आय और नौकरी की सुविधाओं का समान रूप से प्रबन्ध करें।

मेरे विचार में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट में 'नौकरी' वाला अध्याय नहीं शामिल करना चाहिये था। मान लीजिये कि पांच वर्ष के अन्त तक हमारे पास मजदूरों की संख्या ८० या ९० लाख होती है तो इस योजना के अनुसार केवल ५० लाख मजदूरों को काम मिल सकेगा। शेष ३० या ४० लाख व्यक्ति फिर भी बेकार रहेंगे। मैं योजना आयोग की इस दलील को मानता हूं कि क्योंकि हमने कृषि विकास की योजना बनाई है इसलिये फौरन ही सब लोगों के लिए काम की व्यवस्था नहीं हो सकती है, हां, उत्पादन अवश्य बढ़ जायेगा। परन्तु मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि इन ५० लाख व्यक्तियों को भी किस प्रकार काम मिल सकेगा। आयोग का कहना है कि उन्हें कुटीर उद्योगों में काम मिल जायेगा। परन्तु आज की हालत देखते हुए कोई भी यह कह सकता है कि कुटीर उद्योगों में और व्यक्तियों को काम मिलना तो दूर रहा जो लगे हुए हैं उनका ही अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा। उदाहरण के लिये, हस्त करघा उद्योग ही ले लीजिये। जितने करघे लगे हैं और जितने जुलाहे हैं उनमें से बहुत से ८ या १० दिन से अधिक कार्य नहीं करते। उनके करघे पूरी तरह से चल भी नहीं पाते क्योंकि उनकी मांग कम होती है। दूसरे मिल तथा हस्त करघे से बने कपड़ों के मूल्यों में अधिक अन्तर होता है। अतः देखा जाये तो पांच वर्षों में उत्पादन तो बढ़ जायेगा किन्तु अधिक व्यक्तियों को काम न मिल सकेगा। २० या २५ लाख व्यक्तियों से अधिक को काम न मिल सकेगा।

आप इस बात का कैसे पता लगायेंगे कि पांच वर्ष के अन्त में आपके पास कितना अन्न उपलब्ध है? मान लीजिये फसलों की सिंचाई के लिये आपके पास पानी का प्रबन्ध हो जाता है। फिर भी आपको इसका तो प्रबन्ध करना ही होगा कि किस प्रकार की फसलें बोई जायें। हमें अन्न की आवश्यकता है और किसान व्यापारिक फसलें पैदा करता है तो काम कैसे चलेगा। अतः हमें अभी से इस बात की तैयारी करनी है कि हम क्या चाहते हैं तथा हमें अपनी आवश्यकताओं का किसानों को भी आभास करा देना है।

अब मैं इस बात को लेता हूं कि हमें इस योजना के लिये आवश्यक धन कहां से प्राप्त होगा। जैसा कि मेरे मित्र श्री बंसल ने बताया कि वर्ष १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में २१२ करोड़ रुपये की कमी हुई थी। इन वर्षों में व्यय भी अधिक नहीं हुआ था। मेरे विचार में १९५३ से आगे खर्च भी बढ़ता जायेगा। फिर १४१४ करोड़ रुपये की देश में किस प्रकार से व्यवस्था हो सकेगी? रिज़र्व बैंक के अनुसार भाग 'क' राज्यों की आय अगले कुछ वर्षों में कम होती जायेगी। दूसरे, कुछ राज्यों ने मद्य-निषेध जारी कर दिया है। यदि यही हालत रही तो योजना के लिये रुपया कहां से मिलेगा? हमें मद्य-निषेध त्याग देना चाहिये, नमक पर कर लगा देना चाहिये। इससे कम से कम १८० करोड़ रुपये की आय तो बढ़ ही जायेगी।

हमारा यह सोचना गलत है कि हमें केवल सरकारी उद्योगों के लिये ही रुपया जमा करना है जो कि लगभग २०६९ करोड़ रुपया होता है। हमें गैर सरकारी क्षेत्र के लिये

भी रुपया देना है जो कि लगभग १३४८ करोड़ रुपये होता है। सवाल इस बात का है कि उद्योगपतियों को इतना रुपया कहां से प्राप्त होगा ? क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा की गई बचत का ६० प्रतिशत तो सरकारी उद्योग धंधों में लग जायेगा और ४० प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र के लिये रह जायेगा। इसमें से ही उद्योगों का पुनः संगठन होगा और आवश्यकता पड़ी तो सरकारी उद्योगों के लिये भी इसी में से रुपया निकाल लिया जायेगा। देखा जाये तो वर्ष १९४७ के पश्चात् उद्योगपतियों ने उद्योगों में बहुत ही कम धन लगाया है। आखिरकार, फिर हमारी योजना के लिए धन आयेगा कहां से ? घाटे का बजट बनाना तो सरल कार्य नहीं है। यदि आप नोट छाप कर घाटा पूरा ही करना चाहते हैं तो आपको यह धन ऐसी वस्तुएं तैयार करने में लगाना चाहिये जिनका लाभ तुरन्त ही उठाया जा सके। दीर्घ कालीन योजनाओं में यह धन किसी भी प्रकार से नहीं लगाया जा सकता है। हमें पिछड़े भागों को सुधारने में यह धन लगाना चाहिये। उद्योगपतियों को केवल इस शर्त पर धन उधार देना चाहिये कि वह उसे अपनी मशीनें आदि बदलने में लगायें जिससे हमें उत्पादन करने में देर न लगे। अन्त में हमें इस धन को उन फर्मों की पूंजी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, जिनका कारबार तो चल रहा है किन्तु कारबार को और आगे बढ़ाने के लिये उनके पास पूंजी नहीं है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं जनता का विश्वास तो हमारी मुद्रा में नहीं उठ गया है, क्योंकि ऐसा हो जाने पर सम्पूर्ण आर्थिक ढांचा ही समाप्त हो जायेगा। इसके लिये आपको सावधानी से नियन्त्रणों का प्रयोग करना होगा। बचत करना अनिवार्य कर देना होगा। घाटे के बजट की बुराइयों से आपको सावधान रहना पड़ेगा।

कुछ लोगों का विचार है कि प्रजातन्त्र में दोनों प्रकार से उद्योग नहीं चलाये जा सकते हैं, अर्थात् सरकार द्वारा भी तथा उद्योगपतियों द्वारा भी। परन्तु उद्योगपतियों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों में प्रतियोगिता होगी और सरकार को नियन्त्रण करने का अवसर रहेगा। अतः इस प्रकार हम राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता के बीच संतुलन रख सकेंगे।

श्री एस० के० पाटिल (बम्बई नगर-दक्षिण) : आरम्भ ही में मैं योजना बनाने वालों को ऐसी अच्छी योजना बनाने के लिये बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने इस योजना की अन्य देशों की योजना से तुलना की है। परन्तु मेरा निवेदन है कि आप इस योजना की अन्य देशों की योजनाओं से तुलना कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिये रूस को ही पहली पांच वर्षीय योजना को ले लीजिये। जिस समय वहां की योजना बना कर तैयार की गई थी तो विरोध करने वालों को बिल्कुल साफ कर दिया गया था। किसी को योजना के विरुद्ध अंगुली उठाने का अधिकार नहीं था। परन्तु यह बात हमारी इस योजना के सम्बन्ध में नहीं है। आपको अपनी राय प्रगट करने की पूरी छूट है। रूस ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो कुछ सामान या धन चाहिये था उसको लोगों से जबरदस्ती ले लिया था। सर्वाधिकार वाद का बोलबाला था। परन्तु हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं।

हमारी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये धन की आवश्यकता तो है ही किन्तु सबसे अधिक आवश्यकता जनता के सहयोग तथा ऐसे नेताओं की है जो उनका ठीक ठीक मार्ग प्रदर्शन कर सकें तथा उनमें योजना के प्रति उत्साह भर सकें। किसी चीज में गलती निकालना तो आसान है किन्तु उसे पूरा करना आसान नहीं है। कुछ लोगों

का कहना है कि इस योजना से बेकारी की समस्या तो हल होती ही नहीं है अतः योजना से लाभ क्या है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें करके आप लोगों में योजना के प्रति उत्साह भरने की बजाय उन्हें निराश कर देते हैं। आप आलोचना कीजिये किन्तु लोगों में ऐसी धारणा तो न फैलाइये कि यह योजना ही बेकार है जिससे वे इनमें दिलचस्पी लेना ही छोड़ दें। यदि योजना में कमी रह गई है तो उसको पूरा कीजिये। परन्तु ऐसा तो न कीजिये जिससे इसमें लोगों का विश्वास ही हट जाये क्योंकि विश्वास और लगन से ही पहाड़ भी हटाये जा सकते हैं।

योजना में जनता के सहयोग पर एक अध्याय भी है। उसमें यह भी बताया गया है कि उसे प्राप्त करने के लिये कैसी व्यवस्था होगी। परन्तु कागज़ पर लिख देने ही से तो काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे नेता ढूंढने हैं जिनमे लोगों को विश्वास हो। जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसे नेता केवल कांग्रेस ही में हैं, वे तो सामने बैठे विरोधी दलों में भी मौजूद हैं। आपको उनसे लाभ उठाना चाहिये। क्योंकि बिना उचित मार्ग प्रदर्शन के या उत्साह की कमी होने पर आप अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेंगे चाहे आपके पास पर्याप्त धन भले ही आ जाये। आपको जनता में यह भावना पैदा करनी है कि यह योजना उन्हीं की है। उन्हीं के लाभ के लिये है, वे इस योजना को रचनात्मक दृष्टिकोण से देखें। यह योजना उन्हीं के सहयोग से सफल होगी। इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने के लिये आपको प्रेस, चलचित्रों, रेडियो आदि का पूरा पूरा प्रयोग करना चाहिये जिसमें गांव का एक एक व्यक्ति यह जान जाये कि पंचवर्षीय योजना क्या है और उसमें उसको कहां तक अपना सहयोग देना है।

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि आपको इस योजना के कार्यान्वित करने में राज्यों का सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होगा परन्तु एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है राज्यों द्वारा योजना के लिये धन जमा करना। कहीं ऐसा न हो कि राज्य जल्दबाज़ी में आकर ऐसे कर लगा बैठें जो लोकप्रिय न हों। हो सकता है आप ऐसा करके आवश्यक धन प्राप्त कर लें किन्तु आप लोगों का सहयोग खो देंगे। आपको बहुत सावधानी से काम लेना है। क्योंकि धन से अधिक आपको जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः मेरा निवेदन है कि आप जनता का सहयोग हर क़ीमत पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिये इसी से आपकी योजना सफल होगी।

श्री**मती उमा नेहरू** (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज प्लानिंग कमीशन वालों को मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने इस क़दर उम्दा पांच साल की योजना हमारे सामने रखी है। मैं यह भी इस हाउस को बताना चाहती हूं कि यह योजना जो हमारे सामने रखी है इसमें हमको पूरा विश्वास है। मैं जब से यहां बैठी हूं वही सुन रही हूं कि यह योजना जो पैदा की है बेकार है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमको यह बताया गया, अभी थोड़ी देर हुई कि हमको जिन्होंने यह योजना तैयार की है, बताया गया है कि हम ड्रीमर्स हैं आजादी का स्वप्न देखते है। मुझे अपने इन भाइयों को यह बताना है कि आजादी के स्वप्न हमने देखे और उन स्वप्नों का नतीजा यह हुआ कि आज देश को आजादी मिल गई। यह भी उनको मैं बताऊं कि हमें, आजादी के स्वप्न देखने

वालों को, पूरा विश्वास है कि यह योजना देश को आगे ले जाने वाली चीज़ है । जो हमारा उजड़ा हुआ देश है इसको यह फिर से बसाने वाली चीज़ है । देश वही तारीफ़ के क़ाबिल होता है जिस देश के लोग खुश-हाल होते हैं । अगर हम इस योजना को इस निगाह से देखें और दिल से इसको मंजूर करें और मेहनत और जोश से इससे बरतें तो कोई वजह नहीं है कि हम को इस योजना में पूरी सफलता न हो। हमने महात्मा गांधी के साये में रचनात्मक कार्य किया है । हम जानते हैं कि देश के निर्माण में हमें सेवा भाव से काम करना है, ख़ास तौर से स्त्रियों को। हमने, स्त्रियों ने, हर चीज़ का त्याग करके आजादी की लड़ाई में मर्दों के साथ साथ काम किया है। हमें उसी भाव से अब इस देश का निर्माण भी करना है। इस काम में पूरे तौर से दिलचस्पी लेनी है और बिना उनके साथ के यह योजना सफल भी नहीं होगी। जैसा अभी श्री पाटिल ने कहा था कि जब तक हम पूरे जोश से इस काम को नहीं करेंगे,जब तक देश में लीडरशिप नहीं होगी तब तक योजना को आगे चलाना भी जरा मुश्किल होगा स्त्रियों की चर्चा मैं इसलिये करती हूं क्योंकि हमने इस पर पिछले चुनाव में यह देखा कि स्त्रियों के वोट पुरुषों से अधिक थे और हम यह जानती हैं कि स्त्रियां यदि रचनात्मक कार्य को अपने हाथ में ले लेंगी और भारत सेवक समाज, जिसका जिक्र है, उसको समझेंगी और समझ कर आगे चलेंगी तो कोई वजह नहीं है कि योजना की देश में सफलता न हो। हम स्त्रियों को अपने भाइयों के संग संग चलना है, चाहे कितनी ही हजारों दिक्कतें हमारे सामने हों । हमें अब अपनी इस वैलफेयर स्टेट को बनाना ही है । कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स में हमें बराबर हिस्सा लेना है । देहात की आर्थिक, सामाजिक दशाओं में परिवर्तन करना हमारा ही काम है। योजना के प्रोग्राम को सारे गांवों में फलाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की, इन सब को अपने त्याग व मेहनत के भावों से हमको कामयाब करना है । देहातों में जिन्दगी पैदा करना है, उनको सैल्फ़ सफ़िशियेंट बनाना, यह हमारे लिये बहुत जरूरी है । खाने, कपड़े वगैरह के लिये हमें दिक्कत न हो, इसका इन्तजाम करना है। इस खाने और कपड़े के अलावा हमें अपने देहातों में आराम की चीजें भी तैयार करनी होंगी, जैसा कि पीतल का काम होता है, क़ालीन बनाना, कढ़ाई करना, यह जो इस तरह के धंधे हैं, इनकी भी हमें तरक्की करनी होगी। देहातों की आर्थिक स्थिति तब ही बदलेगी जब हम देहातों में खाना और कपड़ा बराबर देंगे। कच्चे माल का भी हमें बन्दोबस्त करना होगा। फ़िर कच्चे माल के संग-संग जब तक हम देहातों में मार्केट का बन्दोबस्त नहीं करेंगे तब तक इस में दिक्कतें होंगी। आजकल जब हम देहात में जाते हैं तो वहां बुरी दशा हमें दिखाई देती है। वहां देहातों में हालत यह है कि न उनके पास माल है और न उनके पास खाना है, न उनके पास कपड़ा है । जो माल वहां मिलता भी है, जो थोड़ा बहुत माल वहां बनता भी है, तो उसके लिये उनके पास कोई मारकेट नहीं है। जो व्यापारी लोग होते हैं वे वहां जाकर उनको कच्चा माल देकर कपड़ा बनवाते है और दूसरी चीजें बनवाते हैं और वे ही उस माल को खरीदते हैं और इस वजह से देहात वालों की जो हालत है वह एक मजदूर की हालत से भी ज्यादा बदतर हालत है।

तो इन सब चीजो को हमें सामने रख कर सारी त्रुटियों को हमें इस योजना की मदद से दूर करना है । देहात की कारीगरी तभी फले फूलेगी जबकि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इस एग्रकल्चरल प्रोडक्शन पर ही काटेज इंडस्ट्री का सारा

[श्रीमती उमा नेहरू]

दारोमदार होता है। विलेज कम्यूनिटी में धन पहुंचाने का इन्तजाम भी हमें इस योजना से पूरा करना है ताकि कारीगरों को धन की कमी से हानि न पहुंचे। यों तो हर स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन सेंटर को भी ऐसा इन्तजाम करना है कि हर स्टेट की वह बराबर जांच करती रहे। योजना का मक़सद यही होना चाहिये कि हर काटेज इंडस्ट्री सेल्फ़ सफिशियेंट हो। जब तक यह सेल्फ़ सफ़िशियेंट नहीं होगी तब तक यह काम कामयाबी से नहीं हो सकेगा। हमें अपनी पंचायतों को फिर से देखना होगा। पंचायतों में हमें सच्चे ईमानदार आदमियों को रखना होगा जिससे कहीं पर भी हमारे नज़दीक करप्शन का जिक्र या नाम भी न आने पाये।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारी बाग पश्चिम) : और गवर्नमेंट में कैसे आदमी होने चाहियें ?

कुछ माननीय सदस्य : जैसे आप ।

श्रीमती उमा नेहरू : हमारा यह भी फ़र्ज़ होगा कि हम देश की पैदावार को बढ़ायें और इस पैदावार को बाकायदा तक़सीम भी हमें करना होगा । पहले हमें अपने देश की फिक्र करनी है, बाहर के मार्केट की तरफ़ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिये। योजना तभी कामयाब होगी जब हम देहाती कारीगरों की पूरी मदद करेंगे। देहात में कोआपरेटिव सोसायटीज़ स्थापित करनी होंगी, ताकि इन सोसायटियों की वजह से धन की मदद उनको मिले। हमें बाक़ायदा टैक्निकल एजूकेशन भी देनी होगी, बेसिक स्कूल में भी और जहां एडल्ट एजूकेशन हो वहां भी। हमको रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स भी क़ायम करने पड़ेंगे जहां कि काटेज इंडस्ट्री की उन्नति हो। यह सारा काम हमें देहात में पंचायतों से करना ही पड़ेगा। कच्चे माल को ख़रीदना, ख़ास तौर पर वह माल जो देहात में न हो, यह भी उसका एक बड़ा भारी काम होगा। देहात की पंचायतों को कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज की पूरी मदद करनी होगी ताकि जो माल ज़्यादा हो वह ठीक दाम पर बिक सके। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि बड़े कारख़ानों से इस काटेज इंडस्ट्री को किसी तरह का नुक़सान न पहुंचे और अगर पहुंचता है तो इन बड़े कारखानों पर टैक्स भी हमें लगाना पड़ेगा।

इस पांच साल की योजना ने काटेज इंडस्ट्री का विचार किया है। यदि कहीं कमी होगी और यदि किसी विचार से कोई त्रुटि होगी तो हमें पूरा विश्वास है कि उसमें अदल बदल हो सकेगी, क्योंकि यह कोई ऐसी पत्थर की लकीर तो है नहीं कि जो मिट न सके। यह योजना तभी सफल होगी जब हम एक दूसरे के लिये फैलो फीलिंग रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें. समाज सेवा का भाव हम में हो। हम उसी हालत में इस योजना को सफल बना सकते हैं। आजादी मिलने के बाद हम इस पांच साल की योजना का स्वागत करते है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर इस योजना को कामयाब करेंगे।

मेरे एक भाई ने एक प्रश्न अभी मुझ से किया था कि मैं उन्हें बताऊं कि पिछले करप्शन का मेरे पास क्या जवाब है। तो आप जानते हैं कि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि अगर कोई गुनाहगार हैं, उन्होंने पिछले कर्म ऐसे किये हैं, गुनाह किये हैं, तो उनको तो प्रायश्चित करना है, चाहे वह नौकर पेशे हों, चाहे पोलीटिकल बोडीज में हों, चाहे कहीं भी हों। पिछले कर्मों का पाप कोई करे उनको अपनी तरफ़ भी जरा निगाह डालनी होती

है पेश्तर इसके वह दूसरों में नुक्स देखें। मैं कुछ ज्यादा न कह कर सिर्फ़ काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में ही कहना चाहती हूं। उसी का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। मुझे पूरा यक़ीन है कि, जैसा श्री पाटिल ने कहा कि जब तक इसके लिये हम फ़ैलो फ़ीलिंग नहीं होगी, त्याग का भाव और एक दूसरे का विचार नहीं होगा जिसं के अन्दर कि कोई (पार्टी पौलिटिक्स) न हो, जब तक हम में रचनात्मक काम करने की स्पिरिट नहीं होगी तब तक इस योजना का कामयाब होना जरा मुश्किल होगा।

मैंने भी फ़िगर्स बहुत पढ़ीं और मेरे भाई जो बैठे हैं उन्होंने भी दीं, और मुझे ऐसा मालूम होता था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रेक्टिकल होते हैं और एक जो होते हैं, उनमें किताबी विद्या भरी होती है और कई स्पीचें और व्याख्यान मैंने यहां बैठ कर सुनें--ऐसा मालूम देता था किसी ने इनसाइक्लोपीडिया को खोल दिया हो। लेकिन अस्ल में इस योजना को चलाने के वास्ते तो हमें उन्हीं मजदूरों की जरूरत है जिन मजदूरों ने देश को आजादी की मंजिल पर पहुंचाया। आज उनको यह कहना कि वह क्या जानें या उनको सुनाना जिन्होंने देश को आजाद कराया और यह योजना आपके सामने रखी है, कोई मानी नहीं रखता और हमें पूरा विश्वास है कि इस योजना को सफल बनाने के लिये हमारे जितने भी भाई इस हाउस में बैठे हैं, ख्वाह वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट हों अथवा कोई भी हों, उनका यह पहला धर्म और कर्तव्य है कि वह अपने देश को हरा भरा बनायें और अपनी उजड़ी हुई बस्ती को फिर से बसावें। उनका यह फ़र्ज़ नहीं है कि वह बाहर के देशों का स्वप्न देखें, बल्कि उनको तो अपने घर को संवारना है। अगर हमारे वे भाई समझते हों कि हमारे काम करने का तरीक़ा ग़लत है तो उनको पूरी आजादी है कि वह हमारा रास्ता रोकें और रास्ता रोक कर हमको बतलायें कि यह सीधा रास्ता है, लेकिन यह न करके केवल एक जबानी दाखिला अगर उनका होता है, तो वह देश को नुक़सान पहुंचाता है। तो मुझे पूरा विश्वास व यक़ीन है कि इस योजना को जब हम काम में लायेंगे और बर्तेंगे तो निस्सन्देह हमारे सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं और हमारे सामने मुश्किलें होंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन तमाम कठिनाइयों को और मुश्किलों को हम पार कर ले जायेंगे और हमारी यह योजना अवश्य सफल सिद्ध होगी।

कुमारी एनी० मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं योजना बनाने में विश्वास करती हूं और बहुसंख्यक दल द्वारा कृषि और खाद्य को जो प्राथमिकता दी गई है उससे सहमत हूं। कुछ लोगों का कहना है कि योजना की कड़ी आलोचना न की जाये। मेरा निवेदन है कि लोकतन्त्र में आलोचना ही से आप आगे बढ़ते हैं। आपके विरोधी आपको आपकी ग़लतियां बताते है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आपको तो इससे लाभ उठाना चाहिये।

जब यह योजना हमारे सामने आई तो सबसे पहले मेरा विचार इसकी आर्थिक रूप रेखा की ओर गया। यह कहना ठीक ही है कि यह योजना अगले पांच वर्षों का बजट है। हमें २०६९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी है। परन्तु जनता की बचत, करारोपण, घाटे का बजट, विदेशी सहायता, जनता के सहयोग के उपरान्त भी इस राशि को पूरा करने के लिये ३६५ करोड़ की कमी पड़ती है। इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा? जहां तक मैं सोच सकती हूं यह योजना प्रचार करने के अलावा और कोई अर्थ नहीं रखती। यह असफल होकर ही रहेगी।

अब मैं विदेशी सहायता पर आती हूं हमें बताया जाता है कि अमेरिका हमारी सहायता कर रहा है। अमरीकी हमें सहायता दे रहे हैं। इसलिये हम उनके आभारी हैं, किन्तु एक प्रश्न उठता है : क्या यह सहायता बिना किसी शर्त के दी जा रही है ? यदि ऐसा है तो इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु बात कुछ और ही है। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकारों के बीच हुए समझौते से पता चलता है कि हम उनका धन उनकी मर्जी के बिना खर्च नहीं कर सकते है। उनका एक संचालक यहां हमारे सिर पर सवार है जो हमें यह बतलाता है कि हमें क्या करना है तथा हम बाहर से क्या मंगवा सकते हैं। हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को केवल उन्हीं से ख़रीद सकते हैं और इसके लिये रुपया भी उसी कोष से लिया जा सकता है। यह तो बिना शर्त की सहायता नहीं है। वास्तव में, बात यह है कि अमेरिका परिस्थितियों का लाभ उठा कर विश्व में एक गुट बना रहा है जिसका नेता वह स्वयं होना चाहता है और भारत के चाहते या न चाहते हुए भी वह इसे अपने गुट में खींचना चाहता है। वह हम पर अपना प्रभाव डालना चाहता है।

मेरे विचार में आर्थिक कठिनाई को किसी न किसी प्रकार हल किया जा सकता है किन्तु आप इस योजना को तभी सफल बना सकते हैं जब आपको जनता का सहयोग प्राप्त होगा। आप जनता को साथ लेकर जो चाहें कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह योजना राजनीति से ऊपर रखी जाये तथा इसको कार्यान्वित करने में सरकार को सब विरोधी दलों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। केवल तब ही योजना सफल हो सकेगी।

श्री **पाटस्कर** (जलगांव) : जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, इस बारे में तो कोई मतभेद रहा ही नहीं है कि उचित रूप से योजना बनाई जानी चाहिये। हमारे देश को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उनको देखते हुये इस योजना में जो विश्लेषण किया गया है वह ठीक ही है। दूसरे, जहां तक आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने का सम्बन्ध है इसमें निश्चित उपाय बताये गये हैं। तीसरे, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु सरकार तथा अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय करना है। इस तीसरी बात के सम्बन्ध में सदस्यों ने काफी मतभेद प्रगट किया है। समन्वय करना, ऐसी बात तो है नहीं जिसका योजना में उल्लेख कर दिया जाता। यह तो ऐसी शक्ति है जिसको लोगों में उत्पन्न करना है। पहले तो उनके सामने अपने उद्देश्य रख कर तथा दूसरे, उन्हें इस बात का आभास करा कर कि प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जायेगा तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

कुछ लोगों ने योजना में बताये गये इस दृष्टिकोण को पसन्द नहीं किया है कि सरकार भी उद्योग चलाये तथा साथ ही उद्योगपति भी। परन्तु अमरिका और रूस की वर्तमान हालत को देखते हुए हमारे लिये इस मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाना ही लाभदायक है।

योजना को कार्यान्वित करने के लिये जिन २,०६९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है उनमें से ९२२ करोड़ रुपये कृषि, सामूहिक परियोजनाओं, सिंचाई तथा विद्युत् के लिये रखे गय हैं। योजना आयोग ने बताया है कि सिंचाई तथा विद्युत् के सम्बन्ध में प्राथमिकता ,दो सिद्धान्तो के आधार पर दी जा सकती है।

[श्री पाटस्कर]

पहला तो यह कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनसे देश में खाद्य का उत्पादन बढ़ेगा। दूसरे, प्रदेशवार खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा तथा पिछड़े हुए इलाकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जायेगी। इन दोनों बातों को सामने रखते हुए मैं योजना आयोग का ध्यान दक्षिणी पठार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें अहमदनगर, शोलापुर, पूना, बीजापुर आदि के भाग आते हैं। जैसा कि सब को मालूम है इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। वर्षा होती ही नहीं है। अकाल मुंह फाड़े खड़ा है। लोग पानी को तरसते रहते हैं। इस जगह की मिट्टी काली है और पानी मिलने पर उपजाऊ बनाई जा सकती है। यदि पानी मिलने लगे तो यहां पर आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा किया जा सकता है। इतना होते हुए भी इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। गंगापुर जल संग्रह परियोजना के अलावा कोई उल्लेखनीय योजना नहीं है। योजना में इस क्षेत्र के लिये जो रुपया रखा गया है वह बहुत ही थोड़ा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके लिये कुछ और धन की व्यवस्था की जाये जिससे वहां के रहने वाले यह समझें कि उनकी भलाई के लिये भी कुछ किया जा रहा है। यह वहां के लोगों की जीविका का प्रश्न है जिसे प्राथमिकता दी ही जानी चाहिये।

श्री **जी० एच० देशपांडे** (नासिक-मध्य): मैं योजना का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल के कई सदस्यों ने योजना की कड़ी आलोचना की है। प्रो० मेघनाद साहा ने डिनेपियर बांध की तारीफ में तो पुल बांध दिये थे लेकिन उन्होंने भारतीय नदी घाटी परियोजनाओं की निन्दा ही की है। यदि आप इस देश से अकाल के भय को हमेशा के लिये दूर करना चाहते हैं तो आपको नदी-घाटी परियोजनाओं की ही शरण लेनी होगी। छोटी छोटी सिंचाई की योजनायें लाभदायक तो होती हैं किन्तु संकट-काल में वे हमारा साथ नहीं दे पाती हैं। इसलिये हमें इन योजनाओं को भारतीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये न कि रूसी दृष्टिकोण से। डा० लंका सुन्दरम् ने कहा था कि योजना में खाद्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि वह योजना को एक बार पुनः ध्यान से पढ़ें। देश में कृषि सुधार करने के जो सुझाव योजना में रखे गये हैं उनसे अच्छे सुझाव मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में नहीं रखे जा सकते थे। श्री एच० एन० मुखर्जी ने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि भारत कभी ऐसी योजना भी तैयार कर सकेगा जिससे देश फिर से एक बार समृद्धिशाली हो जायेगा। यही कारण है कि वह इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में, बात यह है कि अब उन्हें अपने उपदेशों को लोगों पर लादने में कठिनाई होगी। क्योंकि साम्यवाद का बोलबाला उन्हीं स्थानों पर होता है जहां गरीबी, भूख और बीमारियां होती हैं इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर तो देश एक बार पुनः उन्नति कर सकेगा।

अब मैं अपने प्रान्त को लेता हूं, अर्थात्, बम्बई को। वहां पर केवल ४ प्रतिशत भूमि को सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। शेष ९६ प्रतिशत भूमि खेती के योग्य होते हुए भी पानी की कमी के कारण बेकार पड़ी रहती है। बम्बई का औद्योगीकरण हो गया है जिसके कारण वहां अन्न की समस्या और भी उग्र हो गई है। बम्बई प्रेसीडेन्सी का दक्षिणी तथा केन्द्रीय भाग विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है। वहां अन्न की समस्या बहुत ही गम्भीर है। अतः जब तक भारत सरकार

राज्य के सम्बन्ध में विशेष ध्यान नहीं देती, तथा नदी-घाटी परियोजनायें तथा सिंचाई की अन्य योजनायें नहीं बनाती तब तक वहां की समस्याओं का हल होना बहुत कठिन है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यह योजना सफल होगी और इसे जनता का सहयोग प्राप्त होगा।

श्री **आर० जी० दुबे** (बीजापुर-उत्तर) : कुछ लोगों ने योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि योजना आयोग भारत में वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ही कायम रखना चाहता है। परन्तु आयोग ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम जो समाज स्थापित करने जा रहे हैं वह लाभ के आधार पर नहीं बल्कि सहयोग के आधार पर बनेगा। वह सब के लाभ के लिये होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चीन में जिस प्रकार से सामाजिक पुनः निर्माण तथा सुधार किया जा रहा है वह जो कुछ रूस में हुआ था उससे बिल्कुल अलग ढंग पर हो रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें अगर सुधार करना है तो हमें अपने ढंग पर ही करना होगा।

योजना आयोग ने भूमि सुधार के प्रश्न पर भी विचार किया है। यह निश्चय कर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में ही भूमि होनी चाहिये यद्यपि अभी यह निश्चित नहीं किया गया है कि कितनी भूमि होनी चाहिये। बात यह है कि भूमि अधिक से अधिक कितनी रखी जा सकती है यह विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सहकारी खेती के सम्बन्ध में प्रयोग करने तथा उसे बढ़ाने के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह राशि बहुत थोड़ी है। सरकार को इस कार्य के लिये और अधिक रुपया देना चाहिये। सरकार को ऐसी सहकारी समितियां बनाने में प्रोत्साहन देना चाहिये। साथ ही उसे अपने फार्म भी खोलने चाहियें। एक बात और है जिसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और वह है देहात में किसानों के लिये धन की व्यवस्था करना। मान लीजिये भाकरा-नंगल योजना तैयार हो जाती है तो उससे जो बिजली पैदा होगी उसे किसान किस प्रकार उपयोग में ला सकेंगे जबकि कुटीर उद्योग आरम्भ करने के लिये उनके पास रुपया ही न होगा।

अन्त में, मैं योजना आयोग का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। बीजापुर से रायल सीमा तक का क्षेत्र दक्षिण भारत में सूखा इलाका समझा जाता है। वहां पर सदा ही अकाल की सी स्थिति रहती है। यद्यपि इस क्षेत्र के लिये १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है किन्तु कोई स्थायी कार्यवाही न होने के कारण इससे अधिक लाभ न हो सकेगा। इसके लिये एक विशेष समिति नियुक्त होनी चाहिये।

हमारे पास योजना को कार्यान्वित करने के लिये नेता हैं, साधन हैं, किन्तु कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार उसे चलाया जा सके। इसके लिये हमें ऐसे लोगों को रखना चाहिये जो योजना में विश्वास करते हों।

श्री **खर्डेकर** (कोल्हापुर व सतारा) : कल प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि हमें योजना के उद्देश्यों को देखना चाहिये न कि इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि किस बात को प्राथमिकता दी जाये। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाता कि आप उद्देश्यों को प्राथमिकताओं से कैसे अलग कर सकते हैं। हमारे जैसे देश के लिये जहां हम उद्देश्यों को ही ध्यान में रख कर उसी के अनुसार साधनों का प्रयोग करते हैं, यही अच्छा है कि हम

[श्री खर्डेकर

अच्छे उद्देश्यों के लिये अच्छे ही साधनों का उपयोग करें।

योजना की आधार भूत बातों तथा सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में चार बातें सामने आती आती हैं। पहली बात है धन की और उसे कहां से प्राप्त किया जाये। दूसरी, वे व्यक्ति जो इस योजना को कार्यान्वित करायेंगे। तीसरी, किन किन को प्राथमिकता दी जाये तथा चौथी यह कि कितना उत्पादन होता है तथा उसका उपभोग करने वाले कितने हैं।

जहां तक धन का सम्बन्ध है, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें २०६९ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। योजना के अनुसार हमें १४१४ करोड़ रुपये तो प्राप्त हो जायेंगे किन्तु ६६५ करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी। इस कमी को पूरा करने के लिये तीन उपाय बताये गये हैं--विदेशी सहायता, घाटे का बजट तथा अतिरिक्त करारोपण। मेरे विचार में हमें तनिक भी विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिये, इसलिये नहीं कि उससे हमारे तटस्थ राष्ट्र रहने में बाधा पड़ेगी या हम किसी दूसरे देश के गुलाम हो जायेंगे बल्कि उधार मांगने से आपका आत्मसम्मान जाता रहता है। हमारे जैसे राष्ट्र को तो अभी सिर ऊंचा उठा कर ही चलाना है। चाहे अमेरिका हो और चाहे रूस हमें दोनों ही से अच्छे सम्बन्ध रखने हैं, किन्तु हमें दोनों में से किसी की भी सहायता नहीं लेनी चाहिये। सरकार से मेरा निवेदन है कि जब हमारे अपने समस्त साधन ही बेकार हो जायें तब ही हमें अन्त में विदेशी सहायता के लिये हाथ फैलाना चाहिये।

स्वयं योजना ही में बताया गया है कि हमें घाटे का बजट अर्थात् अधिक नोट छापने के साधन का तभी उपयोग करना चाहिये जब कि हमें इस बात का निश्चय हो जाये कि हम प्रभावी नियन्त्रण रख सकते हैं तथा बराबर का वितरण कर सकते हैं।

जहां तक अतिरिक्त करारोपण का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि अब सरकार ने सम्पदा शुल्क लगाने का निश्चय कर लिया है। मेरे विचार में नमक पर भी कर फिर से लगा दिया जाना चाहिये। जिस रूप में आजकल मद्य-निषेध जारी है उससे कोई लाभ नहीं है। इससे तो यही अच्छा हो कि उसका अन्त कर दिया जाये।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण) : यदि हमारा संविधान स्वतन्त्रता का अधिकार पत्र है तो यह योजना समृद्धि का अधिकार पत्र है। इस योजना में भूमि समस्या का वैज्ञानिक ढंग पर हल बताया गया है। उद्योगों का अच्छे ढंग पर संगठन तथा मजदूरों के लिये भी उत्तम व्यवस्था की गई है। परन्तु यह सब बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जब आप कड़ा परिश्रम करने के लिये तैयार हों। और मैं यह बात निस्सन्देह कह सकता हूं कि देश में इस योजना के लिये उत्साह की कमी नहीं है। हम अपने सीमित संसाधनों ही से इसको सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे।

उत्तर- प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन किया गया और इससे लोगों को लाभ भी पहुंचा। परन्तु आपने जो यह बात रखी है कि किसी भी व्यक्ति के पास अमुक अमुक मात्रा से अधिक भूमि न रह सकेगी तो इसका क्या अर्थ हुआ ? मान लीजिये मेरे पास निर्धारित मात्रा से अधिक भूमि है तो आप उसका क्या करेंगे ? कोई भी व्यक्ति अपने बाप दादाओं की ज़मीन को आसानी से अलग करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस समय हमने जो व्यवस्था कर रखी है उसके अनुसार भूमि का पुनः बटवारा करना कुछ असम्भव सा प्रतीत होता है।

मेरे साम्यवादी मित्रों ने कृषि मजदूरों की समस्या को उठाया था। वास्तव में, कृषि मजदूर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो किसानों के साथ साथ काम करते हैं और उत्पादन में से अपना भाग ले लेते हैं। यह हैं स्थायी प्रकार के मज़दूर जो किसानों से भी कहीं अच्छी हालत में रह रहे हैं। दूसरे वे मज़दूर हैं जो मज़दूरी पर काम करते हैं हां इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर) : पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई, किन्तु मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। टेहरी-गढ़वाल में नये नये कर लगाये गये हैं। मुझे सन्तोष होता यदि इस प्रकार वसूल किया जाने वाला धन राज-कोष में पहुंचता। परन्तु वह तो बीच ही में हड़प लिया जाता है। वहां के सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

जब कि लोगों के पास खेती करने तक के लिए ज़मीन नहीं है तो उनके जानवरों के चरने के लिए तो मैदान और भी कम होने चाहिये। इस पर भी सरकार ने जंगलों की सीमा को इतना बढ़ा दिया है कि अब बेचारे इनके जानवर वहां चरने भी नही जा सकते हैं। वे आग जलाने के लिये जंगल से लकड़ी तक नहीं ले सकते हैं। एक समय था जब उनके पास ५०० से भी अधिक भेंड़ें होती थी किन्तु आज उनकी संख्या घट कर ३० या ३५ रह गई है। इसका कारण है सरकार द्वारा जंगलों में जानवरों को चरने न देना। इसका केवल यही उपाय है कि ज़मीन को फिर से किसानों में बांटा जाये तथा जंगलों को रहने के स्थान से दूर लगाया जाये।

उस क्षेत्र के लोग अधिकतर अनपढ़ और जंगली हैं। उनका ज्ञान बढ़ाने तथा उन्हें नई सभ्यता का आभास कराने के लिए यह आवश्यक है कि जौंसर-भावर की तरह इस जिले को भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया जाये। विद्या प्रसार ट्रस्ट के रुपये को काम में लगाया जाये जैसा कि राज्य के मुख्य मंत्री स्वीकार कर चुके हैं।

मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि नई सुविधाएं देने की बजाय उस क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं पहले ही से प्राप्त थी उन्हें भी छीन लिया गया है। उदाहरण के तौर पर, उस क्षेत्र के अन्दर जंगलों से सम्बन्ध रखने वाले दो कार्यालय हुआ करते थे किन्तु अब इन्हें मंसूरी और चकराता भेज दिया गया है। इससे वहां के लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। कारण बताया गया है कि वहां अधिकारियों के लिये आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। आप चाहें तो वहां के पहाड़ी झरनों से बिजली पैदा करके उन सुविधाओं का प्रबन्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री **नेवटिया** (जिला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी-पूर्व) : हमारे देश के इतिहास में आज पहली बार एक ऐसी योजना रखी गई है जो समस्त क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास का सन्देश देती है। जैसा कि स्वयं योजना में बताया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को लोकतंत्रात्मक तरीकों से प्राप्त करने

[श्री नेवटिया]

का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे विचार में जो लोग ऐसे तारीकों में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें भी इस देश को समृद्धिशाली बनाने के लिये इस योजना में अपना सहयोग देना चाहिये क्यों कि देश तो किसी विशेष जाति, वर्ग या मतवालों का तो है ही नहीं···

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अधिक समय चाहिये। सदन की बैठक अब बुधवार, १७ दिसम्बर के १० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १७ दिसम्बर, १९५२ के १० बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—H—S—140—PSD—2507053